लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 51 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 19—सोमवार, 14 मार्च, 1966/23 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 19—*Monday, March* 14, 1966/*Phalguna* 23, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
505	भारत पाकिस्तान संघर्ष के फलस्वरूप हुई हानि	Loss due to Indo-Pak Conflict .	4669–71
506	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में विमा ों के पुर्जों का निर्माण	Manufacture of Aircraft parts in Public and Private Sector Industries	4671–74
507	पाकिस्तान द्वारा कच्छ समझौते का उल्लंघन	Violation of Kutch Agreement by Pakistan	4674–77
508	इलैक्ट्रानिक्स उद्योग	Electronics Industry . . .	4678–80
509	पाकिस्तान द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र पर कब्जा	Occupation of Indian Territory by Pakistan	4680–82
510	भारत पाकिस्तान संघर्ष में पकड़े गये पाकिस्तानी हथियारों का अध्ययन	Study of Pak. Weapons captured during Indo-Pak. Conflict .	4682–85

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
8	गैर-सरकारी कोयला खान मालिकों द्वारा अधिलाभांश की अदायगी	Payment of Bonus by Private Coal Mine owners	4686–90

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
512	आकाशवाणी के माध्यम से वाणिज्यिक विज्ञापन	Commercial Advertisements through A. I. R. . . .	4690
513	देश के अन्य भागों के साथ आसाम के सम्पर्क साधनों को मजबूत करना	Strengthening of links of Assam with other Parts of the Country	4690
514	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध	Diplomatic Relations with German Democratic Republic . .	4690–91
515	हिन्दी प्रसारण	Hindi Broadcasts . . .	4691

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of the Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
516	संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना	U. N. Peace-keeping Force .	4691–92
517	आवाडी में टैंको का निर्माण	Manufacture of Tanks at Avadi .	4692
518	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में हैलीकाप्टरों का निर्माण	Manufacture of Helicopters at H. A. L.	4693
519	हिमालय का सर्वेक्षण	Survey of Himalayas . .	4693
520	आयुध कारखाने	Ordnance Factories . . .	4693–94
521	चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना	China's Admission to the United Nations	4694
522	सुरक्षा परिषद् को युद्ध विराम के उल्लघंनों के सम्बन्ध में विरोध पत्र	Protest Notes re : Cease-fire Violations to Security Council .	4694–95
523	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के कैडेट	N. C. C. Cadets in U. P. . .	4695
524	ब्रिटिश सरकार से आश्वासन	Assurance from British Government	4695
525	विदेशों को भेजे गये विशेष दूतों द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य	Contradictory Statements by Special Envoys sent Abroad .	4696
526	वैदेशिक कार्यों के लिये निर्धारण बोर्ड	Policy Planning Board for External Affairs	4696
527	छावनी क्षेत्रों में नागरिक सुविधायें	Civic Amenities in Cantonment areas	4696–97
528	रानी गायदेलू की प्रधान मंत्री से भेंट	Rani Guidallo's meeting with Prime Minister . . .	4697
529	अमरीकी शिष्टमण्डल का प्रतिवेदन	Report of U. S. Mission . .	4697
530	विकलांग सैनिक कर्मचारी विधवा तथा अनाथ निधि	Disabled Army Personnel Widows' and Orphans' Fund . .	4697–98
531	भारत और नेपाल में नदियों को उपयोगी बनाना	Harnessing of Rivers in India and Nepal	4698
532	नागाओं की गतिविधियां	Naga Activities	4699
533	चीन द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	AIR Space Violations by China .	4699–4700

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2031	उत्तर प्रदेश-नेपाल सड़क	U. P.-Nepal Road Link . .	4700
2032	अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र सप्ताह, ब्रुसूल्स .	International Film Week, Brusels	4700
2033	नौसेना में वाइस एडमिरल का पद	Rank of Vice-Admiral in Navy .	4701

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECTS	पृष्ठ PAGES
2034	सेना अधिकारियों का सेवा निवृत्त होना — Retirement of Army Officers	4701
2035	मोर्चे पर जाने के लिये अपनी सेवायें अर्पित करने वाले बी० आई० एम० एस० तथा ए०एम०बी०एस० डाक्टर — B. I. M. S. and A. M. B. S. Doctors volunteering for Active Service	4701–02
2036	लाहौर क्षेत्र में नहर का काटा जाना — Breach in Canal in Lahore Sector	4702
2037	चलचित्र वित्त निगम — Film Finance Corporation . .	4702
2038	गोआ में नौसेना अकादमी — Naval Academy at Goa . .	4703
2039	परमाणु बिजलीघर, हैदराबाद — Atomic Power Station, Hyderabad	4703
2040	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र — Primary Health Centres . .	4703–04
2041	भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाना — Rehabilitation of Ex-Servicemen	4704
2042	संयुक्त राष्ट्र का औद्योगिक विकास संगठन — U. N. Organisation for industrial Development . . .	4704
2043	पैटन टैंक — Patton Tanks	4705
2044	अखबारी कागज सम्बन्धी नीति — Newsprint Policy . . .	4705
2045	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान समाचार पत्रों को दी गई सुविधायें — Press Facilities during Indo-Pak. War	4705–06
2046	राष्ट्रीय प्रचार कार्यक्रम — National Publicity Programmes .	4706
2047	आकाशवाणी से प्रसारण — A. I. R. Broadcasts . . .	4706–07
2048	हिन्दी बूलेटिनों का प्रसारण — Broadcast of Hindi Bulletins .	4707–08
2049	फिल्म डिवीजन के कमेंटेटर्स — Commentators of Films Division .	4708
2050	इजराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध — Diplomatic Ties with Israel .	4708
2051	बाल चलचित्र संस्था — Children's Film Society . .	4709
2052	आयुध कारखानों में उत्पादन — Production in Ordnance Factories	4709–10
2053	कानपुर में अफ़्रीकी एशियाई एकता सम्मेलन — Afro-Asian Solidarity Conference in Kanpur	4710
2054	गावों के लिये सामुदायिक रेडियो — Community Radio sets for Villages	4710–11
2055	पाकिस्तान द्वारा सीमा के अतिक्रमण — Border Violations by Pakistan .	4711
2056	समाचार पत्र वित्त निगम बनाने का प्रस्ताव — Proposal for Newspaper/Finance Corporation	4711–12
2057	पाकिस्तान द्वारा भारतीय जहाजों का रोका जाना — Impounding of Indian Ships by Pakistan	4712

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2058	समाचार रिपोर्टें तथा भाषण कार्यक्रम	News Reports and Lecture Programmes	4712
2059	संयुक्त राष्ट्र प्रेषक	U. N. Observers . . .	4713
2060	मध्यमवर्ग का निर्वाह व्यय सूचकांक	Middle Class Cost of Living Index	4713
2061	अमरीका तथा रूस स्थित भारतीय मिशनों पर व्यय	Expenditure on Indian Missions in U. S. A. and U. S. S. R. .	4713-14
2062	सिंगापुर के अधिकारियों का प्रशिक्षण	Training of Singapore Officials .	4714
2063	समुद्री और औद्योगिक डीजल इंजन परियोजना	Marine and Industrial Diesel Engine Project . . .	4714-15
2064	गोआ का नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास	Development of Goa as a Naval Base	4715
2065	भारत पाकिस्तान संघर्ष में सैनिक सामान की हानि	Loss of Military Equipment during Indo-Pak Conflict .	4715
2066	समुद्री पानी का अपक्षरीकरण	Desalination of Sea Water . .	4715-16
2067	राकेट गैसों का वातावरण पर प्रभाव	Effects on Atmospheres due to rocket gases	4716
2068	भारत पाकिस्तान संघर्ष में मारे गये भारतीय नौसेना के कर्मचारी	Indian Navy Personnel killed during Indo-Pak. Conflict. .	4716
2069	नसीराबाद छावनी क्षेत्र	Nasirabad Cantonment Area .	4716-17
2070	उदकमंडलम में आण्विक अनुसंधान केन्द्र	Atomic Research Station at Ootacamund	4717
2071	भूमिगत परमाणु परीक्षकों का बन्द किया जाना	Suspension of Underground Nuclear Tests	4717-18
2072	कुल्लू घाटी में यूरेनियम के निक्षेप	Uranium Deposits in Kulu Valley	4718
2073	विदेश भेजे गये प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारी	Defence Officers sent abroad .	4718
2074	विदेशों में भारतीय दूतावासों के प्रमुख	Heads of Indian Missions Abroad	4718
2075	घायल सैनिक	Wounded Soldiers . . .	4719
2076	डेनमार्क के टैलिविजन दल की भारत यात्रा	Visit of Danish T. V. Team .	4719
2077	सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से ट्रांसमिटर	Transmitters from Soft Currency .	4719-20
2078	स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक	Memorial for Late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri .	4720

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2079	समाचारपत्रों द्वारा स्वेच्छापूर्वक अखबारी कागज के प्रयोग में कमी किया जाना	Voluntary Cut of Newsprint by Newspapers	4720
2081	हानिकारक प्रचार का प्रकाशन	Publication of Harmful Propaganda	4721
2082	राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेटों द्वारा सैनिक अभिवादन (गार्ड ऑफ आनर)	Guards of Honour by N.C.C. Cadets	4721
2083	भारत का गजेटियर	Gazetteer of India . . .	4722
2084	युद्ध सम्बन्धी फिल्म	War Film	4722
2085	श्रीलंका से भारतीय लोगों का स्वदेश लौटा दिया जाना	Repatriation of Indians from Ceylon	4722
2086	चीन को विरोध-पत्र	Protest to China . . .	4723
2087	गायदेतु की रानी की नागालैंड के पदाधिकारियों के साथ वार्ता	Rani Guidallo's talks with Nagaland Officials . . .	4723-24
2089	वायु सेना मुख्यालय में यूनिट क्लर्क	Unit Clerks in Air Headquarters	4724
2090	कच्छ न्यायधिकरण	Kutch Tribunal . . .	4725
2091	पंजाब में परमाणु बिजली घर	Atomic Power Station in Punjab .	4725
2092	प्रोग्राम प्रोडयूसर और स्टॉफ आर्टिस्ट	Programme Producers and Staff Artistes	4725-26
2093	आपातकाल में भर्ती किये गये सेना अधिकारी	Army Officers Recruited during Emergency	4726
2094	वियतकांग	Vietkong	4727
2095	इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, लन्दन	Institute of Strategic Studies, London	4727
2096	छावनी बोर्डों के कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी	Minimum wages of Cantonment Board Employees . . .	4727-28
2097	बेरुवाड़ी का सीमानिर्धारण	Demarcation of Berubari . .	4728
2099	चलचित्र परियोजना	Film Project	4728
2100	वायुसेना के विमानों का कायात्तार में उतरना	Landing of Air Force Planes at Kayattar	4729
2102	चीन के विरोध-पत्र	Protest Note from China . .	4729
2103	अरब देशों में प्रचार	Propaganda in Arab Countries .	4729-30
2104	स्टाकहाम में परमाणु सम्मेलन	Nuclear Meet in Stockholm .	4730
2105	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में वक्तव्य	Statement regarding Netaji Subhash Chandra Bose . .	4730-31

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2106	नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप	National Shooting Championship	4731
2107	सीमावर्ती सड़कें	Border Roads	4731–32
2108	परमाणू अस्त्रों के प्रसार को रोकना	Non-profiteration of Nuclear Weapons	4732
2109	श्री जय प्रकाश नारायण का त्याग-पत्र	Resignation of Shri J. P. Narayan.	4732–33
2110	युद्ध में विकलांग हुए सनिक कर्मचारि ों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण	Vocational Training for War-Disabled Personnel . .	4733
स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में—		Re: Motions for Adjournment and Calling Attention Notices—	
अमृतसर, लुधियाना आदि में उपद्रव और पुलिस द्वारा गोली चलाया जान।		Disturbances and Police Firing in Amritsar, Ludhiana, etc. .	4734–37
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table . .	4737,38–39
श्री उमानाथ के पैरोल के बारे में		Re: Parole of Shri Umanath .	4739–43
सामान्य आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा—		General Budget, 1966-67–General Discussion—	
	श्री हे० ब० कोजलगी	Shri H. V. Koujalgi . .	4744
	श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray . .	4744–45
	श्री कर्णी सिंहजी	Shri Karni Singhji . .	4745–47
	श्रीमती विजयराजे सिंधिया	Shrimati Vijaye Raje Scindia	4747–48
	श्री विश्वनाथ पांडे	Shri Vishwa Nath Pandey .	4748–49
	श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . . .	4749–50
	श्री पें० वेन्कटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah .	4750–51
	श्री मोरारका	Shri Morarka . . .	4752–56
	श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai . . .	4756–58
	श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda .	4759
	श्री मरुथिया	Shri Maruthiah . . .	4760
	श्री रामेश्वर टांटिया	Shri Rameshwar Tantia .	4760–61
	श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj .	4761–62

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 14 मार्च, 1966/23 फाल्गुन, 1887 (शक)

Monday, March 14, 1966/Phalguna 23, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के फलस्वरूप हुई हानि

\+
***505 श्री मधु लिमये :** **श्री दलजीत सिंह :**
श्री किशन पटनायक : **श्री बालकृष्णन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ हुए हाल के संघर्ष में नष्ट हुई सभी प्रकार की दुकानों तथा औद्योगिक एककों को हुई हानि के बारे में सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) क्या सरकार ने उनके पुनर्स्थापना के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं। कुछ इलाके अभी हाल ही में खाली हुए हैं ।

(ख) अब तक कारखानों और दुकानों को कोई विशेष क्षति होने का समाचार नहीं मिला है।

(ग) पुनर्वास के लिए योजनायें बना ली गई हैं ।

Shri Madhu Lumaye : Sir, during the days of conflict it was published in the newspapers that industrial unit and shops have sustained considerable loss. I want to know whether the hon. Minister will give details about this and state how far it has caused the unemployment?

श्री दा० रा० चव्हाण : प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है । जो क्षेत्र पाकिस्तान की सेना के अधिकार में है वहां पर सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है परन्तु अन्य क्षेत्रों में यह पूरा कर लिया गया है । राजस्थान, पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर सरकारों द्वारा दी गई जानकारी मेरे पास है । पाकिस्तान की बमबारी के कारण पंजाब में किसी औद्योगिक एकक या दुकान को क्षति नहीं हुई । हां अमृतसर जिले में कुछ भवन तथा यूनिटों को थोड़ी सी हानि हुई थी ।

जम्मू तथा काश्मीर में घुसपैठ आरंभ होने के समय बारामुला में लगभग 50 दुकनें जलाई गई थी। छम्ब-जोड़ियां क्षेत्र में जो पाकिस्तानी सेना के कब्जे में था, में अभी तक सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है।

राजस्थान के जेसलमीर क्षेत्र में खादी कमीशन का एक उत्पादन केन्द्र नष्ट हो गया था। इसके फलस्वरूप 16,000 रुपये की हानि हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का अन्तिम भाग था कि इस संघर्ष के कारण कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा है।

श्री दा० रा० चव्हाण : जहां तक औद्योगिक एककों में लगे लोगों का सम्बन्ध है यह संघर्ष के समय अधिक संख्या में तो बन्द थे इस लिये लोग वहां से चले गये थे। ऐसे लोगों की संख्या के बारे में मेरे पास ठीक ठीक जानकारी नहीं है।

Shri Madhu Limaye : I want to know whether the affected people would be given some compensation and whether the poor among them would be given more and richer proportionately less ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जी, हां। यह प्रश्न के भाग (ग) में बताया गया है कि पुनर्वास की योजनाएं तैयार की गई हैं। उसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। गांव के छोटे व्यक्ति जैसे लोहार, तथा अन्य कारीगर है उनको 500 रुपये तक ऋण दिया जायेगा। व्यापार में लगे लोगों को 1000 रुपये तक ऋण दिया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में खोंचेवालों को यह 200 रुपये तक और कारीगरों को 500 रुपये तक और दुकानदारों तथा व्यापारियों को 5000 रुपये तक तथा डाक्टरों और वकीलों आदि को 500 रुपये तक दिये जायेंगे।

श्री दलजीत सिंह : पंजाब सरकार के पक्षिक समाचार पत्र में कहा गया है कि उस राज्य की इस संघर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपये की हानि हुई है और 50,000 यात्रियों (10,000 परिवारों) को कष्ट उठाने पड़े क्योंकि उन्हें अमृतसर, फिरोज़पुर और गुरदासपुर ज़िलों में अपने घरों से निकलना पड़ा और बहुत से अन्य जिले जैसे जालंधर, हिसार, अम्बाला, भटिंडा, कपूरथला, कांगड़ा लुधियाना, होशियारपुर में शत्रु की कार्यवाही से हानि हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी वित्तीय सहायता पंजाब को दी गई है और 350 मील लम्बी सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या सहायता दी जा रही है ? इसके अतिरिक्त वहां के उद्योगों की सहायतार्थ सड़कें आदि बनाने के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इन उद्योगों की सहायता के कई कदम उठाये गये हैं। लघु उद्योगों को ऋण देने के लिये लगभग 50 लाख रुपये पंजाब सरकार को दिये गये हैं। पंजाब सरकार ने अब तक 55 लाख रुपये बांटे हैं। 11 सड़कों, जिनकी लम्बाई 139 मील होगी, के लिये सहायता दी गई है। इनमें कुछ सड़कों को क्षति पहुंची थी और इनकी मुरम्मत आदि के लिये पंजाब सरकार को 44 लाख रुपये दिये गये हैं।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : राज्यों से शायद जानकारी ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं हो रही है। माननीय मंत्री को बताना चाहिये कि कितनी क्षति हुई है और कितनी सहायता दी गई है।

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने अभी क्षति के बारे में बताया है। यह सब जानकारी राजस्थान, पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर सरकारों द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर है। और पंजाब सरकार को 50 लाख रुपये दिये गये है आदि

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या यह पंजाब तक ही सीमित है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : राजस्थान के बारे में मैंने बताया है कि वहां पर कोई बड़े महत्व का औद्योगिक एकक नहीं था। खादी कमीशन के एक उत्पादन केन्द्र के नष्ट होने से 16,500 रुपये की हानि हुई थी।

Shri Onkar Lal Berwa : A few such buildings have been destroyed whose valeu ould have been about 5 lakhs. I want to know whether Government is aware of that, if so, what action has been taken in the matter ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने पहले ही कहा है कि यह जानकारी राजस्थान सरकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में विमानों के पूर्जों का निर्माण

\+

*506. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री महेश्वर नायक : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री कर्णी सिंह जी :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में विमानों के पुर्जे बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(क) क्या प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में प्रतिरक्षा सम्बन्धी अन्य छोटे उपकरण भी बनाये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ये कितने सफल सिद्ध हुए हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) असैनिक उद्योग द्वारा निर्माण के लिए प्रस्तावित रक्षा सेवाओं के लिए साज़सामान में शामिल है ट्रैक्टरों के इंजन, गाड़ियों के उपांग, प्रकाशीय, वैद्युती तथा वैमानिक यन्त्र, लाइन संचार साज़सामान, पम्प, मोटर, कम्प्रेसर, जनरेटर इत्यादि।

Shri Yashpal Singh : May I know our total requirements and the proportions of the same we are importing and manufacturing indigenously?

श्री अ० म० थामस : इस बारे में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्रालय ने बहुत सी टेक्नीकल समितियां स्थापित की थी और उन्होंने विचार किया है। उनकी रिपोर्टें योजना आयोग को भेजी गई हैं। उन अध्ययन दलों ने महत्वपूर्ण मदों पर धन लगाने के बारे में सिफारिशें दी थी। जैसे बिजली उपकरणों के बनाने के बारे में उन्होंने राय दी है कि अगली पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के लिये 34 करोड़ रुपये और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये 20 करोड़ रुपये चाहिये होंगे। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया गया है और व्यय होने वाले धन को निर्धारित किया गया है।

Shri Yashpal Singh : I want to know whether Government have taken action on suggestions made by U.P. industrialists.

श्री अ० म० थामस : यथा संभव उद्योगपतियों के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है। हमने कुछ मुख्य औद्योगिक एककों जैसे टेलको, वालचन्द इंडस्ट्रीज और हिन्द साइकिल्स पर भी विचार किया है। इन्होंने टैंक और गाड़ियों के पुर्जे बनाने की पेशकश की है। हम उनकी सहायता ले रहे हैं और उन्हें टेकनीकल सलाह दे रहे है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन उपक्रम इन को नहीं बना सकते ? क्या 20 करोड़ रुपये से अधिक धन सरकारी क्षत्र के उपक्रमों को नहीं दिया जा सकता। यह सरकार की नीति के अनुसार होगा।

श्री अ० म० थामस : यथा संभव हम प्रतिरक्षा उपक्रमों से लाभ उठा रहे हैं। वे पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। उनका विस्तार तथा नवीकरण किया जा रहा है। और फैक्ट्रियां भी स्थापित की जा रही है। माननीय सदस्य को मानना होगा कि आपातकालीन स्थिति में और लड़ाई के समय हमें सभी स्रोतों से लाभ उठाना होगा। इस कार्य में गैर-सरकारी क्षत्र विशेष कार्य कर सकता है। मैं आश्वासन देता हूं कि विभिन्न प्रतिरक्षा कारखानों में उत्पादन कम नहीं होगा। बल्कि इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।

श्री भागवत झा आजाद : मेरा प्रश्न भिन्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इनका सरकारी उपक्रमों में उत्पादन नहीं कर सकती ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र पर निर्भर न करना पड़े ? यह नीति परिवर्तन क्यों किया जा रहा है ?

श्री अ० म० थामस : 20 करोड़ रुपये बिजली उद्योग के लिये हैं। मैंने कहा है कि 35 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगाये जायेंगे। इस बारे में मुख्य उपक्रम भारत एलेक्ट्रानिक्स है। इसका यथासंभव विस्तार किया जायेगा। हम हैदराबाद में भी एक फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं और तीसरी फैक्ट्री के बारे में विचार हो रहा है। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के एककों को चालू किया जायेगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : हाल के संघर्ष के दौरान अमरीका तथा ब्रिटेन ने पुर्जों की सप्लाई बन्द कर दी थी। क्या इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसी प्रदर्शनी का आयोजन किया है ताकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को इस बारे में काम करने के लिये आकर्षित किया जा सके ? उस प्रदर्शनी के प्रति गैर सरकारी उद्योगपतियों का रवैया कैसे रहा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय म प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : लगभग 12000 वस्तुएं विभिन्न स्थानों पर रखी गई थी और लगभग 5000 वस्तुओं को सिविल सेक्टर में बनवाने के बारे में स्रोत मिले हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know the names of industries of private sector that have been selected for the manufacture of spares for aeroplanes and what is the basis of selection ?

श्री अ० म० थामस : यह कई है जैसे पिछले तीन वर्षों में हमने हथियार और गोला बारूद बनाने की कई फर्मों को लगभग 15 करोड़ रुपय के आर्डर दिये थे। इस प्रकार की सैंकड़ों फर्मों का नाम बताना असंभव है। मुख्य बात सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की है और यथा संभव हम यह कर रहे हैं।

Shri M. L. Dwivedi : I want to know whether Government is making use of spare capacity of its Defence industries and undertakings in the matter of manufacturing of defence equipment ; if not, the reasons for giving this work to civil industries and action taken to advertise this ?

श्री अ० म० थामस : प्रतिरक्षा फैक्ट्रियों में फालतू क्षमता नहीं है। यह तो पहले ही पूरी क्षमता से कार्य कर रही है। शायद किसी स्थान पर काम कुछ कम हुआ हो परन्तु यह अस्थायी रूप से होगा।

श्री म० ला० द्विवदी : मैंने पूछा था कि उन के विज्ञापन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री अ० म० थामस : मेरे सहयोगी श्री हाथी ने प्रदर्शनी तथा सम्बद्ध बातों के बारे में बता दिया है। यह गैर सरकारी क्षेत्र के सहयोग के लिये ही है।

श्री स० चं० सामन्त : मिग-21 विमानों के पुर्जों का कितने प्रतिशत रूस से मंगाया जायेगा और कितने प्रतिशत देश में बनाये जा रहे है या निकट भविष्य में बनाये जाने लगेंगे?

श्री अ० म० थामस : यहां पर बनाये जाने वाले तथा आयात किये जाने वाले पुर्जों का अनुपात बताना वांछनीय नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार को मालूम है कि टेलको, टाटा, वालचन्द तथा अन्य गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों को विमानों के पुज आदि बनाने के आदेश देने से अमरीका एक युद्ध की मनोभावना खड़ी कर देगा? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 50 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करेगा? मैं जानना चाहता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र को बनाने के लिये 12000 चीजें क्यों दी जा रही है जब कि आयुध कारखानों में काम नहीं है और पूर्ण क्षमता का केवल 40 प्रतिशत प्रयोग मे लाया जा रहा है?

श्री अ० म० थामस : मैं समझता था कि माननीय सदस्य की इन कारखानों के बारे में काफी जानकारी है। मैं कह सकता हूं कि सभी कारखाने पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। विमानों के पुर्जों का काम हमने टेलको को नहीं दिया है। हमने डनलप रबर कम्पनी तथा बैंटिक्स कारपोरेशन से समझौते किये हैं। इन के द्वारा बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स फैक्टरी में एक एकक स्थापित किया जायगा। इन कामों के दिये जाने से आयुध कारखानों में नई नई वस्तुएं बनाने का काम हाथ में लिया जा सकेगा। इस प्रकार काम में भी वृद्धि होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का पहला भाग था कि क्या सरकार टाटा और वालचन्द को काम सौंपने से युद्ध की मनोभावना खड़ी कर देगी। क्या सरकार इस को जानती है? मेरा प्रश्न प्रधान मंत्री से है।

श्री अ० म० थामस : टेलको आदि को कोई नया काम नहीं दिया जा रहा है। वे पहले ही मोटर गाड़ियां बना रहे हैं। और इन्हीं के पुर्जों आदि का काम उनको दिया जायेगा। वे इनको बना सकते हैं। उनको साजसामान की कोई चीज़ बनाने को नहीं कहा जायगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या पुर्जों आदि के देश में ही बनाकर आत्म निर्भर होने की कोई तिथि निर्धारित की गई है?

श्री अ० म० थामस : यह कहना बहुत कठिन है। चौथी योजना में आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में अध्ययन किया गया है और विभिन्न वस्तुओं के बारे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर भी विचार किया गया है। यह बताना बहुत कठिन है कि हम कब तक सभी वस्तुओं के बारे में आत्म निर्भर हो जायेंगे। फिर भी हमें कुछ वस्तुओं का आयात करना ही पड़ेगा।

श्री बड़े : श्री भागवत झा आजाद और श्री बनर्जी के प्रश्नों के संबंध में अग्रेतर मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह गैर सरकारी कम्पनियां सरकारी कम्पनियों की अपेक्षा अधिक कुशल हैं? और क्या यह तथ्य नहीं है कि इन कार्यों को गैर सरकारी निर्माताओं को सौंपने से सरकार इन कम्पनियों में अधिक राष्ट्र भावना उत्पन्न कर रही है?

श्री अ० म० थामस : मेरा विचार है कि उनके द्वारा किये गये कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है । युद्ध के समय आवश्यकतायें शान्ति-काल की अपेक्षा 60 से 100 गुनी अधिक हो जाती हैं । हो सकता है कि युद्ध के बीच युद्ध-सामग्री बनाने के कारखाने आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकें । अतः यह हमारे हित में है कि गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुछ सामर्थ्य उत्पन्न किया जा सके और वह देश के औद्योगिक विकास के हित में होगा । हमें इस प्रस्ताव का स्वागत करना चाहिये ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हथियार बनाने के कारखानों में भी जहां तक संभई है हम सामान्य मशीनों का उपयोग कर रहे हैं । सुदूर भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हमें असैनिक वस्तुओं का निर्माण भी प्रारम्भ करना पड़े ।

श्री मं० रं० कृष्ण : हथियार बनाने वाले कारखाने अनेक मोटरगाड़ियां बना रहे हैं—जैसे, "शक्तिमान" और निशान" इत्यादि । क्या मूल्यों को कम करने के लिये और प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये, जो कि उपक्रमणों के प्रमाणीकरण द्वारा हो सकती है, प्रतिरक्षा विभाग द्वारा देश में निर्माण की जा रही विभिन्न गाड़ियों के पुर्जों के प्रमाणीकरण करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री अ० म० थामस : जी हां । जहां तक प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का प्रश्न है, "शक्तिमान" तथा "निशान" यानी 4×4 की ही मुख्यतः आवश्यकता होगी । प्रमाणीकरण इसी आधार पर किया जायेगा । जो गाड़ियां प्रतिरक्षा कार्यों के लिये चाहिये उनके लिये विशेष मानक की आवश्यकता है ।

पाकिस्तान द्वारा कच्छ समझौते का उल्लंघन

+

*507 **श्री महेश्वर नायक :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सूबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री काजरोलकर :
श्री मधु लिमये :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान जून, 1965 के कच्छ समझौते के उल्लंघन में कंजरकोट क्षेत्र में बंकर खोदने, सैनिक गाड़ियों के जमाव का काय करता रहा है और डींग-सुराय मार्ग के इस पार गश्ती दस्ते भेजता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है तथा उनके परिणाम क्या निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : जहां तक अपने गश्ती दस्ते, सैनिक गाड़िएं भेजने और बंकर खोदने का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष नवम्बर-दिसम्बर में पाकिस्तान ने कुछ अवसरों पर जून 1965 के कच्छ समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया था । इन अतिलंघनों के संबंध में पाकिस्तान सरकार को विरोधपत्र भेजा गया था । अभी तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ तदपि ताशकन्द घोषणा के पश्चात् कोई उल्लंघन दृष्टिगोचर नहीं हुए ।

श्री महेश्वर नायक : क्या इस मसले को जेनेवा न्यायाधिकरण को सौंप कर कोई अच्छा परिणाम निकला है ?

श्री अ० म० थामस : एक बैठक हुई थी जो प्रारम्भिक बैठक थी ।

श्री महेश्वर नायक : क्या ताशकंद घोषणा का कच्छ विवाद पर कोई व्यापक प्रभाव पड़ा है ?

श्री अ० म० थामस : यह नहीं कहा जा सकता कि विवाद पर विशेषकर इसका प्रभाव पड़ेगा परन्तु जैसा कि मैंने मुख्य उत्तर में बताया है, ताशकंद घोषणा के पश्चात् कच्छ के रन संबंधी समझौते को भंग किये जाने की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है ।

Shri Yashpal Singh : Has our communications been completed there and roads constructed so that march does not create difficulties in future ?

श्री अ० म० थामस : मेरा विचार है कि जो संचार व्यवस्था हम वहां कर रहे हैं उसके बारे में विवरण देना उचित न होगा ।

अध्यक्ष महोदय : कोई संतोषजनक उत्तर दिया जाना चाहिये ।

श्री अ० म० थामस : हम ने इस बात को ध्यान में रखा हुआ है ।

श्री हेम बरूआ : भारत ने कच्छ समझौते को जो अनेक प्रकार से हमारे लिये अनुकूल नहीं है इस आशा पर जो कि श्री विल्सन ने भी व्यक्त की है स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे सबंध स्थापित हो जायेंगे परन्तु पाकिस्तान बराबर डिग-सुराय के गश्त के मार्ग पर अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजता रहा है । इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान द्वारा इस प्रकार कच्छ समझौते को भंग किये जाने के बारे में श्री विल्सन को जिन्होंने दोनों पक्षों को मिलाने के लिये बहुत कुछ किया है सूचित किया गया है ?

श्री अ० म० थामस : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कच्छ का समझौता हमारे लिये अनुकूल नहीं है । समझौते को भंग कर के जो आक्रमण किये गये हैं उनके बारे में हमने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को सूचित कर दिया है ।

श्री हेम बरूआ : श्रीमान, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है । मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उन्होंने उसके बारे में ब्रिटन के प्रधान मंत्री को सूचित कर दिया है । यह स्वाभाविक ही है कि हम इस सम्बन्ध में श्री विल्सन की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में शायद कोई और माननीय सदस्य प्रश्न करना चाहते हैं । श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

Shri Prakash Vir Shastri : The honourable Minister, in reply to the question, has said that no reply has been received in response to the protest that was lodged against violations if the agreement by Pakistan but he has neither given details about violations of the agreement nor has he indicated the action that Government propose to take because of no reply having been received in response to the protest that was lodged.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): उन्होंने वहां पर उन गाड़ियों का प्रयोग किया जिनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये था और उस क्षेत्र में अपनी चौकी बनाने की कोशिश की जहां नहीं बनानी चाहिये थी । इन्हीं उल्लंघनों के बारे में विरोध-पत्र भेजा गया था । उसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया है ।

वह उस समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था। परन्तु 4 जनवरी को जब ताश्कंद वार्ता आरम्भ हुई तो उन्होंने उस क्षेत्र को खाली कर दिया। उन्होंने विरोध-पत्र पर अमल किया है हालांकि उसको उत्तर देकर नहीं माना है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने ब्रिटेन की लोक सभा में बताया है कि पाकिस्तानी सना पूरे कच्छ के रन में गश्त लगा रही है । क्या यह सत्य है ? यदि हां, तो डिंग-सुराय तथा अन्य भारतीय क्षेत्रो में पाकिस्तानी सेना के आने जाने को रोकने के लिये क्या कदम उठाय गये है ?

श्री अ० म० थामस : इस विषय पर 29 जुलाई को एक समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत पाकिस्तानी गश्ती डिंग-सुराय पटरी पर गश्त कर सकते थे तथा भारतीय गश्ती दस्ते करीम शाही होकर छाद-बेत से कंजरकोट तक जा सकते थे और गश्त लगाने वाले सैनिकों की संख्या अनुभाग संख्या यानी 8 और 10 से अधिक नहीं होनी चाहिये और गश्ती दस्तों के पास केवल वैयक्तिक हथियार जैसे राइफ़ले और रिवाल्वर न कि हल्की मशीनगनें अथवा अन्य स्वचालित हथियार होने चाहिये।

श्री हेम बरूआ : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री ने कहा है कि समझौते के अनुसार पाकिस्तान अपनी सेना डिंग-सुराय की गश्ती टुकड़ी तक भेज सकता है । मेरा प्रश्न यह था कि 30 नवम्बर को उन्होंने अपने सैनिक डिंग-सुराय पटरी की दूसरी ओर भेजे थे जोकि समझौते के विरुद्ध हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या उस जगह संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक मौजूद थे ? यदि हां, क्या इन सब बातों के बारे में उन्हें सूचित कर दिया गया है ।

श्री अ० म० थामस : कच्छ क्षेत्र में कोई संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक नहीं हैं । घटनाओं का पता लगाने के लिये हमारी अपनी व्यवस्था है ताकि हम आक्रमणों की जानकारी रख सकें। हम ने इस बारे में पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और हमने उनके पास एक विरोध-पत्र भी भेजा है । हम ने इसकी सूचना ब्रिटिश सरकार को भी भेज दी है क्योंकि यह समझौता ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के अनुरोध पर ही किया गया था।

Shri M. L. Dwivedi : This tribunal was appointed as a result of agreement between India and Pakistan. Has the tribunal been informed of the fact that when a protest was made to the Pakistan Government they did not reply to it ? If the tribunal has not since been in formed, the reasons therefor ?

श्री अ० म० थामस : न्यायाधिकरण को अपना निर्णय मामले के गुणादोष के आधार पर करना है कि क्या वह क्षेत्र पाकिस्तान का है अथवा हमारा । यह बात न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद के विषय से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या पाकिस्तानी अतिक्रमण के बारे में भेजा गया हमारा विरोध-पत्र पाकिस्तान सरकार को मिल गया है ? यदि, हां, तो उसका क्या उत्तर आया है तथा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अ० म० थामस : हमने 3-1-1960 को विरोध-पत्र भेजा था और उसी दिन उसकी एक प्रति ब्रिटेन में हमारे उच्च आयोग को भी भेज दी गई थी । अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है ।

श्री भागवत झा आजाद : ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री विल्सन को जो सूचना भेजी गई है क्या उसके आधार पर उन्होंने पाकिस्तान से आक्रमण न करने के लिये कहा है अथवा चुप रह कर पाकिस्तान को प्रोत्साहन दिया है ?

श्री अ० म० थामस : हम ने इस मामले को ब्रिटेन में अपने उच्च आयोग के पास इन अनदेशों के साथ भेज दिया है कि वह इसके बारे में ब्रिटिश सरकार को अवगत करायें। उच्च आयुक्त ने उत्तर दिया है कि ब्रिटिश सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया गया है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या उनका उत्तर नहीं आया है ?

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I have first to request you to see that when important questions are answered by honourable Ministers, they should not use such language which is vague. The honourable Minister has stated that Pakistan has violated the Kutch agreement "on a few occasions." I cannot guess how many times did Pakistan violate the agreement. You may kindly ask the Minister to use definite expressions like, once, twice, etc.

My question is whether the facts relating to the repeated violations by Pakistan in Kutch have been brought to the notice of the International Tribunal on Kutch ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक हमारा सबंध है, हम किसी घटना के बारे में कम कर के अथवा बढ़ा-चढ़ा कर विवरण नहीं देना चाहते।

श्री मधु लिमये : आपने कहा है "केवल बड़े थोड़े मौक़ों पर ....."

श्री अ० म० थामस : मेरा विचार है कि मैंने "बड़े थोड़े" शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है। वास्तव में ऐसा हुआ है कि युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन में ..... (**अन्तर्बाधायें**)

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Do you think it proper in this regard that. . . .

श्री अ० म० थामस : युद्ध-विराम समझौते के भंग किये जाने के कारण दो या तीन घटनायें हुई हैं। एक घटना कजोरकोट क्षत्र में खाइयां खोदने तथा "बंकर" बनाने की है। दूसरी घटना 11 अगस्त 1965 को हुई जब "पाकिस्तान इन्ड स रेंजर्स" का दूसरा गश्ती दस्ता मोटरगाड़ियों से डिग आया था। तीसरी घटना 30 नवम्बर को हुई थी जब पाकिस्तानियों ने अनियमित सेना की टुकड़ियां डिग-सुराठ गश्ती मार्ग के उस पार भेजी थीं और इसके अतिरिक्त कंजरकोट क्षेत्र में भारी संख्या में मोटर गाड़ियों का सकेन्द्रण किया था। माननीय सदस्य को इस का पता है। उन्हें तारीख भी पता हैं।

श्री हेम बरूआ : श्रीमान, मंत्री महोदय आप की तथा मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी आंखों में अब धूल नहीं है।

Shri Jagdevsingh Siddhanti : Did you make a reference to the violations on the part of Pakistan, in the Rawalpindi Conference? If so, what are the details? Do you only protest or are you going to do anything to see why they have not been replying to our protest ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है। रावलपिंडी में जनरलों की बैठक से पर्व उन्होंने घुसपैठ को समाप्त कर दिया था। अतः वहां इस मामले की चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि वे उन घुसपैठ की कार्यवाहियों को जिनके बारे में हम ने विरोध-पत्र भेजे हैं जारी रखते तो दूसरी परिस्थिति होती और हमे उस संबंध में क़दम उठाने के लिये गम्भीरता से सोचना पड़ता है। मैं अब यह नहीं कह सकता कि उस समय हमारी क्या प्रतिक्रिया होती। मेरा विचार है कि घुसपैठ के समाप्त होने के थोड़े समय बाद ही हमारे लिये यह आवश्यक नहीं था कि इसकी चर्चा रावलपिंडी सम्मेलन में की जाती।

इलैक्ट्रानिक्स उद्योग

+

*508. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री हरिश्चंद्र माथुर :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को इलेक्ट्रानिक्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से वैज्ञानिकों के एक वर्ग ने भारत सरकार को इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास का एक कार्यक्रम आरम्भ करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रया है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) आशा है कि भूतपूर्व डाक्टर एच० जे० भाभा की अध्यक्षता में समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्रतियां शीघ्र ही सभा के पटल पर रख दी जायगी । यह रिपोर्ट विशषज्ञों के एक दल द्वारा दो वष के सविस्तार तथा सतर्क कार्य के पश्चात् तैयार की गई थीं, जिन के साथ उपभोक्ता मंत्रालय निरन्तर संबंधित रहे थे। इसलिये समिति द्वारा प्रस्तावित इलैक्ट्रानिकी उद्योग के विकास का ढंग सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा । तदपि, चूंकि रिपोर्ट व्यापक स्वरूप की है जो बहुत बड़ी है इस पर पूणतः विचार करने के लिये सरकार को कुछ समय चाहिये, और उसकी सभी सिफारिशों पर कायवाही करने के लिये भी ।

Shri Onkar Lal Berwa : Will this programme be prepared with foreign help? If so, what is the estimated expenditure on this Scheme ?

Shri Hathi : So far as the expenditure is concerned, the report of the Commitee says that 170 crores rupees will be spent in ten years. So far as foreign aid is concerned, we will try to do most of the work ourselves and seek foreign aid only if absolutely necessary to do so.

Shri Onkar Lal Berwa : How much, foreign exchange will be needed and which particular country are we going to approach for most of the aid ?

Shri Hathi : We have sufficient technical know-how but so far components are concerned, we will have to send for them from abroad for our present use and till we are able to make them ourselves. With the passing of time, we will have been making those things here and our imports will have to come down by and by.

Shri Onker Lal Berwa : I had asked which country is expected to be approached for help and how much foreign exchange will be required ?

अध्यक्ष महोदय : कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और किस देश से सहायता ली जायगी ?

श्री हाथी : समिति ने दस वर्षों का कार्यक्रम बनाया है । उसने यह निर्णय नहीं किया है कि देशी पुर्जों के निर्माण में कितनी प्रगति होगी । अत: आरम्भ में यदि हमारा 30 करोड़ रुपये का उत्पादन होगा तो उसका 38 प्रतिशत विदेशी मुद्रा से होगा । बाद में जब हम देशी पुर्जे बनाने लगेंगे तो विदेशी पुर्जे कम हो जायेंगे ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या मंत्री महोदय आयोग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में दी गई मुख्य मुख्य बातों को बता सकेंगे ?

श्री हाथी : रिपोर्ट बहुत व्यापक है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अगले दस वर्षों में हम अपनी आवश्यकताओं की सब वस्तुयें बनाने लगेंगे। उसके लिये उन्होंने सनिक तथा असैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के निर्माण करने के लिये एक क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सर्वप्रथम मैं जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग, उद्योग-मंत्री, अथवा प्रतिरक्षा मंत्री अथवा प्रधान मंत्री में से किस के अधीन है और समन्वय के लिये क्या व्यवस्था की गई है । कुछ समय पूर्व मुझे बताया गया था कि यह उद्योग मंत्री के अधीन था अब प्रतिरक्षा मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं । अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष, स्वर्गीय भाभा, जिन्होने यह रिपोर्ट दी थी, प्रधान मंत्री के नियंत्रण में आते हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है और .....

क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रतिवेदन में चीन के अणुशक्ति विकास का भी उल्लेख है विशेषकर उन समाचारों का ध्यान रखा है जो वाशिगंटन से आ रहे हैं ? यदि अभी तक ऐसा नहीं किया गया तो सरकार कब करेगी ?

श्री हाथी : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है यह सच है कि शुरु में उद्योग मंत्री हम से सम्बन्धीत थे परन्तु अब प्रतिरक्षा मंत्री का संबंध है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अणु शक्ति का संम्बन्ध आप से नहीं है ।

श्री हाथी : यह सही नहीं है । सही यह है कि अणुशक्ति का विकास इलेक्ट्रोनिक्स के बिना असंभव होगा । अणुशक्ति अनुसंधान संस्था तथा अन्य अनुसंधान संस्थाओं के बीच समन्वय प्रतिरक्षा मंत्रालय करता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जब कि अणु शक्ति विभाग प्रधान मंत्री के अधीन है और अणुशक्ति का विकास इलेक्ट्रोनिक्स के विकास से बहुत अधिक सम्बन्धीत है, प्रधान मंत्री का उसमें कोई हाथ नहीं है । क्या चीन के उस विकास, विशेषकर आणुविक हथियारों के विकास की ओर इस रिपोर्ट में ध्यान दिया गया है और यदि नहीं तो आप उसका किस प्रकार विवेचन करेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : क्या मैं इसे समझाऊ ? चीनियों द्वारा आणुविक युध्दास्त्रों के उत्पादन पर इस समिति ने विचार नहीं किया । समिति ने औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक्स के विकास पर चर्चा की ? इसका युध्दास्त्रों के निर्माण से कोई सम्बन्ध नहीं है । वस्तुत: शान्तिकालीन उपयोग के लिये आणुविक शक्ति का विकास इलेक्ट्रो-निक्स उद्योग के विकास पर है । अत: समिति ने इस प्रश्न पर समायोजन की दृष्टि से विचार किया । अणुशक्ति आयोग हमारे प्रधान मंत्री के अधीन है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अणुशक्ति का उपयोग करने के लिये इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों का विकास आवश्यक है । क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि आणुविक शक्ति के विकास को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के विकास की कोई क्रमबध्द योजना बनाई गई है और इस प्रतिवेदन पर प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा देश में सामान्य वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया जायेगा ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोनिक्स के विकास का प्रश्न प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं से संबंधित है तथापि आणुविक युध्दास्त्रों के प्रश्न पर विचार नहीं

किया गया । जहां तक देश में दूसरे अस्त्रों के निर्माण का संबंध है यह इलेक्ट्रोनिक्स के विकास पर निर्भर है ।

डा० रानेन सेन : क्या वैज्ञानिकों के समूह के प्रतिवेदन में जिन्होंने कि इस मामले की काफी जांच की, कोई सुझाव भारत इलेक्ट्रोनिक्स के विस्तार का है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में केवल एक इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग है, ताकि भारत में इलेक्ट्रोनिक्स की वृद्धि हो ?

श्री हाथी : उन्हों ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय ने कहा है कि इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग को दस वर्ष की अवधि में पूरा किया जायेगा । व्यय के हिसाब से इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के निर्माण को हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में किस प्रकार जोड़ा है ?

श्री हाथी : दस वर्षों में कुल मिलाकर 170 करोड़ रुपया इस पर व्यय किया जायेगा और पांच वर्षों में लगभग 70 करोड़ रुपया व्यय होगा । इतने रुपया का प्रबंध किया जा रहा है ?

पाकिस्तान द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र पर कब्जा

+

*509. **श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री लिंग रेड्डी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मौर्य :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध-विराम के पश्चात् पाकिस्तान ने किन-किन स्थानों पर तथा कुल कितने क्षेत्र पर बलात् कबजा किया है और क्या भारतीय सेना ने उन्हें खाली करा लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कितने क्षेत्रपर अभी तक पाकिस्तान का कब्जा है और इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० मु० थामस) : (क) यद्धविराम के पश्चात् पाकिस्तानी राजस्थान सीमा पर कई विछिन्न ग्रामों में घुस आए थे, और उन्होंने फाज़िलका और छम्ब क्षेत्रों में नए सिरे से कई अतिलंघन किए थे । युद्धविराम के पश्चात् पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र की संगणना करना सम्भव नहीं है, चुंकि ऐसे कबज़े अधिकतर केवल विछिन्न स्थानों पर किए गए जिनमें किसी प्रकार का कोई संहत क्षेत्र अन्तर्ग्रस्त न था। राजस्थान में और अन्यत्र भी हम पाकिस्तानियों को उन द्वारा कबज़े में किए कई स्थानों से खदेड़ देने में सफल हुए थे। राजस्थान में ऐसे विछिन्न स्थानों की एक सूची कि जहां पाकिस्तानियों ने कभी कभी अतिलंघन किया और जहां से उन्हें भारतीय सेना द्वारा वास्तविक तौर पर खदेड़ दिया गया, सभा के पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5765/66 ।]** अन्य सभी पाकिस्तानी अतिलंघन जैसे कि ताशकन्द घोषणा में उपबंधित है, पाकिस्तानी सशस्त्र सेविवर्ग के हठ जाने से साफ कर दिए गए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री स० मो० बनर्जी : सूची से यह पता चलता है कि पाकिस्तानियों ने केवल राजस्थान में 29 स्थानों पर अतिलघंन किया तथा दूसरी सूची के अनुसार उन्हें 17 स्थानों से निकाल दिया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी 12 स्थान अब भी पाकिस्तान के कब्जे में है या वहां से निकाल दिये गये ?

श्री अ० म० थामस : वह इस क्षेत्र से निकाल दिये गये और अब वहां हमारा कब्जा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : वक्तव्य से पता चलता है कि 17 स्थानों में से पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया था और उस में से 2 स्थानों पर उन्होंने पुन: कब्जा कर लिया है अर्थात सघेवाता और ब्यूईली पर । इस समय क्या स्थिति है ।

श्री अ० म० थामस : उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच है पाकिस्तानियों ने उन स्थानों को बुरी तरह से नुकसान किया है तथा अपवित्र की है ?

श्री अ० म० थामस : यह सच है कि कुछ स्थानो को जो वे छोड़ गये हैं बुरी तरह खराब कर गये हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : Some of the inhabitants of that place had gone over to Pakistan. What is the policy of the Government about them whether those people who were supporting Pakistan will be called back or not ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जहां तक मुझे पता है, अभी तक वे व्यक्ति नहीं आये हैं परन्तु इस पर विचार किया जायेगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : Just now in this House, hon. member Dr. Lohia had stated that Pakistanies had occupied that area before cease-fire. Does the minister know it and whether minister is in a position to give a statement that occupation of Pakistanies on this was due to the fault of someone ?

श्री अ० म० थामस : युद्ध विराम के बाद जिन चौकियों पर उन्हो ने कब्जा किया था उस बारे में नै एक पुरा बयान दिया है । मैं ने यह भी कहा है कि उन चौकियों पर अब हमने पुन: कब्जा कर लिया है अथवा उन के सैनिक ताशकन्द समझौते के बाद खाली कर गये ।

Shri Ram Sevak Yadav : My point was regarding challenge by Dr. Lohia that Pakistanies occupied these posts when war was going on and it was due to the fault of the police there. I wanted to know as to whose fault was it ?

Mr. Speaker : Was it the fault of the police ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने एक बयान दिया है । डा० लोहिया ने कहा था कि पाकिस्तान ने इन चौकियों में से कुछ पर युद्ध विराम से पहले कब्जा कर लिया था हमने इस बात का इस सदन में ही खंडन किया है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वैसे तो एक पराजित आक्रमक को सारे हानि की पूर्ति करनी चाहिये । परन्तु अब हम ताशकन्द भावना में हैं । राजस्थान के मुख्य मंत्री के वक्तव्यानुसार तो उन्होंने राजस्थान विधान सभा में दिया, पाकिस्तानियों ने मनुवाओं स्टेशन को नष्ट कर दिया तथा पीने के पानी को अपवित्र कर दिया है । क्या मंत्री महोदय का विचार है कि ताशकन्द भाव अभी जीवित है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसा मामला किसी बैठक में भी नहीं उठाया गया। हमारी सूचना के अनुसार भी इसमे से कुछ हानि तो ताशकन्द समझौते के पश्चात की गई । परन्तु इस विषय को अभी देखना है क्योंकि कहीं वह न हमारे विरुद्ध ऐसे ही आरोप लगा दें और वह ताशकन्द समझौते की भावना के विरुद्ध होगा। हम तो उस भावना पर चलना चाहते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं समाचार पत्रों की बात नहीं कह रहा। मैं तो राजस्थान के मख्य मंत्री के वक्तव्य की बात कह रहा हूं । केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब राजस्थान के मुख्य मंत्री मुझ से मिले तो उन्हों ने मुझ से भी कहा था और हमने इस बात पर ध्यान दिया है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, you will recollect that in the last session I put a question to the Defence Minister that Seven Sarpanches of that area of Rajasthan which has been occupied by Pakistan, went over to Pakistan, he kept quiet but now since this secret is out, I want to now whether the minister is now in a a position to tell the truth that being Indian nationals there was the question of their future and what is the reaction of the Government to it ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इसके लिये नोटिस चाहता हूं । वक्तव्य देने से पूर्व मैं अन्य मन्त्रालयों से बात करना चाहूंगा ।

Swami Rameshwaranand : Government has entered into many agreements with Pakistan, the most important of these were three *viz.*, Nehru-Liaqat agreement, Kutch agreement and Tashkent agreement and all these three have been violated by Pakistan. Will Government still honour Tashkent agreement and will it enter into agreements with Pakistan in future ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम ताशकन्द समझौते को निभाना चाहते हैं ।

Swami Rameshwaranand : Mr. Speaker, my question has not been replied to. I asked whether they will enter into agreement with Pakistan in future also ?

Mr. Speaker : Your question has been replied to. Nobody can say anything about the future.

भारत पाकिस्तान संघर्ष में पकड़े गये पाकिस्तानी हथियारों का अध्ययन

+

*510. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने आधुनिकतम (सोफिस्टिकेटेड) हथियारों का, जिस में हाल के संघर्ष में पाकिस्तानी सेना से पकड़े गये सेबर जैट विमान, पैटन टैंक और कोवरा टैंक-भदी प्रक्षेपणास्त्र (मिसाइल) भी शामिल हैं, अध्ययन आरम्भ किया है ;

(ख) क्या उन के मंत्रालय ने वज्ञानिकों, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् तथा अन्य अनुसंधान संस्थाओं से प्रतिरक्षा संबंधी अनुसंधान के लिए विशिष्ट प्रस्ताव देने के लिए कहां है ; और

(ग) क्या उन के मंत्रालय ने देश की प्रतिरक्षा क्षमता को सुधारने के हेतु उपाय करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् के लिए विशेष राशि नियत की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं । तदपि संबंधित क्षेत्रों में रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाएं उपयुक्त अध्ययन कर रहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) : जी हां । रक्षा के लिए रूचि की, कुछ संख्या में प्रयोजनाएं सी० एस० आई० आर० प्रयोगशालाओं, विश्वविद्याल यों और देश में अन्य अनुसंधान संस्थानों को दी गई है । जहां आवश्यक होता है विशेष निधि भी प्राप्त किए जाते हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों के लिये प्रख्यात वैज्ञानिकों की सेवायें प्राप्त की है, और यदि हां, तो इस नई परियोजना के अन्तर्गत कौन कौन से विश्वविद्यालय आते है ?

श्री अ० म० थामस : हम ने प्रख्यात वैज्ञानिकों की सेवाय प्राप्त की हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में 180 प्रतिरक्षा संबंधी परियोजनाओं चल रही हैं । हम ने 41 प्रतिरक्षा संबंधी परियोजनाओं को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों के अधीन सौंप दिया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को प्रतिरक्षा अनुसंधान के लिये कितनी विशेष राशि उपलब्ध की गई है ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का संबंध है, उसे धन राशिकी आवश्यकता नहीं है । वे अपने ही साधनों से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कर रहे है । यदि आवश्यक हुआ तो हम उन्हें अतिरिक्त धन राशि देने को तैयार हैं ।

Shri M. L. Dwivedi : Our defence officers have expressed during the recent Indo-Pak. hostilities that our arms are not upto the standard as compared with Pakistan. May I know whether Government of India would make such arrangements by which it may be ensured in future that our arms and ammunitions are not inferior to that of Pakistan, after getting the arms and ammunitions examined which have been captured from Pakistan and whether an attempt would be made to procure the same quality of arms, as Pakistan possesses ?

श्री अ० म० थामस : यह एक सुस्थापित प्रथा है कि संघर्ष के दौरान पकड़े गये दुश्मन के सब उपक्रमों तथा हथियारों का हमारी सैनिक संस्थाओं तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा अवश्य परिक्षण किया जायेगा । यह परिक्षण किया जा रहा है । इस का मुख्य उद्देश्य ऐसी मुख्य मुख्य बातों का अध्ययन तथा मूल्यांकन करना है जिससे हमें लाभ हो सके । हम हर प्रकार के कदम उठा रहे है । इस में संघर्ष के दौरान पकड़े गये पैटन टैंक तथा कोबराएन्टी मिसाइल का अध्ययन भी शामिल है ।

Shri M. L. Dwivedi : Mr. Speaker, my question was whether after getting the captured arms examined, Government proposed to procure the same quality of arms, which Pakistan possessed. This has not been answered.

Mr. Speaker : This has been answered.

Shri M. L. Dwivedi : The hon. Minister has stated that the arms captured are being examined. May I know whether Government will make an attempt to procure that quality of arms, which is possessed by Pakistan, so that we may meet Pakistan's challenge.

Mr. Speaker : Shri Bhagwat Jha Azad.

श्री भागवत झा आजाद : क्या मंत्रालय द्वारा किया जा रहा अध्ययन केवल अमरीकन सैबर जैट तथा जर्मन टैंक वेधी प्रेक्षपणास्त्रों तक ही सीमित है अथवा इस में हमारे राष्ट्रमंडलीय मित्र ब्रिटन द्वारा पाकिस्तान को दिये गये, गत युद्ध में पकड़े गये हथियार भी शामिल हैं ?

श्री अ० म० थामस : इस अध्ययन में हर प्रकार के हथियार शामिल हैं ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि हम अपने हथियारों की किस्मों में सुधार करें तथा जहां तक युद्ध के हथियारों का सम्बन्ध है अपनी सैन्य शक्ति बढ़ायें, और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अ० म० थामस : अनुसंधान तथा विकास संगठन यह कार्य कर रहा है और कुछ सीमा तक विभिन्न निरीक्षक कार्यालय भी यह काम कर रहे हैं । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किये जा रहे काम का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं । इस का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है ।

श्री सुबोध हंसदा : भारत-पाक संघर्ष में पैटन टैंकों को तोड़े जाने के बाद, उन का अध्ययन कर के अमरीकी प्रतिरक्षा विशेषज्ञों ने जो मत व्यक्त किया था, क्या हमारे प्रतिरक्षा वैज्ञानिक अथवा प्रतिरक्षा विशेषज्ञ उससे सहमत हैं, और यदि हां, तो कहां तक ? यदि वे सहमत नहीं है, तो हमारे हथियार उन से कितने बढ़िया है ताकि दूसरे हथियारों को भी बेकाम किया जा सके ?

श्री अ० म० थामस : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य किस बात का उत्तर चाहते है । उस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है ।

श्री रंगा : विभिन्न विश्वविद्यालयों को प्रतिरक्षा अनुसंधान के कार्य में दिलचस्पी लेने के लिये उत्साहित करने के अतिरिक्त, क्या हमें यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि प्रतिरक्षा अनुसंधान शाखा को उचित रूप से शक्तिशाली बनाया गया है तथा इसे और अधिक शक्तिशाली बनाया जायेगा ?

श्री अ० म० थामस : यह सच है कि हमारे सामने पेश आनेवाली समस्याओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और अनुसंधान तथा विकास संगठन को भी यथासंभव शक्तिशाली बनाया जा रहा है ।

श्री रंगा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने तथा उपक्रमों में सुधार करने के लिये कार्यवाही की है ?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में अनुसंधान तथा विकास संस्थान के अधीन 32 से 35 तक संस्थान है तथा इन्हें अधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या प्रतिरक्षा अनुसंधान संस्थान के सुधार एवं विस्तार के परिणामस्वरूप उन्हें प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित विशेष कार्य और अन्य कार्य भी सौंपे जायेंगे ?

श्री अ० म० थामस : जी हां ।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या इन आधुनिक हथियारों का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने के लिये हथियारों के निर्माण में विदेशी सहयोग प्राप्त करने का सरकार का प्रस्ताव है और यदि है तो कौन से देशों से यह सहयोग प्राप्त किया जायेगा तथा इस की कैसी संभावना है ?

श्री अ० म० थामस : हमारे अनुसंधान तथा विकास संस्थान में सहयोग का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है । इस का प्रबन्ध मुख्यतया हमारे वैज्ञानिकों तथा प्रविधिकों के हाथ में है । जहां तक हमारे उत्पादन संस्थानों का संबंध है उन में कुछ वस्तुएं विदेशी सहयोग से बनाई जा रही हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : कुछ समय पहले समाचारपत्रों में यह समाचार छपा था कि इन आधुनिक हथियारों के प्रयोग का अध्ययन करने के लिये अमरीका तथा ब्रिटेन से एक विदेशी दल भारत और पाकिस्तान आना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि और यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अ० म० थामस : मुझे इस की जानकारी नहीं है।

श्री वारियर : इस बात को देखते हुये कि हमारे अनुसंधान संस्थानों में केवल हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, क्या इन आधुनिकतम हथियारों का प्रशिक्षण करने के लिये किन्हीं विदेशी वैज्ञानिकों की सेवायें प्राप्त की जा रही हैं ?

श्री अ० म० थामस : यदि स्थिति का एक पहलू से मूल्यांकन किया जाय तो विदेशी वैज्ञानिकों का सहयोग प्राप्त करना हमारे लिये न्यायोचित नहीं है, दूसरे हो सकता है कि विदेशी वैज्ञानिक हमारे अनुसंधान संस्थानों में आने और अपनी जानकारी बताने को तैयार नहीं हों, इस लिये दोनों ही तरह से इस संबंध में हमारा कार्यक्षेत्र सीमित है।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या हमारी प्रतिरक्षा वर्कशापों में दुशमन से पकड़ी गई सब चीजों की मरम्मत की गई है और क्या जिन चीजों की फालतू पुर्जों की कमी के कारण मरम्मत नहीं की जा सकी उन्हें प्रतिरक्षा मंत्रालय अमरीका तथा ब्रिटेन वापस भेजने का प्रयत्न कर रहा है ताकि उस के बदले में हमें वे उपकरण प्राप्त हो जायें जिनका हम पहले से प्रयोग कर रहे हैं ?

श्री अ० म० थामस : हम ने उन गाड़ियों की मरम्मत करने का कोई कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया हैं, हालांकि हम हथियारों का बहुत सुक्षमता से अध्ययन कर रहे हैं।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या उन चीजोंके बदले जिनकी यहां मरम्मत नहीं की जा सकती, हम अमरीका तथा ब्रिटेन से अन्य चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते है ?

श्री हेम बरूआ : क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रपति अय्यूब खां के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि काश्मीर के न्यायोचित हल के बाद दोनों देशों की सैनिक शक्ति कम की जाय और यदि हां, तो इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने पाकिस्तानी सूत्रों से अथवा अमरीकी सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है कि पाकिस्तान के पास अभी अमरीकी हथियारों और साजसामान का कितना भंडार है ?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में हमारी सैनिक तैयारी चीन के खतरे से संबंधित है अतः हम अपने प्रयत्नों में जरा भी ढील नहीं कर सकते। राष्ट्रपति अय्यूब खां ने जो कुछ कहा है उसकी विशेष सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है, अतः मैं इस प्रश्न का 'हां' या 'नहीं' में उत्तर नहीं दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। श्री बागड़ी का प्रश्न 25 तारीख की प्रश्नों की सूची में रख दिया गया है, इस की उन्हें स्वयं जानकारी नहीं है।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

Question Hour over.

गैर-सरकारी कोयला खान मालिकों द्वारा अधिलाभांश की अदायगी

+

अ०सू०प्र०8. डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश गैर-सरकारी कोयला खान मालिकों द्वारा 4 प्रतिशत की परिनियत न्यूनतम दर पर अधिलाभांश न दिये जाने के कारण खनन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आन्दोलन किये जा रहा हैं तथा असंतोष व्याप्त है;

(ख) क्या इसके विरोध स्वरूप देश भर में खनन व्यवसाय कार्मिक संघ के नेताओं तथा श्रमिकों ने भूख हड़ताल कर रखी है; और

(ग) अधिलाभांश की अदायगी अधिनियम के उपबन्धों का खान मालिकों द्वारा पालन किया जाये इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों के संगठनों से पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह लिखा है कि बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस नहीं दिया गया है। पत्रों में यह धमकी भी दी गई है कि यदि मैनेजमेंटों ने अधिनियम के उपबन्धों का पालन नहीं किया तो वे सीधी कार्यवाही करेंगे।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इंडियन माइन वर्कर्स फेडरेशन के प्रधान मंत्री, श्री कल्याण राय, और बंकोला कोयला खान के छंटनी किए गए एक मज़दूर ने 2-3-1966 से भूख हड़ताल कर रखी है। यह भी रिपोर्ट मिली है कि सिंगरेनी कोलियरीज़ वर्कर्स यूनियन (ए०आई०टी०यू०सी०) के अध्यक्ष डा० राज बहादुर गौड़ ने 1 से 3 मार्च, 1966 तक भूख हड़ताल की और इंटक, चांदमेटा के उपाध्यक्ष, श्री श्यामलाल बाल्मीक ने 8 मार्च, 1966 से अनशन कर रखा है।

(ग) मालिकों को सलाह दी गई है कि वे 31 मार्च, 1966 तक अपने श्रमिकों को बोनस का भुगतान पूरा कर दें और ऐसा न करने पर बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

डा० रानेन सेन : गत जनवरी से विभिन्न केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों से सम्बद्ध कई कार्मिक संघ कोयला खान मालिकों द्वारा बोनस भुगतान अधिनियम के उपबन्धों का पालन न करने की शिकायत कर रहे हैं। गत तीन महीनों में सरकार इस संबंध में क्या करती रही है कि परिनियत अधिलाभांश विनियमों का खान मालिकों द्वारा पालन किया जाये ?

श्री शाहनवाज खां : भारतीय खनन संघ (इण्डियन माइनिंग एशोसियेशन) ने बोनस के भुगतान के लिये निर्धारित अवधि को बढ़ाने की मांग की थी। मुख्य श्रमायुक्त ने जो इस संबंध में सक्षम-प्राधिकारी है इस अवधि को 31 दिसम्बर, 1965 तक बढ़ाया था। इस के बाद प्रबन्धकों ने पुनः प्रार्थना की कि कोयले के मूल्यों में वृद्धि को 24 दिसम्बर से मंजूर किया गया है और वे इस वृद्धि के फलस्वरूप मिलने वाली धनराशि को इकट्ठी नहीं कर सकें है, इस लिय इस अवधि को कुछ और समय के लिये बढ़ा दिया जाय। यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। परन्तु बाद में इसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया। मुझे बताया गया है कि उन में से अधिकांश इस अवधि के अन्दर भुगतान करने का हर संभव प्रयत्न करने को सहमत हो गये हैं।

डा० रानेन सेन : बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत मालिकों के लिये यह बाध्य है कि वे 4 प्रतिशत अथवा 40 रुपये इन में से जो अधिक हों बोनस के रूप में दें, चाहे उनका कारोबार हानि से चल रहा हो अथवा नहीं। उक्त अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत सरकार को

यह अधिकार है कि यदि नियोजक कर्मचारियों को बोनस नहीं देते है, तो वह उन्हें प्रमाणपत्र दे सके, जिस से उन्हें बोनस की राशि प्राप्त हो सके। मैं जानना चाहता हूं कि इन स्पष्ट धाराओं के होते हुये भी सरकार नियोजकों के प्रति इतनी नरमी क्यों दिखा रही है, जबकि वह इस सभा द्वारा पारित किये गये बोनस भुगतान अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह सच है कि उन्होंने बोनस के भुगतान में विलम्ब किया है, परन्तु उन्होंने सरकार से प्रार्थना की थी कि बोनस भुगतान की अवधि को बढ़ाया जाय, क्योंकि कोयले के मूल्य में वृद्धि को केवल गत दिसम्बर मास में मंजूर किया गया था, और वे इस राशि को एकत्रित नहीं कर सके थे, जिस से कि उन्हें बोनस का भुगतान करना था। उन्होंने फिर सरकार से प्रार्थना की थी कि वह बोनस की राशि का चार किस्तों में भुगतान करने को तयार हैं, परन्तु कर्मचारी इसे स्वीकार करने को सहमत नहीं थे। जब वे मेरे पास आये तो मैं ने उन से कहा था कि वे कार्मिक संगठनों से बातचीत करें तथा जिस प्रकार वे सहमत है बोनस का भुगतान किया जाय। पिछले महीने जब मैं कोयले के खेतों में गया हूआ तो मैं ने नियोजकों तथा कर्मचारियों को इस उद्देश्य से बुलाया था कि क्या उनके बीच कोई मैत्रीपूर्ण समझौता किया जा सकता है अथवा ऐसा कोई हल निकाला जा सकता है, जो दोनों पक्षों को मान्य हो। नियोजकों ने इस बात पर जोर दिया था कि उनके पास बोनस का भुगतान करने के लिये रुपया नहीं है। कोयला खानों को कुल लगभग 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। मैं ने उन्हें सलाह दी थी कि वे समूचे कोयला उद्योग पर विचार न करें, बल्कि जितने एकक बोनस का भुगतान करने की स्थिति में है वे अपने कर्मचारियों को बोनस दे दें, जो बोनस का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है वे अधिनियम के परिणामों का सामना करें। अन्ततः कार्मिक संघों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हो गये थे कि यदि मार्च के अन्त तक सारे बोनस का भुगतान किया गया तो वे सीधी कार्यवाही नहीं करेंगे। वास्तव में औपचारिक रुप से बोनस का भुगतान करने की अवधि को नहीं बढ़ाया गया है। यह एक महीने का और समय एक प्रकार से कर्मचारियों ने स्वयं नियोजकों को दिया है। इस बात का स्पष्टीकरण मांगने के लिये कि बोनस के भुगतान में विलम्ब क्यों किया गया क्षेत्रीय श्रमायुक्त ने नियोजकों को कोई नोटिस नहीं दिया है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि धारा 10 और धारा 21 का उल्लंघन हस्तक्षेप्य अपराध है और यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्षेत्रीय श्रमायुक्त अथवा मुख्य श्रमायुक्त ने इस बात की प्रतीक्षा क्यों कि जब कार्मिक संघ नेता (चाहे वे आई०एन०टी०यू०सी० के हों अथवा ए०आई०टी०यू०सी० के हों) भूख हड़ताल न करें तब तक कोई कार्यवाही न की जाये तथा उन्होंने सीधी कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की और इन उपबन्धों को लागू कराने के लिये उन की जायदाद कुर्क क्यों नहीं कराई ?

श्री जगजीवन राम भुगतान न करने वाले नियोजकों को पहले ही बहुत से नोटिस दिये गये हैं तथा उन का स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने यह तर्क पेश किया है कि वे सरकार से कोयले के मूल्यों में और वृद्धि करने की प्रार्थना करते रहे हैं, और जैसा कि मैं ने कहा है कर्मचारियों ने स्वयं उन्हें एक महीने का और समय दे दिया है, इसके समाप्त होने पर उन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रभात कार : इस बात को देखते हुए कि बोनस अधिनियम में केवल धारा 10 ही श्रमिकों के लिये लाभदायक है, सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिये कि श्रमिकों को न्यूनतम बोनस दिया जाये, क्या कार्यवाही करने का विचार है ? आज देश के हर उद्योग में न्यूनतम 4 प्रतिशत बोनस नहीं दिया जा रहा है तथा इस के परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जब कि श्रमिक भूख हड़ताल पर उतारु हों जायेंगे। बोनस के भुगतान के लिये मुख्य श्रमायुक्त ने 31 दिसम्बर, को अन्तिम तिथि निश्चित किया था, परन्तु बोनस का भुगतान न करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा नियोजकों को भुगतान करने के लिये नहीं कहा गया। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अपने कर्मचारियों को बोनस दे दिया है तथा केवल गैर सरकारी नियोजक ही कोयले

[श्री प्रभात कार]

के मूल्य में वृद्धि की शिकायत कर रहे हैं और अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं दे रहे हैं। जब कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने बोनस दे दिया है और गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योग बोनस नहीं दे रहे हैं, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्री जगजीवन राम : मैंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, मैं उस से अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यदि बढ़ाये हुये समय में वे बोनस नहीं देते हैं, तो उन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अ० प्र० शर्मा : बोनस अधिनियम बनने से पहले श्रमिकों को विभिन्न उद्योगों में बोनस प्राप्त करने के लिये कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था क्यों कि वे नियोजकों से वार्ता करते रहते थे और नियोजक उन्हें बोनस दे देते थे। अब क्या यह सच नहीं है कि बोनस अधिनियम बनने के बाद नियोजकों का रवैया ऐसा हो गया है जो श्रमिकों को सीधी कार्यवाही करने के लिये बाध्य करता है, इस लिये सरकार उन नियोजकों के विरुद्ध और विशेषतया गैर सरकारी नियोजकों के विरुद्ध जो बोनस अधिनियम को समाप्त करना चाहते है, क्या विशेष कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य को शायद भ्रम है कि कुछ उद्योगों में सामूहिक बातचीत द्वारा बोनस दिया जाता था। बोनस भुगतान अधिनियम के अधीन कुछ उद्योगों में बोनस नहीं दिया जाता था। अब सब उद्योगों में न्यूनतम 4 प्रतिशत बोनस देने का उपबन्ध है। इस में कोई संदेह नहीं कि जिन उद्योगों में बोनस भुगतान अधिनियम पारित होने से पहले बोनस नहीं दिया जाता था, उन के नियोजक इस का विरोध कर रहे हैं। अब उन्हें न्यूनतम 4 प्रतिशत बोनस देना पड़ता है। इस सम्बन्ध में हम श्रमिकों तथा नियोजकों के बीच समझौता कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि यह समझौता नहीं हुआ तो बोनस भुगतान अधिनियम में उपबन्धित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

Shri Bade : The mine-owners had put this condition that bonus would be paid only if coal prices are raised. May I know whether they have lifted this condition or whether Government have accepted their condition that bonus may be paid, when prices are increased ? When non-payment of bonus is a cognizable offence, why notices were not served to them and why no legal action was taken against them ?

Shri Jagjivan Ram : The fact is that the coal mine onwers want the prices to be raised. There had been some increase in the prices also. But we do not accept this condition that bonus would be paid, if prices are increased. They are bound to pay bonus under all circumstances by 31st March, failing which legal action will be taken against them. No legal action has been taken so far because we were trying to find out a way for mutual agreement. It would have not been either in national interest or in the interest of the workers that out of 800 collieries 200 collieries are closed down on the question of bonus.

श्री काशीनाथ पांडे : इस बात को देखते हुये कि यह शिकायत कि नियोजक न्यूनतम बोनस के भुगतान में इस लिये विलम्ब कर रहे है कि वे उच्चतम न्यायालय में जाने को तैयार हैं, चाहे उन्हें हानि ही क्यों न उठानी पड़े, एक अथवा दो कोयला खानों की नहीं अपितु सामान्यतः सब उद्योगों की है, क्या मंत्री महोदय के विचार में यह उचित नहीं है कि इस से पहले कि श्रमिकों को सीधी कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़े, दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिये एक सम्मेलन बुलाया जाये ?

श्री जगजीवन राम : हम ऐसा ही करते रहे हैं। वास्तव में कुछ उद्योगों ने बोनस का भुगतान कर दिया है। कुछ उद्योगों ने न्यूनतम बोनस देना चाहा था परन्तु श्रमिकों ने यह कहकर कि उन्हें अधिक बोनस मिलता रहा है अतः वही मिलना चाहिये, इसे लेने से इंकार कर दिया है।

परन्तु जहां कहीं भी मामला अधिक बढ़ जाता है संबंधित सरकारें श्रमिकों तथा नियोजकों के बीच फैसला कराने का प्रयत्न करती हैं और ऐसा हल निकालने का प्रयत्न करती ह, जो दोनों पक्षों को मान्य हो ।

Shri Ram Sewak Yadav : Under the Payment of Bonus Act the Central Labour Commissioner is authorised to serve notices and take other legal action. May I know whether the Labour Commissioner took up the matter of issuing notice etc. before they resorted to hunger strike or he took up the matter only when they resorted to hunger stike?

Shri Jagiivan Ram : Much before hunger strike.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : प्रश्न यह नहीं है कि बोनस दिया जाता है अथवा नहीं । प्रश्न यह है कि जिस आसानी से कोयले की कीमतों में वृद्धि कर दी जाती है उस के द्वारा वे अपने सभी दायित्वों को पूरा कर सकते है । अत: सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिये कि क्या कोयले के मूल्यों में अग्रेतर वृद्धि करने के पूर्व मूल्य पुनरीक्षण समिति की स्थापना कर दी जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : दुर्भाग्य से यह प्रथा रही है कि जब भी श्रमिकों को कोई लाभ दिया जाता है, तो कोयले के मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है ताकि खान मालिकों को श्रमिकों के लाभों में वृद्धि के कारण जो अधिक भुगतान करना पड़ता है, उस की पूर्ति की जा सके ।

श्री वारियर : इस बात को देखते हुये कि सरकार ने दिसम्बर में कोयले के भावों में वृद्धि करना मंजूर कर लिया है और खान मालिकों ने यह तर्क पेश किया है कि वे इस वृद्धि की राशि को एकत्रित नहीं कर सकें हैं, सरकार इस तर्क से सहमत क्यों हो गई कि यह धन राशि एकत्र करने के बाद बोनस का भुगतान किया जाये ? क्या इसके लिये अधिनियम में कोई उपबन्ध है ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य ने यह अनुमान कैसे लगा लिया कि सरकार इस तर्क से सहमत हो गई है । हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं ।

Shri Rameshwaranand : I want to state that the owners do not observe the rule formulated by Government and the poor labourer does not get his due. The voice of the labourer is not heard by Government and Government's attention goes towards it when the situation takes an ugly turn. I want to know do the Government take some pleasure in responding to the public demand after concerned people are compelled to take extreme steps.

Shri Jagjivan Ram : Government hear the voice of the people at first instance also. I want to draw the hon. Member's attention to my reply to Shri Ram Sewak Yadav's question that the matter of issuing notice etc. was taken up much before hunger strike was resorted to.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को पता है कि भारत में श्रमिकों को बोनस देने का समूचा प्रश्न, जीस में कोयला खानों तथा अन्य उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक भी शामिल हैं, अनिर्णीत पड़ा है, क्योंकि बहुत से मामले संबंधित उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में ले जाये गये हैं और इन मामलों में निर्णय करने में विलम्ब किया जा रहा है जिससे संबंधित न्यायधिकरणों और राज्य सरकारों के लिये नियोजकों पर बोनस देने के बारे में दबाव डालने के निर्णय करना कठिन हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उच्चतम न्यायालय में सरकार के कानूनी सलाहकारों द्वारा कार्यवाही शीघ्र कराई जाये ताकि धारा 10, 34 और अन्य धाराओं के मूलभूत प्रश्नों पर अन्तिम रुप से निर्णय किया जा सके ?

श्री जगजीवन राम : यह सच है कि कुछ नियोजक इस बात पर अड़े हुये है कि अनेक मामले कई उच्च न्यायालयों में और एक मामला उच्चतम न्यायालय में में भी अनिर्णीत पड़ा हुआ है। यह सौभाग्य की बात है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में आया है। हम इस पर उच्चतम न्यायालय का शीघ्र निर्णय दिलाने के बारे में हर संभव प्रयत्न करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Commercial Advertisements Through A.I.R.

*512. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri B. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri R. Barua :
Shri R. S. Pandey :
Shri Daljit Singh :
Shri Dharmalingam :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) the stage at which the proposal to broadcast specified type of commercial advertisements through All India Radio and Television rests at present ;

(b) the outlines of the commercial publicity programmes ; and

(c) the gain likely to accrue to A.I.R. and the Television therefrom ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) to (c). The matter is still under consideration.

देश के अन्य भागों के साथ आसाम के सम्पर्क साधनों को मजबूत करना

*513. **श्री नारायण दास :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा की दृष्टि से देश के अन्य भागों के साथ आसाम के सम्पर्क-साधनों को बढ़ाने, मजबूत करने तथा उनका विविधकरण करने के प्रश्न पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन का क्या परिणाम निकला है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इस मामले पर विचार किये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या आसाम सरकार ने इस बारे में कोई सुझाव दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये है तथा उन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ) तक : असम तथा देश के अन्य भागों के दर्मियान संचार सम्पर्कों में उन्नति करने का प्रश्न समय समय पर रक्षा दृष्टिकोण सहित पुनरीक्षित किया गया है। फलस्वरूप सड़कों, रेलों, अन्तरिक्ष तथा टेलीसंचार सम्पर्कों से संबंधित प्रायाजनाओं की एक संख्या या तो कार्यान्वित की जा रही हैं या उनका निरीक्षण किया जा रहा है। असम सरकार से कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे, और वह निरीक्षण अधीन है। विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध

*514. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री वारियार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री स० मो० बनर्जी
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री प्र० चं० बरूआ : **श्रीमती सावित्री निगम :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री राजदेव सिंह :**

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के नेता ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान पूर्वी जर्मनी तथा भारत के बीच सामान्य राजनयिक संबंध स्थापित किये जाने के बारे में जोरदार दलील पेश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह बात भी कही है कि भारतीय प्राधिकारियों ने उन के देश की सरकारी स्तर पर की गई काफी बड़े ऋण की पेशकश को स्वीकार करने के बारे में अभी तक अपनी रजामन्दी प्रकट नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य व्यापार प्रतिनिधित्व के अध्यक्ष ने, जो कि भारत में रहते हैं, कई मौकों पर सुझाव देते हुए कहा है कि भारत और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। इस मसले पर श्री जवाहरलाल नेहरू ने 17-8-1961 को लोकसभा में वैदेशिक-कार्य की बहस के बीच बोलते हुए सरकार की नीति पहले ही व्यक्त कर दी है और तब से परिस्थितियों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया है जिससे भारत सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़े।

(ग) जी हां।

(घ) जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य की सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई शर्तें भारत सरकार को नहीं जचीं।

Hindi Broadcasts

***515. Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Daljit Singh :**

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether in their efforts to make Hindi broadcasts in simple Hindi, it is being Urdu oriented ;

(b) if so, whether any direction has been issued in this matter at the Ministerial level ; and

(c) if so, the detaiis thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना

***516. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान स्थायी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना बनाने के अमरीका के प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा किए गए ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आवडी में टैंकों का निर्माण

*517. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री गोकुलानन्दन महन्ती :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री राम हरख यादव :
श्री विभुति मिश्र :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरूआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी वैहिकल्स फैक्टरी, आवडी में पहला टैंक बन कर तैयार हो गया है;

(ख) क्या इसका निर्माण देश में बने पुर्जों से किया गया है और इस पर कितनी लागत आई तथा यह प्रयोग में कैसा सिद्ध हुआ है;

(ग) यह निर्धारित समय से कितने महीने पहले बनकर तैयार हुआ है; और

(घ) कितना औसत वार्षिक निर्माण होने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) पहली प्रावस्थाओं में देशीय अंश तुलना में कम होगा, परन्तु अगले तीन वर्षों के अन्दर 80 प्रतिशत देशीय अंश की सीमा प्राप्त करने के लिए उत्पादन आयोजित किया गया है ।

टैंक की वास्तविक लागत अभी निर्धारित की जानी है ।

पहला उत्पादन टैंक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ पाया गया है ।

(ग) वह शेड्यूल के अनुसार बाहर आया ।

(घ) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफट लिमिटेड में हैलीकाप्टरों का निर्माण

*518. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री काजरोलकर :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने बंगलौर में पुर्जे जोड़कर अलोवेट्टी हैलीकाप्टरों की पहली खेप तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) हैलिकाप्टरों के कई संघटकों और हिस्सों का खास पदार्थों से निर्माण अगले तीन मास के अन्दर अन्दर बंगलौर में शुरू होने की प्रत्याशा है। इन संघटकों और हिस्सों से तैयार किए गए हैलिकाप्टर मार्च/अप्रैल 1967 से शुरू हो कर 1967 के दौरान वितरण करने की प्रत्याशा है।

Survey of Himalayas

*519. **Shri D. N. Tiwary** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have made any efforts for making a thorough survey of the Himalayas from the strategic viewpoint ;

(b) whether Government's attention has been drawn to the suggestion put forward in this regard by the Chairman of Indian Council of World Affairs at the Himalaya Seminar organised by the Indian School of International Studies and the Delhi School of Economics in the third week of December, 1965; and

(c) if so, the action contemplated in the matter ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) The survey of the Himalaya from all necessary angle is included in the overall programme of the Survey of India.

(b) and (c). A reference is invited to the statement made in the Lok Sabha on 2nd March, 1966 by the Education Minister in answer to Unstarred Question No. 1373.

आयुध कारखाने

*520. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में स्थापित हुए कुछ आयुध कारखाने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन आरम्भ करने में असमर्थ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) काम की गति को तेज करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे जल्दी से जल्दी चालू हो जायें, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग): पिछले दो या तीन वर्षों में निम्न फक्ट्रियाँ चालू की गई हैं :—

(1) आयुध कारखाना, चण्डीगढ़ शड्यूल के अनुसार 1963 में चालू किया गया था।

(2) एन०सी० पौडर और पिक्राईट के पर्याप्त उत्पादन के साथ आयुध कारखाना भण्डारा उसकी पहली प्रावस्था के लिए, शड्यूल के अनुसार दिसम्बर 1964 में चालू किया गया था।

(3) आयुध कारखाना, वरंगांव। कारखाना 15 आक्तूबर 1964 में चालू किया गया था और शड्यूल से कुछ मास पछड़ कर, उसके 1966 के दौरान में पूर्ण-क्षमता तक पहुंच पाने की प्रत्याशा है।

(4) हैवी विहिकल फैक्ट्री, आवड़ि में पहला मझौला टैंक (विजयन्त) असम्बली लाइन से शड्यूल के अनुसार 29 दिसम्बर 1965 को बाहर आ गया था।

कुछ आरंभिक कठिनाइयां सामने आई हैं और एक दो मामलों में पूरी क्षमता के उत्पादन में आयात मदों में विलम्ब के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। आवश्यक उत्पादन के निष्पावन के लिए उपाय जोरों से किए जा रहे हैं।

चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना

*521. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महा सभा की हाल की बैठक में चीन को संयुक्त राष्ट्र महा सभा का सदस्य बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में भारत का दृष्टिकोण क्या था ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रश्न पर भारत की सुस्थिर नीति के अनुरूप, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित उस प्रस्ताव के विरुद्ध वोट दिया जिसमें घोषणा की गई थी कि चीन लोक गणराज्य का प्रतिनिधित्व एक "महत्वपूर्ण" प्रश्न है और उसके निर्णय के लिए दो-तिहाई के बहुमत की आवश्यकता है और एक अन्य प्रस्ताव का समर्थन किया जो पास नहीं हुआ और जिसमें चीन लोक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र में सारे अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी।

Protest Notes Re : Cease-Fire Violations to Security Council

*522. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade:
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of protest notes sent to the Security Council till the 31st December, 1965 by Government on the subject of the cease-fire violations by Pakistan; and

(b) the results thereof ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) The Permanent Representative of India to the United Nations addressed 51 letters to the U.N. Secretary General, bringing to his attention 1830 cases of case-fire violations by Pakistan till the end of December, 1965.

(b) These letters were circulated by the U. N. Secretariat to all Members of the United Nations as Security Council documents. The cases were investigated by the U.N. Observers and their findings included in the reports issued by the Secretary General on the observance of the cease-fire. These reports were also circulated as Security Council documents.

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के कैडेट

*523. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल सीनियर और जूनियर डिवीज़न के (अलग-अलग) कल कितने कैडेट है;

(ख) प्रत्येक डिवीज़न में कितनी महिला कैडेट है; और

(ग) क्या यह योजना सभी स्कूलों और कालेजों में अनिवार्य कर दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : 31 दिसम्बर, 1965 को उत्तर प्रदेश में एन० सी० सी० छात्रों की संख्या शक्ति इस प्रकार थी :—

	वरिष्ठ डीवीजन एन०सी०सी०	कनिष्ठ डिवीजन एन०सी०सी०
एन०सी०सी० छात्रों की संख्या .	1,73,400	35,850
एन०सी०सी० छात्राओं की संख्या . . .	13,200	2,500

(ग) कुछ विमुक्त श्रेणियों को छोड़कर स्नातक श्रेणी कालिजों और विश्वविद्यालयों के सभी सक्षम शरीर अधिस्नातक पुरूष छात्रों के लिए एन०सी०सी० प्रशिक्षण अनिवार्य है, और शेष सभी के स्वैच्छिक ।

ब्रिटिश सरकार से आश्वासन

*524. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** **श्री प्र० के० देव :**
श्री प० ह० भील : **श्री कृष्णपाल सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटिश सरकार से आश्वासन प्राप्त हुआ है कि यदि चीन भारत पर आक्रमण करेगा तो ब्रिटेन भारत की सहायता करेगा; और

(ख) यह आश्वासन किन शर्तों पर दिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : ब्रिटिश सरकार ने कई अवसरों पर कहा है कि अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो वह भारत सरकार के अनुरोध पर, इस प्रकार के हमले का मुकाबला करने में भारत से इसपर सलाह करने को तत्पर रहेगी कि उसकी सहायता के लिए कौन से साधन सुलभ किए जायं। बहरहाल हाल में भारत ने औपचारिक तौर पर ब्रिटिश सहायता का आश्वासन नहीं मांगा और न ब्रिटिश सरकार ने दिया है।

विदेशों को भेजे गये विशेष दूतों द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य

*525. **श्री कपूर सिंह :**

श्री प्र० के० देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 दिसम्बर, 1965 के "मार्च आफ दि नेशन" (साप्ताहिक) के पष्ठ 4 पर छपे हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्रधान मंत्री द्वारा भारत के दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करने के लिये बहुत से देशों को हाल में भेजे गए विशेष दूतों ने काश्मीर आदि के बारे में बहुत से परस्पर-विरोधी वक्तव्य दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार को देख लिया लेकिन पूछताछ करने पर पता चला कि प्रधान मंत्री के दूतों ने वे परस्पर विरोधी बयान नहीं दिए थे जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने दिए थे।

वैदेशिक कार्यों के लिये नीति निर्धारण बोर्ड

*526. **श्री प्र० चं० बरूआ :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य के लिये नीति निर्धारण बोर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : विदेश मंत्रालय में नीति योजना संगठन स्थापित करने के प्रश्न की सक्रिय रूप से पड़ताल की जा रही है। आशा है कि श्री एन० आर० पिल्ले की अध्यक्षता में भारतीय विदेश सेवा पुनरीक्षण समिति भी इस प्रश्न पर विचार करेगी और सिफारिशें देगी। इस विषय के सभी पहलुओं पर पूरी तरह विचार कर लेने के बाद फैसला किया जाएगा।

छावनी क्षेत्रों में नागरिक सुविधायें

*527. **श्रीमती अकम्मा देवी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के छावनी क्षेत्रों में रहने वाले असैनिक (सिविलियन) लोगों को सुविधाओं के मामले में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि असैनिक लोगों के पास की पंचायती स्थितिओं द्वारा दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं का लाभ उठाने से रोका जाता है; और

(ग) यदि हां, तो असैनिक लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सुख साधनों और सुविधाओं के संबंध में अनभूत कठिनाइयों के बारे में छावनी क्षेत्रों में रहने वाले असैनिकों से समय समय पर सरकार को प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) निधियों की प्राप्यता के आधार पर सहायता के लिए नागरिक सुख साधन उपलब्ध करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए समय समय पर छावनी बोर्डों को अनुदान दिए जाते हैं ।

रानी गायदेलु की प्रधान मंत्री से भेंट

*528. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागाओं की रानी गायदेलु हाल में दिल्ली में प्रधान मंत्री से मिली थीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या रानी के साथ नागालैंड में प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी कुछ विशिष्ट प्रस्तावों पर बातचीत हुई थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। रानी गायदेलु 24 फरवरी को प्रधान मंत्री से मिलीं ।

(ख) जी नहीं ।

अमरीकी शिष्टमण्डल का प्रतिवेदन

*529. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री दो महीने पहले भारत में आये अमरीकी शिष्टमंडल के प्रतिवेदन के संबंध में, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि हो सकता है कि विश्व समाज को दोनों देशों पर काश्मीर समस्या का हल थोपना पड़े, यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : कांग्रेसी अध्ययन मिशन द्वारा व्यक्त किए गए विचार उसके अपने है। काश्मीर में सरकार की स्थिति के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है यानी जम्मू तथा कश्मीर राज्य भारतीय संघ का अभिन्न अंग है और हमारी प्रभुसत्ता पर बातचीत नहीं की जा सकती। इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी बाहरी शक्ति का हम पर कथित हल लादने का सवाल ही नहीं उठ सकता ।

विकलांग सैनिक कर्मचारी विधवा तथा अनाथ निधि

*530. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने नियम बनाने के अपने अधिकार के अन्तर्गत विकलांग सैनिक कर्मचारी विधवाओं तथा अनाथों के लिये निधि में दिये गये अंशदान को आयकर से छूट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस निधि में अब तक कितना अंशदान दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस निधि में रूचि बढ़ाने तथा अधिक अंशदान देने के हेतु प्रोत्साहन देने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय किये गये हैं और ये उपाय कहां तक प्रभावकारी रहे?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) निधि के लिए दिए गए दानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अधीन छूट देने के उद्देश्य के लिए आयकर कमिशनर दिल्ली और राजस्थान ने इस निधि का अनुमोदन किया है। ऐसे अनुमोदन वित्त मंत्रालय के नियम निर्माण अधिकार के अधीन नहीं दिए जाते।

(ख) इस निधि के लिए प्राप्त अंशदान 3518794.17 रुपये और अब तक निधि के खाते में जमा कर दिए गए है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और नेपाल में नदियों को उपयोगी बनाना

*531. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री मधु लिमये :
श्री वसुमतारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई और बिजली के लिये भारत और नेपाल की नदियों का उपयोग करने के हेतु एक संयुक्त दीर्घकालीन बृहद् योजना तैयार करने के सम्बन्ध में नेपाल स्थित भारतीय राजदूत के सुझाव पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या हमारे राजदूत के सुझाव को कार्यरूप देने के लिये सरकार ने नेपाल के सहयोग से कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। यह सुझाव नया नहीं है। जनवरी/फरवरी 1965 में जब नेपाल के विदेश मंत्री भारत आए थे तब विदेश मंत्री ने यह सुझाव पहले भी दिया था कि दोनों सरकारों को दोनों देशों के अधिकतम लाभ के लिए उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के बारे में तरीकों और साधनों पर मिलजुल कर विचार करना चाहिए जिनका वे सम्मिलित रूप से लाभ उठाते हैं।

इस संबंध में कोई दीर्घकालीन मास्टर प्लान नहीं बनाई गई है। बहरहाल दोनों देशों के बीच पड़ने वाली बहुत-सी नदियों के बारे में तकनीकी और जलविज्ञान संबंधी सूचना का समय-समय पर आदान-प्रदान होता है ताकि किसी विशेष प्रायोजना की संभावना का निश्चय किया जा सके और सिंचाई तथा पन-बिजली प्रायोजनाओं का भावी योजनाबद्ध विकास किया जा सके।

(ख) जी नहीं। यह महामहिम की सरकार पर है कि वह हमारे सुझाव पर विचार करे और उत्तर दे। जब वे अपना निश्चय कर लगे और अगर उन्हें हमारा सुझाव उपयोगी लगा तब एक दीर्घ-कालिक योजना बनाई जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नागाओं की गतिविधियां

*532. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध संसदा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेम बरूआ :
श्रीमती रेणुका बडकटकी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नागा विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या नागालैंड के लोगों की जान-माल की रक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) लड़ाई-बंदी क्षेत्र में कुछ उपद्रवी नागाओं ने लड़ाई बंद होने के क़रार की शर्तों के प्रतिकूल गावों में हथियार लेकर परेड की है, नौजवानों को उठा लिया है और धन इकट्ठा किया है। सामान्य प्रशासन के संचालन के काम में भी. खास तौर से मणिपुर क्षेत्र में. हस्तक्षेप करने के कुछ मामले भी हुए हैं।

(ख) छिपे नागाओं द्वारा ग़ैर-कानूनी कार्रवाइयों को रोकने और नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। इस बात के निदेश जारी कर दिए गए हैं कि छिपे नागाओं के हिंसात्मक कार्यों को रोकने के लिए पुलिस का और जरूरत पड़े तो सुरक्षा सेनाओं का उपयोग किया जाए।

(ग) जी हां।

Air Space Violations by China

*533. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :
Shri P. C. Borooah :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Kindar Lal :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of violations of our air space committed by the Chinese planes during the last three months ;

(b) whether any protest has been lodged with the Government of China in this connection ; and

(c) if so, their reaction ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) During the last three months, in fact since 19th January 1964, there has been only one violation of Indian air space by the Chinese planes.

(b) and (c). A protest was lodged with the Government of China on 2-2-1966. The reply of the Chinese Government is awaited.

उत्तर प्रदेश-नेपाल सड़क

2031. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर जिले (उत्तर प्रदेश) के नौटनवां के साथ लगते हुए सुनौली सीमांत नगर को मध्य नेपाल में पोखरा से मिलाने वाली सड़क का काम पूरा होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो इस सड़क का ब्यौरा क्या है तथा जनता को क्या सुविधाएं दी गई हैं; और

(ग) इस सड़क पर कुल कितना व्यय होगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सड़क के कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है; आशा है कि यह कार्य 1968 में पूरा हो जाएगा।

(ख) सड़क 128 मील लंबी है जिसमें से 19 मील मैदानी इलाके में और शेष 109 मील पहाड़ी इलाके में पड़ती है। यह दो-मार्गी यातायात के लिए बनाई गई है। कुल मिलाकर लगभग 5000 फुट की करीब 1000 पुलियां और कुल मिलाकर लगभग 1220 फुट के उभारदार मार्ग (काज़वेज़) और पुल बनाए जाएंगे। पश्चिमी मध्य नेपाल की अधिकांश आबादी के लिए यह सड़क बहुत लाभदायक रहेगी। इन पहाड़ी इलाकों में लोगों का आना-जाना और चीजों का लाना-ले जाना बहुत दुष्कर होता है खासतौर से इसलिए कि बहुत-सा सामान सिर पर लाद कर ले जाया जाता है। बारिश के मौसम में ये कठिनाइयां बढ़ जाती है। इस सड़क से इन इलाकों में यात्रा करना सुविधाजनक हो जाएगा और मैरवा से नेपाल के इन अधिक अलग-अलग पहाड़ी जिलों को जहां पर खाने-पीने की चीज़ें अकसर कम और महंगी मिलती है, अतिरिक्त खाद्य-सामग्री को लाने-लेजाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। सड़क से इस इलाके में होने वाली आयात-निर्यात व्यापार की बहुतसी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।

(ग) 9.11 करोड़ रुपए (भा० मु०)।

अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र सप्ताह, ब्रुसल्स

2032. **श्री राम हरख यादव :** क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रुसल्स में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र सप्ताह में भारत भाग ले रहा है.;

(ख) यदि हां, तो इस मेले में किन किन चलचित्रों का प्रदर्शन किया जायेगा.; और

(ग) मेला किस तिथि को हो रहा है?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : जी हां। भारत ने 28 मार्च, 1966 से 1 अप्रल, 1966 तक ब्रुसेल्स में होने वाले शिक्षा और अध्यापन फिल्मों के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सप्ताह में फिल्म विभाग द्वारा निर्मित "दैट डेल्टा दैट रिवर" और 'गर्ल गाइड्स आफ इन्डिया" नामक दो वृत्त-चित्र भेजे हैं।

नौसेना में वाइस एडमिरल का पद

2033. **श्री राम हरख यादव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौसेना में वाइस-एडमिरल के पद को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेना अधिकारियों का सेवा निवृत्त होना

2034. **श्री राम हरख यादव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में हुए भारत-पाक संघर्ष के कारण बहुत से भारतीय सेना अधिकारियों को सेवा-निवृत्त नहीं होने दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिबन्ध अब हटा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिबन्ध के हट जाने से कितने अधिकारियों पर प्रभाव पड़ा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : जी हां। यह प्रतिबन्ध 9 सितम्बर 1965 को लगाया गया था और 1 फरवरी 1966 को हटा लिया गया था। तदपि जो व्यक्ति 9 सितम्बर 1965 से पहले ही सेवाविमुक्ति से पहले ही छुट्टी पर जा चुके थे उन पर इस प्रतिबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

(ग) इस प्रतिबंध के कारण 183 अफसरों की सेवा से निवृत्ति अथवा विमुक्ति स्थगित हो गई थी।

B.I.M.S. and A.M.B.S. Doctors Volunteering for Active Service

2035. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the B.I.M.S. and A.M.B.S. integrated Medical System doctors had offered their services to be utilised on the front; and

(b) if so, the reasons for not availing of their services ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir. Eight Associations of B.I.M.S. and A.M.B.S. doctors and 20 doctors with the qualifications of B.I.M.S. and A.M.B.S. offered their services during the present emergency.

(b) A statement is enclosed.

Statement

Under the existing terms and conditions governing the grant of commissions in the Army Medical Corps, candidates with B.I.M.S. and A.M.B.S. qualifications are not eligible to apply for such commissions as these qualifications are not included in any of the Schedules to the Medical Council of India Act, 1956. The standards of training and examination in subjects of modern medicine included

in the integrated or concurrent course are controlled and regulated by the University Faculties, Statutory Faculties or Boards of Indian Medicine set up by the various State Governments and there is no uniformity in the standards of teaching and curriculum of these courses as these are not co-ordinated and supervised by the Medical Council of India. Furthermore, candidates qualifying in these courses are registered in a separate class in the State Medical Register of their own State only and these qualifications are not registerable for all India.

Breach in Canal in Lahore Sector

2036. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1890 on the 6th December, 1965 and state :

(a) whether the U.N. Military Observers, with whom a report was lodged regarding the breach caused in a canal in Lahore Sector by Pak. Soldiers on the 11th November, 1965, have held Pakistan guilty and made her pay compensation to India ; and

(b) if not, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). While U.N. Observers were unable to establish who was responsible for causing the breach to the bank of the Bhuchar distributory they confirmed the flooding and also considered that Pakistan troops started it. The U. N. Observers have no power to impose or enforce payment of compensation, though their findings have an obvious moral force.

चलचित्र वित्त निगम

2037. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चलचित्र वित्त निगम के द्वारा चलचित्र निर्माताओं को और अधिक धन देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं जब कि चलचित्र वित्त निगम ने गत पांच वर्षों में कुछ भी शुद्ध लाभ नहीं दिखाया; और

(ग) शुद्ध लाभ न दिखाये जाने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ग): फिल्म वित्त निगम ने अपनी स्थापना से ले कर 31-3-1965 को समाप्त होने वाले पांच साल के दौरान 3,03,164 रुपये का शुद्ध लाभ दिखाया है। उपलब्ध धन के अनुसार समय समय पर उपयुक्त फिल्मों को आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जाता है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Naval Academy at Goa

2038. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagadev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether suggestions have been received regarding the setting up of a Naval Academy in Goa ; and

(b) if so, the time by which a final decision will be taken on them?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) and (b). The proposal for setting up a Sailors Training Establishment at Goa is under consideration.

Atomic Power Station, Hyderabad

2039. Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri P. C. Borooah :
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to establish an atomic power station near Hyderabad ; and

(b) whether any other places have been surveyed in this connection ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) As stated in the reply to Unstarred Question No. 1939 given in the House on April 5, 1965, the Site Selection Committee appointed by the Department of Atomic Energy in 1962 has recommended four sites for future atomic power stations including Somasila near Srisilam in Andhra Pradesh. The other sites are Kalpakkam and Billigundlu in Madras and Sangam in Mysore.

Primary Health Centres

2040. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the services of peace volunteers corps have been requisitioned for manning the primary health centres and some of them have already reported for duty ;

(b) if so, their main duties and responsibilities ; and

(c) the number of volunteers who have reported for duty and the names of places to which they have been posted ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). One hundred and twenty-six Peace Corps Volunteers arrived in India during December 1965 and January 1966. They are health personnel and have been

assigned to Primary Health Centres in five States. The State-wise distribution is as follows :

1. Madhya Pradesh	16
2. Maharashtra	27
3. Mysore	34
4. Kerala	24
5. Rajasthnan	25

They have been assigned in teams of 3 or 4 as necessary. Each team consists of 1 or 2 nurses, a nutritionist and a sanitarian. They are here to strengthen the existing staff of Primary Health Centres, especially in the field of preventive health and nursing.

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाना

2041. **श्री मधु लिमये :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के लिये कुछ पद आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगपतियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) केन्द्रीय सरकार के विभागों में तथा राजकीय क्षेत्र उपकरणों में कुछ प्रतिशत रिक्त स्थान भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है। निजी क्षेत्र के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस प्रावस्था में यह प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र का औद्योगिक विकास संगठन

*2042. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना के प्रस्ताव के प्रायोजकों में भारत भी शामिल था; और

(ख) यदि हां; तो प्रस्तावित निकाय के मुख्य कार्य क्या होंगे तथा इस संगठन में कौन कौन होंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव नं० 2089 (XX) सह-प्रस्तुत किया जिसमें औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन की व्यवस्था है।

(ख) इसका मुख्य कार्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

इसका मुख्य अंग होगा—उद्योग विकास बोर्ड—और इसका एक सचिवालय होगा जिसका अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक होगा। संयुक्त राष्ट्र के 36 सदस्य राज्यों और विशिष्ट एजेंसियों तथा तथा अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति एजेंसी के सदस्यों की जिनमें भारत सम्मिलित है एक समिति स्थापित की गई है जो कि संगठन की आवश्यक कार्य संबंधी प्रक्रियाओं को तैयार करेगी और उसका प्रशासनिक प्रबंध करेगी।

पैटन टैंक

2043. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पकड़े गये पाकिस्तानी पैटन टैंकों का देश में विस्तृत रूप से प्रदर्शन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : पकड़े गए पाकिस्तानी टैंक के प्रदर्शन का आयोजन सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित "चिनौती का सामना" किस्म की प्रदर्शनियों के अंश के तौर पर किया गया था और ऐसे टैंकों का इलाहाबाद और कलकत्ता में वास्तविक प्रदर्शन किया गया था। रणांगण के पास भी भारी संख्या में लोगों ने पैटन टकों को देखा है और कुछ छावनियों में भी जहां इन टैंकों को ले जा कर रखा गया है।

अखबारी कागज सम्बन्धी नीति

2044. श्री श्रीनारायण दास : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के सम्बन्ध में एक दीर्घकालीन नीति निर्धारित करने के लिए सम्बद्ध मंत्रालयों के सचिवों तथा अखबारी कागज उद्योग के प्रतिनिधियों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति से सम्बन्धित सुझाव पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : सुझाव पर विचार किया गया है। किन्तु अखबारी कागज़ विषयक नीति पर सरकार को सलाह देने के लिए अखबारी कागज़ सलाहकार समिति पहले ही से बनी हुई है। इसमें इन्डियन एन्ड ईस्टर्न-न्यूजपेपर्स सोसाइटी और इन्डियन लेंगवेज न्यूजपेपर्स सोसाइटी के प्रतिनिधि, कुछ संसद सदस्य और वित्त वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों और राज्य व्यापार निगम के अधिकारी शामिल हैं। अतः एक और समिति स्थापित करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान समाचार पत्रों को दी गई सुविधाएं

2045. श्री नारायण रेड्डी :
श्री लाटन चौधरी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जन प्रचार संस्था ने हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं तथा समाचार-पत्रों को दी गई सुविधाओं की पर्याप्तता और प्रभावोत्पादकता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण पूरा हो चुका है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : जी हां। भारत-पाक संघर्ष के दौरान इस मंत्रालय के विभिन्न प्रचार विभागों ने जो प्रचार सामग्री तयार की तथा अखबारों और पत्र-प्रतिनिधियों को जो सूचनाएं और सुविधाएं दी उसकी पर्याप्तता, प्रभाव आदि का इन्सटीट्यूट ने छोटे पैमाने पर मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन के आधार पर इन्स्टीट्यूट ने भविष्य में ऐसे किसी भी संकट के समय प्रचार कार्य की कुशलता बढ़ाने के उपाय भी सुझाए हैं। सरकार भी भविष्य में संकट के समय प्रभावी प्रचार कार्य की व्यवस्था कर रही है और इस सिलसिले में इन सुझावों का जो विचाराधीन हैं पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस विषय में विचाराधीन उपायों का ब्यौरा देना सार्वजनिक हित में नहीं है खासकर ताशकन्द घोषणा को ध्यान में रखते हुए।

राष्ट्रीय प्रचार कार्यक्रम

2046. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री लाटन चौधरी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की विज्ञापन अधिकरण संस्था ने खाद्य, प्रतिरक्षा तथा राष्ट्रीय प्रचार एकता जैसे विषयों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता देने की सरकार को पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार की सहायता देने की पेशकश की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी. हां।

(ख) प्रचार कार्यक्रमों के आयोजन के लिये विज्ञापन विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में यह सहायता दी गई थी

(ग) सरकार ने इस सहयोग का स्वागत किया है।

A.I.R. Broadcasts

2047. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain broadcasts during the recent Indo-Pak conflict were against the policies of Government ;

(b) if so, the action taken to impose ban on such broadcasts ;

(c) whether any suggestions to increase the percentage of broadcasts in Indian languages has been received ; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) & (d). Yes, Sir. Such suggestions have been received from time to time and have been given careful consideration. AIR has always been conscious of its role in the development of all Indian languages through every means at its disposal and the vast bulk of its programmes are in the Indian languages.

Broadcast of Hindi Bulletins

2048. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) the progress made in the broadcasting of the main Hindi Bulletins in the mornings and evenings from various stations of All India Radio ;

(b) whether there is any proposal under consideration to broadcast all bulletins and main programmes in Hindi in view of the fact that Hindi knowing people are residing in almost all the States of India ; and

(c) if so, when a decision is likely to be taken ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) AIR Stations in the Hindi speaking area relay the two main news bulletins broadcast centrally, at 8·15 a.m. and 8.15 p.m. Some stations in the non-Hindi speaking areas also relay these bulletins.

The details are as under :

Stations which relay the two main Hindi news bulletins at 8-15 a.m. and 8-15 p.m.

(i) **Stations in the Hindi speaking area :**

Delhi
Lucknow
Allahabad
Patna
Jullundur
Jaipur
Simla
Bhopal
Indore
Ranchi

(ii) **Stations in the non-Hindi speaking areas :**

Bangalore
Bombay
Calcutta
Calicut
Cuttack
Dharwar
Hyderabad
Nagpur
Poona
Port Blair
Srinagar
Tiruchi
Vijayawada.

The following stations in the non-Hindi speaking areas relay one of the two main central Hindi news bulletins:—

Gauhati, Kurseong, Bhuj, Ahmedabad, Rajkot	Morning bulletin.
Kohima, Madras	Evening bulletin.

In addition, both the main Hindi bulletins are relayed as part of the Vividh Bharati service, on two high-power shortwave transmitters which carry that service, and which can be heard all over the country.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Commentators of Films Division

2049. Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 1074 on the 22nd November, 1965 and state :—

(a) the decision taken in regard to the facilities to be provided to the Commentators in the Films Division similar to those granted to the staff artistes of the All-India Radio ;

(b) the reasons for the delay ; and

(c) when such facilities would be provided to them ?

Minister of Information Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a), (b) to (c). The matter is still under consideration and a final decision will be announced shortly.

इजराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध

2050. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इज़राइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार का इरादा इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का नहीं है क्योंकि स्थिति में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे इज़राइल के साथ हमारे संबंधों पर फिर विचार करना आवश्यक हो गया हो।

Children's Film Society

2051. Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borooah :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the enquiry being conducted into the irregularities committed by the Children's Film Society has been concluded;

(b) if so, the results of enquiry; and

(c) the steps being taken to set right the financial irregularities committed by the officials of the Society ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir. The Controller, Films Division who had conducted an enquiry into the irregularities committed by the Children's Film Society, submitted his report to Government on 15-7-1965.

(b) A statement indicating briefly the conclusions reached by the Enquiry Officer is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T. 5767/66.]**

(c) The Executive Council of the Society has already considered the Report. The Council has directed that the Society should write off those losses which are not recoverable in consultation with Shri Limaye who is now also the Honorary Treasurer of the Society. In respect of those losses which in the opinion of the Treasurer are recoverable and for which legal proceedings may be started, Secretary of the Society should consult its legal advisers and start legal proceedings for the recovery of the same after consulting the Honorary Treasurer. Further action is being taken by the Society.

आयुध कारखानों में उत्पादन

2052. श्री स० मो० बनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964 के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1965 में आयुध कारखानों में उत्पादन बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1964-65 कुल कितने मूल्य का काम किया गया; और

(ग) क्या वर्ष 1966 के लिये अधिक विस्तार के कार्यक्रम चल रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) आयुध कारखानों में 1965 में उत्पादन 1964 के उत्पादन से कुछ कम था। इस कमी के कारण हैं :—

(1) वस्त्रों तथा सामान्य स्टोर संबंधी अधिकतर 1963 और 1964 में पूरी कर ली गई थीं। इस लिए 1965 में ऐसी मदों की आवश्यकता 1964 की तुलना में 1965 में बहुत कम थी। मांग में इस गिरावट के कारण वस्त्र तथा सामान्य सामान बनाने के कारखानों में शुरू 1965 से ही निर्धारित समय के पश्चात् देर तक काम करना बन्द कर दिया गया था।

(2) पुरानी किस्म के गोली बारूद की कई मदों की संख्या का उत्पादन 1965 के दौरान बहुत कम था।

(3) यद्यपि कई नई मदों का उत्पादन 1965 में शुरू कर दिया गया था उस उत्पादन की लागत का प्रभाव 1966 में किसी समय तक व्यक्त हो पाएगा।

(ख) तथा (ग) : 1964-65 में आयुध तथा वस्त्रों के कारखानों में उत्पादन का मूल्य 143.75 करोड़ रुपये था। नई आयुध मदों के क्षमता की स्थापना और जहां आवश्यक हुआ उत्पादित की जा रही मदों के लिए वर्तमान क्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

कानपुर में अफ्रीकी एशियाई एकता सम्मेलन

2053. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 दिसम्बर, 1965 को कानपुर में अफ्रीकी-एशियाई एकता सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था;

(ग) इस सम्मेलन के उद्देश्य तथा प्रयोजन क्या थे; और

(घ) सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट है कि भारत के अलावा 82 देशों ने सदस्यों के रूप में और 21 देशों ने प्रेक्षकों के रूप में भाग लिया।

(ग) सम्मेलन का घोषित लक्ष्य यह था कि एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमरीकी देशों में एकता को बढ़ावा मिले।

(घ) सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किए जिनसे शांतिपूर्ण सहजीवन, गुटमुक्ति, लोकतंत्र और समाजवाद में निष्ठा व्यक्त की गई थी और साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध उसके संघर्ष को दोहराया गया था। ताशकंद सम्मेलन का समर्थन रोडेशिया में ब्रिटिश नीति तथा वियतनाम से संबद्ध उसकी नीति की निंदा करते हुए भी प्रस्ताव पास किए गए।

गांवों के लिये सामुदायिक रेडियो

2054. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मधु लिमये :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री काजरोलकर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक गांव में सामुदायिक रेडियो देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को सामुदायिक रेडियो सेटों की व्यवस्था तथा उनके अनुरक्षण संगठनों को सुदृढ़ करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी है;

(ग) इन रेडियो सेटों के लिये राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार ने सामुदायिक रेडियो सेटों के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय का कुछ भाग वहन करने की इच्छा व्यक्त की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) हमारा अंतिम लक्ष्य प्रत्येक गांवमें एक एक रेडियो सेट देने का है। गांवों के लिये केन्द्र की सहायता योजना आदि के अन्तर्गत अब तक लगभग 1,93,000 सेट दिए जा चुके हैं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रति सेट अधिक से अधिक 125 रुपये की वर्तमान सहायता जारी रखने का विचार है।

(घ) जी नहीं।

Border Violations by Pakistan

2055. Shri Hukam Chand Kachhavaiya
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 667 on the 6th December, 1965; and state :

(a) whether any compensation had been paid by Pakistan in connection with the decisions given against her for border violations by the U. N. Observers;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the value of such decisions ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The findings of the U.N. Observers on cease-fire violation complaints have a moral force, whether or not the findings are backed by payment of compensation.

समाचार पत्र वित्त निगम बनाने का प्रस्ताव

2056. श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इलाहाबाद में हुए दो दिन के सम्मेलन में छोटे समाचार पत्रों के विकास में सहायता देने के लिये एक समाचार पत्र वित्त निगम स्थापित करने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : सरकार ने उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के दिसम्बर, 1965 में हुए 18वें वार्षिक सम्मेलन के बारे में अखबारों में छपी रिपोर्टों को देखा है, जिसमें एक प्रस्ताव द्वारा देश में छोटे

अखबारों के विकास में सहायता देने के लिए, एक समाचार-पत्र वित्त निगम स्थापित करने की भी मांग की गई थी। इस प्रकार की एक सिफारिश लघु समाचार-पत्र जांच समिति ने भी की है, जो सरकार ने छोटे समाचार-पत्रों की दशा की जांच करने के लिए नियुक्त की थी। समिति की रिपोर्ट, जो 9 मार्च, 1966 को सदन की मेज पर रखी गई थी, भारत सरकार के विचाराधीन है।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय जहाजों का रोका जाना

2057. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिकरे :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री लाटन चौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने, दिसम्बर, 1965 के तीसरे सप्ताह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री जी० पार्थसारथी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को भेजे गये एक पत्र द्वारा, हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारतीय जहाजों को रोक लिये जाने तथा पाकिस्तान की 'प्राइज़ कोर्ट' की कार्यवाहियों के बारे में उसे सरकार की प्रतिक्रिया से अवगत कराया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में क्या क्या मुख्य बातें लिखी गई थीं और उन के बारे में सुरक्षापरिषद् की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। यह पत्र, जो संयुक्त राष्ट्र प्रधान सचिव के नाम था, 18 दिसंबर, 1965 को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों में सुरक्षा परिषद के एक दस्तावेज़ के रूप में प्रचारित कर दिया गया था किंतु, भारत-पाकिस्तान के सवाल पर विचार करने के लिए 5 नवंबर, 1965 के बाद सुरक्षा परिषद की बैठक नहीं हुई। इस पत्र का मूलपाठ संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये, संख्या एल. टी. 5768/66]**

समाचार रिपोर्ट तथा भाषण कार्यक्रम

2058. **श्री मधु लिमये** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेडियो सुनने वालों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार का अपनी समाचार रिपोर्ट तथा भाषणों आदि के कार्यक्रमों मे सब दृष्टिकोणों तथा देश में चल रही विचार-धाराओं को अधिक स्थान देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : आकाशवाणी के घरेलू प्रसारणों में कुल मिला कर 20 भाषाएं, 51 बोलियां और 86 आदिम जातीय भाषाएं प्रयुक्त होती हैं और आकाशवाणी, अपने शिल्पिक और आर्थिक साधनों के अन्तर्गत उपलब्ध समय में, अपने सभी प्रकार के प्रसारणों में, जिनमें समाचार भी हैं, श्रोताओं की साधारण रूचि के विषयों पर सभी दृष्टिकोणों और विचार-धाराओं को निष्पक्ष और सही ढंग से स्थान देने की बराबर कोशिश करती है।

संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक

2059. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, श्री उ थान्ट ने भारत और पाकिस्तान को देशों की एक तालिका भेजी है और उनसे पूछा है कि वे उन देशों के नाम बतायें, जिनके राष्ट्रजन उन्हें युद्ध विराम को स्थिर बनाने तथा उसकी देख-रेख करने और सेनाओं की वापसी की देख रेख करने के लिये संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक के रुप में स्वीकार्य हों; और

(ख) यदि हां, तो उस तालिका में किन किन देशों के नाम दिये गये थे; और सरकार को किन देशों के राष्ट्रजन स्वीकार्य है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्यमवर्ग का निर्वाह व्यय सूचकांक

2060. श्री विश्व नाथ पाण्डेय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम वर्ग सम्बधी निर्वाह-व्यय सूचकांक तैयार हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) श्रीमान् जी, अभी नहीं।

(ख) और (ग) : 1960 को आधार वर्ष मानकर गैरमजदूर (बुद्धिजीवी) कर्मचारियों के लिए जून 1965 तक 45 केन्द्रों में से 36 केन्द्रों (जिनमें 16 राजधानी वाले नगर सम्मिलित है) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे पहले मध्यम वर्ग का निर्वाह-व्यय सूचकांक कहा जाता था) तैयार हो चुके हैं। शेष 9 केंद्रों में सूचकांक तैयार करने का काम हो रहा है और आशा है अप्रैल, 1966 के अन्त तक पूरा हो जायेगा। 45 केन्द्रों में से सब केन्द्रों के सूचकांक तैयार होने के बाद एक अखिल भारतीय सूचकांक तैयार किया जायेगा।

ये सूचकांक सर्वेक्षण के दौरान, संकलित परिवारिक आय-व्यय के आंकड़ों तथा पिछले पांच वर्षों के भीतर संग्रहीत कीमत सम्बन्धी आंकड़ों की गणना तथा सारणीकरण तथा विश्लेषण से सम्बन्धित विस्तृत कार्य के कारण पहले नहीं तैयार हो सके।

अमरीका तथा रूस स्थित भारतीय मिशनों पर व्यय

2061. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में अमरीका तथा रूस स्थित हमारे मिशनोंपर पृथक पृथक कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष व्यय बढ़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वण सिंह) : (क) चूंकि 1965-66 के वर्ष के खाते बंद नहीं हुए हैं, इसलिए इस अवधि का अनुमानित खर्च दिया जा रहा है :

*सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	18,00,000	रु०
*संयुक्त राज्य अमरीका	55,50,400	रु०

*ये आंकड़े सामान्य व्यवहार के अनुसार, 1965-66 के वित्तीय वर्ष के हैं, 1965 के कलेंडर वर्ष के लिए नहीं। इन सब आंकड़ों का संबंध केवल डिमांड एक्सटरनल एफेयर्स से है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंगापुर के अधिकारियों का प्रशिक्षण

2062. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री सिंगापुर के अधिकारियों के प्रशिक्षण के बारे में 29 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1509 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंगापुर के अधिकारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सिंगापुर सरकार के अनुरोध पर निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा सिंगापुर के अधिकारियों का पहला दल कब आ जायेगा; और

(ग) उनको किस प्रकार का प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सिंगापुर सरकार के साथ सलाह-मशविरा से अभी विवरण तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित अनुस्थापन (ओरियेन्टेशन) पाठ्यक्रम लगभग 11 हफ्ते चलेगा। इसमें विदेश मंत्रालय में राजनयिक, राजनीतिक कार्य, आर्थिक प्रशासनिक, कौंसली और नयाचार के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देना सम्मिलित है। आशा है कि अफसरों की पहली टोली जल्दी ही भारत आ जाएगी। तारीख अभी निश्चित नहीं की गई है।

इस पाठ्यक्रम का अधीक्षण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। यह इस तरह तैयार किया जाएगा जिससे कि अफसरों को मिशन स्थापित करने की प्रक्रिया और राजनय (डिप्लोमेसी) के मूल प्रयोग का पूरा ज्ञान हो सके।

समुद्री और औद्योगिक डीजल इंजन परियोजना

2063. श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रक्षा** मंत्री 15 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 613 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के मैसर्स मान के इंजीनियरों के दल ने समुद्री और औद्योगिक डीज़ल इंजन परियोजना के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन इस बीच पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) प्रयोजना रिपोर्ट वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार करती है और इन प्रस्तावों के लाभ-लाभों पर प्रकाश डालती है। वैकल्पिक प्रस्ताव पूंजी लगाने के ढंग, और स्थापित की जाने वाली सुविधा में उत्पादन की सम्भावना, और संघटकों के उत्पादन की संभावना से संबंधित हैं। यह प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

गोआ का नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास

2064. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **रक्षा** मंत्री 15 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 572 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ का नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास करने के सम्बन्ध में परामर्शदायी फर्म के प्रतिवेदन का परीक्षण पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जहां तक एक नौसैनिक बेस के तौर पर गोआ के विकास का संबंध है रिपोर्ट का निरीक्षण अभी सम्पूर्ण नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्ताव ऐसा है कि जिस में बहुत भारी वित्तीय व्यय अंतग्रस्त है, और संबंधित विभागों की मन्त्रणा सहित, रिपोर्ट बहुत विस्तारपूर्वक निरीक्षण करने की आवश्यकता है।

Loss of Military Equipment during Indo-Pak. Conflict

2065. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the value of our stores including foodstuffs, clothes and army equipment which fell into the hands of Pakistanis on the Punjab, Jammu and Kashmir and Rajasthan borders in 1965; and

(b) the action taken by Government to make good the losses ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Although some estimate has been made of the cost of the operations as a whole, no specific figure has been worked out to indicate the loss on account of stores and equipment which have fallen into the hands of Pakistan.

(b) Appropriate steps have been taken for replenishment. It will not be in public interest to disclose details.

समुद्री पानी का अपक्षारीकरण

2066. श्री बालकृष्णन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलपक्कम के परमाणु संयन्त्र के साथ समुद्री-जल के खारेपन को दूर करने से सम्बन्धित परियोजना भी आरम्भ की जायेगी;

(ख) क्या परमाणु संयंत्र को ठंडा रखने के उद्देश्य से ही समुद्री जल का अपक्षारीकरण किया जायेगा; और

(ग) क्या अपक्षारीकृत जल का उपयोग पेय जल के रूप में किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : मद्रास में बनने वाले परमाणु बिजली घर के साथ लगाये जा सकने वाले एक अपक्षारीकरण संयंत्र से प्राप्त होने वाले पानी की कीमत क्या होगी यह पता लगाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग परीक्षण कर रहा है। इन परीक्षणों से यह भी मालूम होगा कि अपक्षारीकरण संयंत्र से अधिक मात्रा में ताजा पानी किस तरह प्राप्त किया जा सके कि बिजली घर से बिजली की कम से कम मात्रा का ह्रास हो। परीक्षणों के परिणामों से यह भी पता चलेगा कि अपक्षारीकृत पानी कितनी मात्रा में तथा किस काम में लाया जा सकेगा। ये परिक्षण अभी जारी हैं।

राकेट गैसों का वातावरण पर प्रभाव

2067. **श्री बालकृष्णन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थुम्बा में जलाई गई राकेट गैसों के परिणामस्वरूप मौसम वातावरण में कोई परिवर्तन होने की संभावना है; और

(ख) क्या राकेट से उत्पन्न अग्नि के कारण वर्षा कम होती है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : इस देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अध्ययनों से पता लगा है कि थुम्बा तथा राकेट छोड़ने के अन्य केन्द्रों से छोड़े गये राकेटों से निकली गैसों से मौसम या वर्षा पर कोई असर नहीं पड़ता।

Indian Navy Personnel killed during Indo-Pak conflict

2068. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of personnel of the Indian Navy killed during the recent Indo-Pak. conflict ; and

(b) the number of those captured by Pakistan ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Nil.

Nasirabad Cantonment Area

2069. Shri Bagri :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1505 on the 29th November, 1965 regarding the proposal to extend Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950 to the Nasirabad Cantonment area and state :

(a) whether Government have since arrived at a final decision in the matter ;

(b) if not, the reasons for the delay; and

(c) the date by which this Act is likely to be extended to the Nasirabad Cantonment area ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A Bill is proposed to be introduced in the Parliament for repealing the Delhi and Ajmer Rent Control Act, 1952, so far as it is applicable to Nasirabad Cantonment. Simultaneously with the passage of this Bill, the provisions of the Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950, will be extended to that Cantonment.

उदकमंडलम में आण्विक अनुसंधान केन्द्र

2070. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेनरोक डावन्स उदकमंडलम में सरकार का विचार आण्विक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) इस पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) उदकमंडलम के समीप एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र तथा एक रेडियो दूरबीन स्थापित करने की योजना है। फेयरलान और उसके समीप के क्षेत्र को इस काम के लिए चुना गया है।

(ख) तथा (ग) : अनुमान है कि रेडियो दूरबीन पर पचास लाख रुपये खर्च आयेगा। इस खर्च में सिविल कामों पर होने वाला खर्च भी शामिल है। अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्र के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भूमिगत परमाणु परीक्षणों का बन्द किया जाना

2071. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 नवम्बर, 1965 को अमरीका ने भूमिगत परमाणु परीक्षण बन्द करने के संबंध में तीस राष्ट्रों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका ने आणविक और अणुतापीय परीक्षणों को बंद करने की तात्कालिक आवश्यकता पर तीस राज्यों द्वारा सह-प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 21 वें सत्र में स्वीकार कर लिया लेकिन उसने तब तक के लिए भूमिगत अणु अस्त्र परीक्षण बंद करने में असमर्थता प्रकट की जब तक की व्यापक रुप से जांच करके परीक्षणों पर रोक लगाने के संबंध में करार नहीं हो जाता।

(ख) भारत सरकार सब प्रकार के अणु अस्त्र परीक्षणों के विरुद्ध है और उसने बराबर इसपर जोर दिया है कि एक व्यापक परीक्षण रोक संधि शीघ्र संपन्न की

जाए और ऐसा होने तक इकतरफा आधार पर सारे परीक्षण बंद कर दिए जाने चाहिए। भारत सरकार इस प्रश्न पर जल्दी करार कराने के बारे में अपने प्रयास करती रहेगी।

कुल्लू घाटी में यूरेनियम के निक्षेप

2072. **श्री हेमराज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल्लू घाटी में यूरेनियम के निक्षेपों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी मात्रा में यूरेनियम के निक्षेप पाये गये हैं और किन किन स्थानों पर ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : कुल्लू घाटी (पंजाब) में छिजरा, घरमौर, टकरेर तथा धारा क्षेत्रों में विस्तृत खोज अभी जारी है। समीप के क्षेत्रों में फैले यूरेनियम धातुक के भंडारों का पता लगाने के लिए किए गए प्रारम्भिक सर्वेक्षण के दौरान पथाला तथा रूपाडोगरी क्षेत्रों में रेडिय-सक्रियता पाई गई। इन क्षेत्रों में भी अब विस्तृत खोज की जायेगी। खोज कार्य को पूरा करने तथा भविष्य में धातुक प्राप्त करने से सम्बद्ध इन क्षेत्रों की आर्थिक सम्भाव्यता का अन्तिम अनुमान लगाने में अभी समय लगेगा।

विदेश भेजे गये प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारी

2073. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में प्रतिरक्षा सेवाओं के कितने अधिकारी विदेश भेजे गये; और

(ख) वे किन किन देशों को भेजे गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 68 (इस में प्रशिक्षण के लिए विदेश भजे गए अफसरों की संख्या शामिल नहीं है।)

(ख) आस्ट्रेलिया, बलगारिया, बर्मा, जेकोस्लोवोकिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्वीडन, यू.के., यू.एस० एस०आर०।

विदेशों में भारतीय दूतावासों के प्रमुख

2074. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में विदेशों में भारतीय दूतावासों के प्रमुखों के किन किन पदों पर नियुक्तियां की गई; और

(ख) कौन कौन से पद अब भी रिक्त है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सुवा में कमिश्नर। मैड्रिड, व्यनत्यान, मनीला, ोम और कोपेनहागन में राजदूत।

(ख) रियो द जनेरियो।

घायल सैनिक

2075. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में घायल हुए उन सैनिकों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें प्रशिक्षण देने तथा रोजगार दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न व्यावसायिक-चिकित्सा केन्द्रों में दाखिल कर लिया गया है तथा जिनके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान दिये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : वह घायल सैनिक जो अभी सैनिक अस्पतालों में हैं, पहले से ही जहां आवश्यक हैं अस्पतालों में भौतिक चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं। तदपि एक अलग सैनिक चिकित्सा पुनरावास यूनिट, ऐसे सनिकों को भौतिक चिकित्सा और बहलावा चिकित्सा प्राप्य करने के लिए स्थापित की जा रही है, जिनकी उन्हें चिकित्सा उपचार की सम्पूर्ति पर आवश्यकता होगी।

डेन्मार्क के टेलिविजन दल की भारत यात्रा

2076. श्री दे० द० पुरी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेन्मार्क के टेलिविजन दल को, जो हाल ही में भारत आया था, भारत की राजनैतिक स्थिति के बारे में एक कार्यक्रम बनाने के लिये सरकार का अनुमोदन प्राप्त था; और

(ख) क्या सरकार ने यह बात सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की थी कि डेनमार्क का दल ऐसा कोई काम न करे जो भारत के हितों के प्रतिकूल हो ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) डेनमार्क के राजकीय रेडियो के एक दल ने प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री से राजनीतिक तथा अन्य मामलों पर बातचीत करने की सुविधाएं मांगी थीं,

(ख) जी हां।

सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से ट्रांसमिटर

2077. श्री बसुमतारी :

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से ट्रांसमिटर प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये कोई विशेष समिति नियुक्त की गई है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मन्त्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रांसमिटरों की शृंखला कायम करने का कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है, और

(ग) यदि हां, तो कितने नये केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और उन पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। किन्तु केन्द्रीय सरकार की सामान्य क्रय एजेन्सी--संभरण और निकास महानिदेशालय--सुलभ मुद्रा क्षत्रों से प्रसारण यंत्र लेने की सम्भावना पर बराबर ध्यान रखती है।

(ख) जी, हां। चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में, सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसारण के लिए काफी ट्रांसमीटरों की व्यवस्था की गई है।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे में, अनुमानित कुल 8.511 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च से 28 नए रेडियो केन्द्र खोलने के प्रस्ताव हैं। इनमें से 19 केन्द्र (अनुमानित कुल पूंजीगत खर्च 6.750 करोड़ रुपए) सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए हैं। किन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मसौदा अभी योजना आयोग द्वारा मंजूर होना है।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक

2078. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में एक स्मारक बनाने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन वास्तविक प्रस्ताव क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख): सरकार इस बात पर पूरी तरह से विचार कर रही है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति, राष्ट्र के नाम उनका संदेश और वे कार्य जिन से उन्हें हार्दिक प्रेम था, को कैसे सजीव रखा जाए और सुदृढ़ बनाया जाए। सरकार का इरादा है कि जैसे ही उनके प्रारम्भिक विचार और अधिक ठोस रुप धारण कर लें, वैसे ही वे संसद् के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक रूप से परामर्श करे।

समाचारपत्रों द्वारा स्वेच्छापूर्वक अखबारी कागज के प्रयोग में कमी किया जाना

2079. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज का प्रयोग करने वाले देश के समाचार पत्रों तथा सावधिक पत्रिकाओं ने स्वेच्छापूर्वक 15 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कटौती करना आरम्भ कर दिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पता चला है कि इन्डियन एन्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति ने 6 दिसम्बर 1965 को हुई अपनी बैठक में पत्रों से अखबारी कागज के प्रयोग में स्वेच्छा से 15 प्रतिशत की कटौती करने का आग्रह किया था। इसके बाद सोसाइटी की साधारण सभा ने 8 जनवरी, 1966 को हुई अपनी असाधारण बैठक में कार्यकारिणी समिति के उक्त प्रस्ताव के बाद की स्थिति पर पुनर्विचार किया और अखबारों से, केवल यही अनुरोध किया कि वे अखबारी कागज के इस्तेमाल में बचत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

हानिकारक प्रचार का प्रकाशन

2081. **श्री दशरथ देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "पाक पंचाली" नामक प्रसंग लेख की ओर दिलाया गया है, तो ताशकंद घोषणा के बाद भी कलकत्ता के दैनिक समाचारपत्र 'जुगान्तर' में लगातार छपता रहा है ;

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि ऐसे लेखों का प्रकाशन ताशकंद घोषणा की धारा चार की भावना के प्रतिकूल है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार का हानिकारक प्रचार करने वाले प्रकाशन को बन्द करने के लिये, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनों देश तनावपूर्ण सम्बंधों को सामान्य स्तर पर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। "पाक पांचाली" नामक लेखमाला के दो अंतिम लेख 18 और 19 जनवरी 1966 को "जुगान्तर" में प्रकाशित हुए थे; यह लेखमाला सितंबर 1965 में आरम्भ हुई थी।

(ख) दोनो लेखो में अपने ढंग से यह बताया गया था कि राष्ट्रपति अयूब खां उस पद तक कैसे पहुंचे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये लेख अब प्रकाशित होने बंद हो गए हैं।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेटों द्वारा सैनिक अभिवादन (गार्ड आफ आनर)

2082. **डा० चन्द्रभान सिंह** :
श्री वाडीवा :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्षों के नाम उन लोगों की सूची में सम्मिलित नहीं किये गये हैं, जिनका राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के कैडेट उपयुक्त अवसरों पर सैनिक अभिवादन कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि राष्ट्रीय सेनाछात्र दल शिक्षा संस्थाओं में एक संस्थाबद्ध युवक आन्दोलन के रूप में काम कर रहा है, शिक्षा संस्थाओं अध्यक्षों के नाम सूची में सबसे ऊपर रखने का उनके मंत्रालय का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को और जब मुख्य अतिथि के तौर पर किसी विद्यालय के प्रतिकुलपति और उपकुलपति शामिल हों, तो उन्हें भी उपयुक्त अवसरों पर मानगारद दी जाती है।

(ख) एन० सी० सी० यूनिटों द्वारा मानगारद देने में काफी समय और प्रयास अंतग्रस्त होता है, और इस ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों की संख्या कि जिन्हें एन० सी० सी० छात्रों को मानगारद देनी होती है कम से कम नियत की जाती है। तदपि सरकार विचार कर रही है कि आया वर्तमान् नियमों में कुछ उदारता बरती जा सकती है।

भारत का गजेटियर

2083. **श्री दशरथ देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारत का गजेटियर" (प्रथम खंड) संसद् सदस्यों को निःशुल्क अथवा रियायती दर पर दिया जायगा, और

(ख) यदि हां, तो उनको यह कब किया जायगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) संसद सदस्य अपने इस्तेमाल के लिए, प्रकाशन विभाग के अन्य सभी प्रकाशनों की तरह "भारत का गजेटियर" (प्रथम खंड) की प्रति भी, उनको दी जाने वाली साधारण 25 प्रतिशत छूट पर खरीद सकते हैं।

(ख) प्रतियां संसद के बुकस्टाल पर बिक्री के लिए रख दी गई हैं।

युद्ध सम्बन्धी फिल्म

2084. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण के संदर्भ में बनाई गई युद्ध सम्बधी फिल्म कुछ समय पूर्व तैयार हो चुकी थी परन्तु अब उसमें से कुछ भाग निकाले जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) चीनी हमले से सम्बन्धित फिल्में चल रही हैं और उनमें से कोई भी हिस्सा काटा नहीं गया है। पाकिस्तानी हमले से सम्बन्धित फिल्में दिखाई गई थी, परन्तु अब वे वापिस ले ली गई हैं, उनमें से कोई भी हिस्सा काटा नहीं गया है।

(ख) पाकिस्तानी हमले से सम्बन्धित फिल्मों के वापिस लेने का कारण ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर होना और उस पर अमल करना है।

Repatriation of Indians From Ceylon

2085. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ceylon Government have approached the Government of India to provide ships for repatriating Indians from Ceylon ;

(b) if so, the arrangements made by Government for their repatriation; and

(c) the number of persons likely to be repatriated each year ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) Those wishing to return are mostly expected to travel by the regular sea route.

(c) Under the Indo-Ceylon Agreement of 1964 it is provided that 5,25,000 persons will return in 15 years. Accordingly possibly 36,000, persons (approximately) may come each year.

चीन को विरोध-पत्र

2086. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, चीन द्वारा किये गये भारतीय राज्य क्षेत्र के अतिक्रमण के विरोध में तथा भारतीय सेनाओं द्वारा तिब्बत तथा लद्दाख में चीनी राज्य क्षेत्र के अतिक्रमण के झूठे तथा मनगढन्त आरोपों के उत्तर में, जिनका उल्लेख 6 जनवरी, 1966 के चीनी पत्र में किया गया था, 8 फरवरी, 1966 को अथवा इसके आसपास को किसी तारीख को चीन को एक कड़ा विरोध-पत्र भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य बातें कही गई हैं; और

(ग) इस बारे में चीन सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। 8 फरवरी 1966 को भारत सरकार ने चीन सरकार के 6 जनवरी 1966 के नोट के उत्तर में एक कड़ा विरोध-पत्र भेजा था जिसमें भारतीय सीमांत पर चीन सरकार की शत्रुतापूर्ण और आक्रमक नीति का पर्दाफाश किया गया था। चीन सरकार को यह बताया गया था कि नेफा में लंगजु और थागला रिज पर सीमा का जानबूझकर अतिक्रमण, 20 किलोमीटर विसैन्यीकृत क्षेत्र का पुनः सन्यीकरण और लद्दाख में कथित 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' का निरंतर अतिक्रमण उनकी अपनी बार-बार की गई घोषणाओं और उन आश्वासनों के सर्वथा प्रतिकूल है, जो कि उन्होंने 1963 में भारत और कोलम्बो देशों को दिए थे। 'आत्म रक्षा' के बहाने अपनी कार्रवाई को उचित सिद्ध करने की चीन सरकार की कोशिश और भारत तथा सिक्किम के बीच संबंधों को बिगाड़ने और उनमें तनाव पैदा करने की योजना को अस्वीकार कर दिया गया। भारत सरकार ने चीन सरकार के उस दावे को भी अस्वीकार कर दिया जो उसने नेफा में 90,000 वर्ग किलोमीटर के भारतीय प्रदेश पर किया और यह बताया कि निश्चित रूप से चीन सरकार अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तनाव पैदा कर रही है और झगड़ा बढ़ा रही है।

(ग) चीन सरकार ने इस नोट का अभी उत्तर नहीं दिया है।

गायदेलु की रानी की नागालैंड के पदाधिकारियों के साथ वार्ता

2087. श्री दे० द० पुरी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समाचार का पता है कि गायदेलु की रानी ने हाल में नागालैंड के पदाधिकारियों से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नागालैंड सरकार के साथ बातचीत में उन्होंने जेलियंग्रोंग नामक कबीले के लिए एक पृथक ज़िला बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने अनुयायियों के विरूद्ध फौजदारी के मुकदमें वापस लेने और अपने हथियारबंद अनुयायियों को नागालैंड पुलिस में खपाने की भी मांग की है।

(ग) नागालैंड सरकार आत्मसमर्पण के बाद उनके अनुयायियों के विरूद्ध मुकदमें वापस लेने और नागालैंड की पुलिस में उनके अनुयायियों को खपाने के लिए राज़ी हो गई है। जहां तक अलग ज़िला बनाने का सवाल है, उन्हें बता दिया गया है कि फिलहाल कोई वचन

नही दिया जा सकता क्योंकि वह इलाका, जिसे वे जिले का रुप दिलाना चाहती हैं; राज्यों में अर्थात् असम, मणिपुर और नागालैंड में पड़ता है ।

Unit Clerks in Air Headquarters

2089. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Gokaran Prasad :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the reasons for not absorbing all Unit Clerks in the Air Headquarters, when all such Clerks were so absorbed seven or eight years ago ;

(b) whether Government are aware of such cases where the period of previous service of those Unit Clerks who had joined the Indian Air Force after resigning from other Departments, has not been included in their present service, whereas it could be done under C.S.R. 417; and

(c) if so, the reasons for not taking proper action when there is no break in their service ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) Direct recruitment to the Armed Forces Headquarters Clerical Cadre is being made only in the Lower Division grade on the basis of the Clerks Grade Examinations conducted by the Union Public Service Commission since 1965.

Prior to that, vacancies in the Lower Division Grade in Armed Forces Headquarters were filled by absorption of surplus clerks of lower defence installations and through the Employment Exchange. Accordingly, only surplus unit clerks were absorbed in Armed Forces Headquarters. No unit clerks, who were not surplus, were absorbed in Air Headquarters seven or eight years back. However, some clerks from lower defence formations were absorbed in respective Services Headquarters prior to the initial constitution of the Armed Forces Headquarters Clerical Cadre in 1949. In view of the existing Recruitment Rules, no such absorption is now permissible.

However, due to the non-availability of sufficient Lower Division Clerks through the U.P.S.C., it has been decided to recruit on an *ad-hoc* basis 150 Lower Division Clerks through Employment Exchange on the condition that the Clerks so recruited will be allowed to continue in temporary service on a regular basis only if they are within the prescribed age limit and qualify at the next Clerks' Grade Examination to be conducted by the U.P.S.C. Any Lower Division Clerks working in the Units who become surplus and are therefore retrenched can apply for these posts through the Employment Exchange and such of them as are eligible and are sponsored by the Employment Exchange will be considered for these posts.

(b) As Article 417, C.S.R., is shown as 'omitted' in the C.S.R., perhaps the Honourable Member has Article 418 in mind. We are not aware of any case in which benefit of previous service rendered by Unit clerks, which is reckonable under the rules, was denied.

(c) Does not arise.

कच्छ न्यायाधिकरण

2090. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री सू० ला० वर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री मोहम्मद कोया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ न्यायाधिकरण की अब तक कोई बैठक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मामलों पर विचार किया गया; और

(ग) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

वैदेशिक कार्यमंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : ट्रिब्यूनल का पहला अधिवेशन 15 फरवरी 1966 से 23 फरवरी 1966 तक जिनेवा में हुआ जिसमें प्रशासनिक तथा वित्तीय मामले और प्रक्रिया संबंधी नियम तय किए गए । संबद्ध पक्षों द्वारा ज्ञापन, प्रति-ज्ञापन और प्रत्युत्तर भेजने के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है ।

पंजाब में परमाणु बिजली घर

2091. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य में निकट भविष्य में एक परमाणु बिजली घर स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके ब्यौरेवार योजना तैयार कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो ये बिजली घर कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं । परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत केवल केन्द्रीय सरकार को ही यह निर्णय करने का अधिकार है कि क्या कोई परमाणु बिजली घर स्थापित किया जाय, तथा यदि किया जाये तो किस क्षेत्र में ।

(ख) ऐसा कोई बिजली घर स्थापित करने का सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रोग्राम प्रोडयूसर और स्टाफ आर्टिस्ट

2092. **श्रीमती अकम्मा देवी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में प्रोग्राम प्रोड्यूसरों तथा अन्य वर्गों के स्टाफ आर्टिस्टों के पदों को नियमित बनाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है, और

(ग) क्या आकाशवाणी में अनियमित पदालियों में, रिक्त स्थान भरने से पूर्व चीफ प्रोड्यूसरों तथा डिप्टी चीफ प्रोड्यूसरों की भरती के लिये समुचित विज्ञापन दिये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं । टेप लाइब्रेरियन पद को छोड़ कर, जो इस समय स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में रखे जाते हैं, और किसी भी पद को नियमित सरकारी पदों में बदलने की कोई तजवीज नहीं है ।

(ख) टेप लाइब्रेरियन (स्टाफ आर्टिस्ट) के पद को नियमित (असैनिक) पद में बदलने का सवाल अभी विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं। आकाशवाणी में चीफ प्रोड्यूसर और डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के पदों पर नियुक्तियां साधारणतः विभागीय पदोन्नति से या बाहर के विख्यात लोगों में से चुनकर की जाती है।

आपातकाल में भर्ती किये गये सेना अधिकारी

2093. **श्री कपूर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छंटनी सेवा से मुक्त (रिलीज़) किये गये सेना अधिकारियों को, जिन्हें आपातकाल में भर्ती किया गया था, रोज़गार देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन सैनिक अधिकारियों के माता/अभिभावकों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस सम्बन्ध में शीघ्रताशीघ्र निर्णय किया जाये ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) सीधे भर्ती द्वारा पुरा किए जाने वाले रिक्त स्थानों को सरकार ने सेवा विमुक्त आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों तथा अल्पकालीन नियमित कमीशन प्राप्त अफसरों द्वारा पुरा करने के लिए इस प्रकार आरक्षित करने का निर्णय किया है :—

सेवा	रिक्त स्थान प्रतिशत जो आरक्षित किए गए
1. भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा	20 प्रतिशत
2. भारतीय पोलीस सेवा	30 प्रतिशत
3. केन्द्रीय सेवाएं (गैर-तकनीकी) प्रथम श्रेणी नियुक्तिएं (उन समेत जो रेलवे के अधीन है)	25 प्रतिशत
4. केन्द्रीय सेवाएं (गैर-तकनीकी) द्वितीय श्रेणी नियुक्तिएं (उन समेत जो रेलवे के अधीन है) . . .	30 प्रतिशत

सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि सीधे भर्ती द्वारा पुरा किए जाने वाले भारत सरकार की इंजीनियरी तथा चिकित्सा सवाओं के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के स्थायी रिक्त स्थानों के 50 प्रतिशत भी उन इंजीनियरी तथा डाक्टरी स्नातकों के लिये आरक्षित किये जायेंगे जो वर्तमान आपात स्थिति में सशस्त्र सेनाओं में अस्थायी पर कमीशन प्राप्त रहे और पश्चात् सवा से विमुक्त कर दिय गए। केन्द्रीय सेवाओं की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों की तरह राजकीय क्षेत्र के उपकरणों तथा राज्य सेवाओं में भी ऐसे ही आरक्षण का प्रश्न भी हस्तगत है।

(ग) ऐसे कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

वियतकांग

2094. श्री मधु लिमये : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वे वियतकांग को मान्यता देने तथा उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है यदि वे इसके लिए सहमत हों; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के विचार में इस पेशकश से सम्बन्धित पक्षों के बीच शान्ति वार्ता आरम्भ होने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : अमरीका सरकार ने भारत सरकार को यह सूचना नहीं दी है कि यह वियतकांग को मान्यता देने और उससे बातचीत करने को तैयार है।

इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज, लन्दन

2095. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **रक्षा** मंत्री 6 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 682 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज, लन्दन को सही स्थिति बता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस बात का पता लगाने का कोई प्रयास किया गया है कि उस इंस्टीट्यूट को यह जानकारी किस सूत्र से मिली थी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) : जैसा कि 6 दिसम्बर 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 682 के उत्तर में कहा गया था, अपने पास प्राप्य सूचना के अनुसार पाकिस्तानी और भारतीय क्षतियों का, भारत में और विदेश में भी विभिन्न प्रचार साधनों द्वारा काफी प्रचार किया जा चुका है। लन्दन की इन्स्टीट्यूट आफ स्ट्रैटजिक स्टडीज़ का इस विषय में विशेष प्रयोग किसी प्रकार से भी आवश्यक नहीं समझा गया।

छावनी बोर्डों के कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी

2096. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्डों के कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी वर्ष 1952 में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तेरह वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक मजूरी की दरों पर पुनरीक्षण नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं तथा सरकार मजूरी दरों का पुनरीक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के मामलों को, समझौते की कार्यवाहियां असफल हो जाने के बाद न्यायनिर्णय के लिये न्यायाधिकरणों को नहीं भेजती ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कुछ छावनी बोर्डों के कर्मचारियों की कई श्रेणियों के कम से कम उजरतों के दर 1952 में नियत किए गए थे और कई अन्यों के लिए 1954 में।

(ख) तथा (ग) : छावनी बोर्डों के कर्मचारियों की उजरतों सहित विभिन्न मामलों पर निर्णय देने के लिए 1958 में एक राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिबुनल स्थापित किया गया था। ट्रिबुनल ने 1 अप्रैल 1958 से विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतनमानों की सिफारिशें की थीं और यह सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं। ट्रिबुनल के फैसले पर 2 अप्रैल 1963 तक कार्यवाही होती रही, ट्रिबुनल के फैसले की कार्यवाही की अवधि में उजरतों के कम से कम दरों का संशोधन नहीं करना पड़ता। छावनी बोर्डों के कर्मचारियों की कम से कम उजरतों को पुनरीक्षण/संशोधन का कार्य हस्तगत है।

(घ) जी नहीं। विभिन्न मामलों का फैसला करने के लिए 1958 में एक राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिबुनल स्थापित किया गया था, और राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिबुनल के निर्णय पर उठने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में 1962 और 1963 में औद्योगिक ट्रिबुनल दिल्ली से भी निर्देशन प्राप्त किए गए थे।

बेरुबाड़ी का सीमानिर्धारण

2097. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरुबाड़ी में भारत पूर्वी पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण-कार्य पुनः आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा आज तक की स्थिति क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। लेकिन उम्मीद है कि सीमांकन का काम जल्दी ही शुरु हो जाएगा।

चलचित्र परियोजना

2099. **श्री म० प० स्वामी :**
श्री काशीनाथ दुबे :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दन्डकारण्य–बोलनगीर फिरिबुरु रेलवे परियोजना के मुख्य-मुख्य कार्यों के बारे में एक चलचित्र बनाया गया था;

(ख) क्या यह चलचित्र जनता में दिखाया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(घ) इस चलचित्र को बनाने में कुल कितना व्यय हुआ ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : जी, हां। फिल्म जिसका नाम "एक्रोस दि घाट्स" है, 9 अप्रैल, 1965 को दिखाने के लिए जारी कर दी गई थी।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) 31,600 रुपए।

वायुसेना के विमानों का कायात्तार में उतरना

2100. श्री स० प० स्वामी :

श्री काशीनाथ दुबे :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के तिरूनेलवेली जिले में कयात्तार में हाल ही में वायुसेना के विमान उतरे थे;

(ख) यदि हां, तो विमान किस उद्देश्य से वहां उतरे थे; और

(ग) क्या निकट भविष्य में कयात्तार में एक हवाई पट्टी बनाने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

चीन से विरोध-पत्र

2102. श्री काजरोलकर :

श्री पाराशर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने 27 जनवरी, 1966 को भारतीय दूतावास को एक पत्र दिया था जिसमें कहा गया था कि भारत 'चीन में जबर्दस्त घुसपैठ कर रहा है और बार बार सशस्त्र संघर्ष के लिये उकसा रहा है' ; और

(ख) यदि हां, तो चीनी दूतावास को क्या उत्तर दिया गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। चीन सरकार ये आरोप अपनी आक्रमक कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए लगा रही है।

(ख) 10 मार्च 1966 को नई दिल्ली-स्थित चीनी राजदूतावास के पास भेजे गए उत्तर में भारत सरकार ने यह बताया है कि चीन सरकार द्वारा सीमा के अतिक्रमण की जिम्मेदारी को मनगढ़त प्रत्यारोप लगाकर टालना व्यर्थ है। सरकार ने घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिकों द्वारा किए गए नुकसान का मुआवज़ा मांगने का अधिकार भी सुरक्षित रखा। उत्तर की प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल० टी० 5769/66।]**

अरब देशों में प्रचार

2103. श्री मुहम्मद कोया : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब देशों में हमारे प्रचार कार्य को बढ़ाने के उद्देश्य से कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : हालांकि ऐसी कोई साफ स्कीम तो नहीं बनाई गई है, फिर भी इस क्षेत्र में अपने प्रचार-कार्य पर बराबर ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रचार केंद्रों की सामान्य कार्रवाइयों के अलावा, अरबी में समुचित सामग्री तैयार की जाती है और अरब के प्रमुख पत्रकारों को समय-समय पर भारत आने का निमंत्रण दिया जाता है। इन सब कार्यों के करने से भारत और उन देशों के बीच मित्रता के परंपरागत संबंधों पर बल देने में योग मिलता है।

स्टाकहोम में परमाणु सम्मेलन

2104. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1966 में होने वाले स्टाकहोम सम्मेलन में, जो भूकम्पीय विधियों के द्वारा भूमिगत परमाणु परीक्षणों का पता लगाने की समस्या पर विचार करेगा, भारत में भाग लेने का निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन की कार्यवाही क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भूचाल का पता लगाने के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रश्न पर विचार करने के लिए स्वीडन सरकार संभवत: मई 1966 में स्टाकहोम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव कर रही है। स्वीडन सरकार के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार के साथ अनौपचारिक और खोज संबंधी बातचीत की है और प्रस्तावित सम्मेलन में भारत के हिस्सा लेने और सम्मेलन की कार्यसूची आदि के विषय से संबद्ध जो प्रश्न है, वे आशा है कि, उक्त विषय पर बाद में होने वाले विचार-विमर्श की रोशनी में हल कर लिए जाएंगे।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में वक्तव्य

2105. **श्री दाजी :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बड़े :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री लखमू भवानी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाई श्री सुरेश बोस द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि नेताजी जीवित है;

(ख) क्या उन्होंने यह भी घोषणा की है कि नेताजी मार्च में भारत आयेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत सरकार को मालूम है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई श्री सुरेश चंद्र बोस ने फरवरी में मदुराई में एक बयान में कहा था कि "नेताजी आज जीवित हैं" और नेताजी मार्च में भारत वापस आजाएंगे।

(ग) नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सूचित मृत्यु से सम्बद्ध तथ्यों का पता लगाने के लिए 1956 में जो जांच समिति नियुक्त की गई थी, उसने यह स्थिर किया है कि नेताजी 1945 की एक हवाई दुर्घटना में वस्तुतः मर गए थे । सरकार ने इस समिति के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है ।

नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप

2106. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में हुई 12 वें नेशनल शुटिंग चैम्पियनशिप के दौरान विशिष्ट निशानेबाजी में सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित अति शानदार निशानेबाजी के बारे में सरकार को पता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रथम 7 स्थान प्राप्त निशानेबाजों को, जिन्होंने वाइज़बड़ेन, जर्मनी में जुलाई 1966 में होने वाली विश्व शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रारम्भिक चयन किया, और आगे प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं देने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, इन में से दो को, मेजर एस ०एस ०अहलूवालिया और कम्पनी हवालदार मेजर मोती सिंह को सैनिक आवश्यकताओं से संमत, अधिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं पहले से दी गई हैं ।

सीमावर्ती सड़कें

2107. श्री हेमराज : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर, पश्चिमोत्तर तथा पश्चिम सीमाओं में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए वर्ष 1962, 1963, 1964 और 1965 के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया था और वर्ष 1966 के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) इसमें से कितना कार्य पूरा हो चुका है और कितना कार्य अभी बाकी है; और

(ग) अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) (लद्दाख सहित) जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में निर्माण का फोरी कार्यक्रम इस प्रकार है :—

वर्षान्त तक	नया निर्माण	वर्तमान सड़कों कार्य में उन्नति
	(मीलों में)	
दिसम्बर 1962 तक	884	761
दिसम्बर 1963 तक	880	761
दिसम्बर 1964 तक . .	904	821
दिसम्बर 1965 तक	964	881

1966 के निर्माण कार्य का कार्यक्रम पुनरीक्षण अधीन है ।

(ख) 31-12-65 को निर्माण कार्य का कार्यक्रम इस प्रकार था :

नए मार्ग बिछाने के लिए 530 मील लम्बी 20 फुट की सड़क की खुदाई

(सड़क खोदने का कार्य) 128 मील लम्बी 16 फुट की सड़क की खुदाई

95 मील लम्बी 8 फुट की सड़क की खुदाई

(पुरानी सड़कों में उन्नति 696 मील जैसे कि आंकित की गई) ।

इन सड़कों के लिए लक्ष्य तिथिएं नियत की जा चुकी हैं, और निर्माण कार्यों की प्रगति पर ध्यान रखा जा रहा है ।

(ग) उपरोक्त (क) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रायोजनाओं पर दिसम्बर 1965 को समाप्त होने वाले वर्ष तक नकद उठा खर्च 26.26 करोड़ रूपये से ऊपर है ।

परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकना

2108. **श्री व० बा० गांधी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेनेवा में हुए 17 राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने के लिये एक संधि करने के बारे में अमरीका तथा रूस द्वारा पेश किये गये दो प्रस्तावों के अतिरिक्त इटली की ओर से भी प्रस्ताव पेश किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इटली के प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं तथा उनके बारे में भारत का रुख क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) गैर-आणविक देशों द्वारा अणु अस्त्र प्राप्त न करने की इकतरफा घोषणाएं करने का इटली का जो प्रस्ताव अट्ठारह राष्ट्रों की हथियार-परिहार समिति को पेश किया गया था, उसकी एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है । भारत का ख्याल है कि अणु अस्त्रों का उत्पादन रोकने के एक व्यापक करार में इन विचारों को शामिल करना संभव हो सकेगा । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०5770/66]**

श्री जयप्रकाश नारायण का त्यागपत्र

2109. **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जयप्रकाश नारायण ने नागालैण्ड शांति मिशन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने जिन परिस्थितियों के कारण त्यागपत्र दिया है, उनके बारे में सरकार की जानकारी क्या है; और

(ग) उनके त्यागपत्र को ध्यान में रखते हुए नागालैण्ड शान्ति वार्ता के बारे में भावी संभावना क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) जी हां ।

(ख) श्री जयप्रकाश नारायण ने 8-3-66 को डाबरी में सर्वोदय कार्यकर्ताओं के समक्ष हिंदी मे भाषण देते हुए कहा था कि भारत-पाक संघर्ष के बाद नागालैण्ड में यह अनुभव किया गया है कि भारत भी लड़ सकता है और यदि वह विद्रोह को दबाने का निर्णय करता है तो वह इसे दबा सकता है। कुछ समाचार पत्रों में इसे गलत रूप में छापा गया जैसे कि उन्होंने यह कहा हो कि भारत सरकार नागाओं का सफाया कर सकती है। इस तथाकथित बयान से छिपे नागाओं के नेताओं में रोष पैदा हो गया और जब वे 17 फरवरी, 1966 को श्री जयप्रकाश नारायण से मिले तो उन्होंने अपने रोष को कडे शब्दों में व्यक्त किया। श्री जयप्रकाश ने, यह अनुभव करते हुए कि छिपे नागाओं का उन में विश्वाम नहीं रहा, निर्णय किया कि वह अब शान्ति मिशन के सदस्य के रूप में नहीं बने रह सकते। बैप्टिस्ट चर्च के, जिसने इस मिशन का गठन किया था, नेताओं ने श्री जयप्रकाश नारायण से त्यागपत्र वापस लेने के लिये अनुरोध किया और उनके अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) बातचीत जारी है।

युद्ध में विकलांग हुए सैनिक कर्मचारियों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण

2110. **श्री कर्णी सिंहजी :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने युद्ध में विकलांग हुए सैनिक कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और उनको लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में सहायता करने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से कुल कितने ऐसे व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा ;

(ग) इस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा; और

(घ) यह व्यवस्था कब से लागू होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां

(ख) तथा (ग) : 1962 में भारत चीन संघर्ष में निर्योग्य हुए 32 सैनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अथवा किरकी के क्वीन मेरी तकनीकी स्कूल में पहले से व्यवसायिक प्राप्त कर चुके हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मे प्रत्येक प्रशिक्षु को 75 रुपये मासिक वजीफा दिया गया था, जबकि किरकी के क्वीन मेरी तकनीक स्कूल में प्रत्येक प्रशिक्षु को 60 रुपये मासिक अनुरक्षण भत्ता दिया गया था। जहां तक 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में घायल हुए सैनिकों का सम्बन्ध है, जिनके निर्योग्य और विबलित होने की प्रत्याशा है, वह अभी सैनिक अस्पतालों में हैं। वह व्यवसायिक पथप्रदर्शन अफसरों द्वारा भेण्ट किये जा रहे हैं। उन में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें प्रशिक्षण के लिये भेजा जाएगा, और अन्तग्रस्त खर्च इस समय बता पाना संभव नहीं है। यह सेविवर्ग की व्यवसायिक रूचि को सामने रखते उनकी निर्योग्यता और व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए उनकी रजामन्दी पर निर्भर होगा।

(घ) 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के निर्योग्य हुए सैनिकों की हालत में प्रबंध ज्यों ही संबंधित व्यक्तियों का चिकित्सा उपचार संपूर्ण हुआ, और वह प्रशिक्षण के योग्य हुए, परिचालित किया जाएगा।

स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में

RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

अमृतसर, लुधियाना, आदि में उपद्रव तथा पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

अध्यक्ष महोदय : मुझे (1) श्री बड़े और (श्री ओंकार लाल बेरवा) (2) श्री प्रकाशवीर शास्त्री और (3) श्री मधु लिमये और श्री बागड़ी से अमृतसर और लुधियाना इत्यादि स्थानों में उपद्रव तथा पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में स्थगन प्रस्तावों की तीन सूचनायें तथा 15 ध्यान दिलाने की सूचनायें मिली हैं । इन में से कोई एक माननीय सदस्य यह बतायें कि किस प्रकार यह केन्द्र की जिम्मेदारी के अन्तर्गत आता है । श्री बड़े का नाम प्रथम है अतः वह इसका स्पष्टीकरण करें ।

Shri Bade (Khargone) : Due to Government's Decision in favour of Punjabi Suba, disturbances are taking place in Punjab and police have been opening fire on innocent children. Due to weak policy of the Government and due to anti-national elements as also slack administration it appears as if there is no administration and law and order in Punjab. The people of that State are demanding President's rule there. The regional formula has failed there. The present situation arises out of Prime Minister's statement. Hence my calling attention notice.

अध्यक्ष महोदय : श्री बड़े, आप एक वकील हैं । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रही है ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to draw your attention to article 73 of the Constitution which reads :—

"Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend—

(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws;....."

Next, I would draw your attention to article 3 of the Constitution :—

"Parliament may by law:—

(a) form a new state by separation of territory from any State or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any State ;....."

The proposal of the Working Committee is fully covered by this article and so far as the rights of the Working Committee are concerned, they come under article 73. In schedule, the boundaries of different states have been mentioned. Amedment to tnis Schedule comes under the article 3, a lime from which I have just now quoted. It further reads :

"Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the states the Bill has been referred by the President to the legislature of that state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such furrher period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired."

These articles clearly indicate that reorganisation or creation of new states is the clear responsibility of the Centre and not of the state governments. It was at the time of Indo-Pak conflict that the matter relating to the Punjabi Suba was brought before the House but instead of taking any firm stand in the matter, the Home Minister and the Central Government only made a mess of the issue. If this matter was decided in November last, the present situation would not have arisen. Hence, it is the responsibility of the Central Government and it has failed to carry it out properly.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : It was wrong on the part of the Congress Executive Committee to take a decision while a Parliamentary Committee was sitting and had not yet submitted its report and a sub-committee of the Cabinet was also sitting. Even if it is conceded that the Congress High Command is independent, the Prime Minister cannot be said to be independent. She is a representative of the House which has made the said Committee. The cause of disturbances there is that the Prime Minister declared that the decision of the High Command would be implemented.

Secondly, there is another matter which comes under the responsibility of the Centre. There are certain posts like that of the President, the Speaker and Governors of States which are above party or group level. The only difference is that while the former two are elected, the third one is appointed. The Governor of Punjab had no business, therefore, to declare that decision had been reached for conceding the demand for the Punjabi Suba. This also engendered dissatisfaction in Punjab.

The third reason why it is the responsibility of the Central Government is that the peaceful demonstrators there were lathi-charged and the Punjab Police wantonly lathi-charged children and students after entering into colleges. Worse than this happened when Shri Hathi visited Chandigarh because before his visit, only lathi-charge was being done but after his visit firing also started and children were killed. Hence, the matter comes within the responsibility of the Centre. Government has always been unsuccessful in dealing with situation in Punjab. Hence I request that the adjournment motion may be admitted.

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : I had not at all used these words that we would implement the decision of the Congress High Command. When I came out of the Congress Working Committee, many press representatives asked for my opinion on the matter but I told them that since it was a resolution of the Congress, the Congress President would tell them about it. I said nothing except that.

Mr. Speaker : The one thing that has been very much emphasised is that due to certain decision of the Congress Working Committee, disturbances took place in Punjab and several persons died or were wounded as a result of firing and lathi-charge there. Such matters, howsoever unfortunate they may be, come "under law and order" which is a responsibility of States and the Centre has nothing to do with such matters.

I have also carefully seen the articles of Constitution quoted by Shri Madhu Limaye. What Shri Madhu Limaye read out clearly contains "Subject to the provisions of the Constitution". That is law and order. Public order is the first item under States. Parliament can only discuss a decision of Government. We cannot discuss here the decision of the Congress Working Committee, whatever may be the results of such a decision. Since Shri Hathi has been mentioned, and he had visited Punjab, he might make a statement in this connection. How can I admit notices regarding mistakes on the part of Governors.?

Shri Bade : You have given your decision that law and order is a State matter but a Governor is responsible to the Central Government. Kindly re-consider your ruling that Parliament cannot discuss what a Governor says or does.

Mr. Speaker : This is not mentioned in your adjournment motion. I do not want this matter to be discussed any more. I have called him to make a Statement.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : श्रीमन, यह ठीक है कि मैं थोड़े समय के लिये चंडीगढ गया था । मैं पंजाब में स्थिति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी लेने के लिये गया था । पंजाब सरकार ने मुझे बताया कि पंजाब राज्य के भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने के बारे में कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव के प्रकाशित होने के बाद जनसंघ ने उसका विरोध करने के लिये हड़ताल तथा प्रदर्शन करने को कहा । 9 मार्च और उसके बाद अमृतसर, जालंधर, लुधियाना तथा अन्य स्थानों में हड़ताल रही । इनमें से कई स्थानों पर ज़िला अधिकारियों द्वारा जारी किये गये निषेधात्मक आदेशों की अवज्ञा कर के प्रदर्शन किये गये । कई जगह सम्पत्ति जमाने और ड्यूटी पर होने वाले पुलिस तथा मजिस्ट्रेटों पर पत्थर फेंकने की घटनायें हुई हैं जिससे अनेक व्यक्ति घायल हुये हैं । भीड़ ने बसों और एक छोटे डाक खाने के अभिलेखों तथा फर्नीचर को तथा एक टेलीफोन बुथ को आग लगा दी । अतः और अधिक विधिहीनता को रोकने के लिये पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ी और कई बार भीड़ को तित्तर बित्तर करने के लिये आंसू-गैस का प्रयोग करना पड़ा तथा लाठी चलानी पड़ी ।

13 मार्च को प्रदर्शकों की 2,000 लोगों की एक भीड़ ने पुलिस के कुछ सिपाहियों पर जो अमृतसर में एक बिजली घर पर पहरा दे रहे थे, हमला किया । एक सिपाही ने गोली चलाई जो दुर्भाग्य से एक छोटे लड़के को लगी और वह मर गया । इस सम्बन्ध में केस रजिस्टर कर लिया गया है ।

एक और दुर्भाग्य पूर्ण घटना कल शाम को जालंधर में हुई जब मास्टर तारा सिंह के पक्ष के लोगों तथा जन संघ द्वारा आयोजित जलूस में टक्कर हो गई । इस के फलस्वरूप भीड़ ने 6 इमारती लकड़ी की दुकानों को आग लगा दी । थोड़े समय के लिये रेलों का आना जाना भी रुक गया था । पुलिस को कई गिरफ्तारियां करनी पड़ीं । कल सायं तक 266 लोगों को पकड़ा जा चुका है और 94 पुलिस तथा अन्य कर्मचारी घायल हुये हैं जिन में अतिरिक्त उप-आयुक्त एक मजिस्ट्रेट एक पुलिस अधीक्षक तथा एक पुलिस उप-अधीक्षक शामिल हैं । दो पुलिस के सिपाहियों की आखों को गम्भीर चोट पहुंची है । बहुत सी सरकारी बसों तथा अन्य गाड़ियों को आग लगा दी गई है अथवा दूसरी प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया है ।

सरकार को इन घटनाओं पर विशेषत: अमृतसर में एक लड़के के मरने पर बहुत दुःख है । सरकार को यह जानकर बडा संतोष हुआ है कि अनेक दलों ने विधिहीनता तथा हिंसा को रोकने के लिये प्रयत्न किये थे । मैं आशा करता हूं कि यह सभा सरकार के साथ साथ इन घटनाओं की निन्दा करेगी । सरकार पंजाब के लोगों से आग्रह करती है कि वे राज्य में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिये सरकार को सहयोग देंगे । पंजाब में अभी स्थिति कठिन और तनावपूर्ण है परन्तु राज्य सरकार उसका मुक़ाबला बड़ी दृढ़ता और प्रभावशाली ढंग से कर रही है ।

सरकार के एक वरिष्ट सचिव श्री वी० शंकर आज सुबह पंजाब के लिये रवाना हो गये हैं । वह अमृतसर होकर यदि संभव हुआ तो जालंधर भी जायेंगे, चंडीगढ़ चले जायेंगे जहां वह राज्य सरकार तथा केन्द्र के बीच बराबर सम्पर्क रखेंगे और राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार सहायता करेंगे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1966

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत केरल विश्व-विद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1966 की एक प्रति जो केरल के राज्यपाल द्वारा 28 जनवरी, 1966 को प्रख्यापित किया गया था ।

(2) वे परिस्थितियां बताने वाले विवरण की एक प्रति जिन में केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1966 प्रख्यापित किया गया । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिए क्रमशः संख्या एल० टी० 5760/66 और 5761/66 ।]**

स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में—(जारी)

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES—*Contd.*

अमृतसर, लुधियाना आदि में उपद्रव तथा पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

Shri Bade : The Central Government is responsible for the situation that has developed in Punjab. The honourable Minister should, therefore, resign his office. We walk out as a mark of protest.

(श्री बडे तब सभा से बाहर चले गये)

(Shri Bade then left the House)

Shri Bagri : I had tabled a calling attention notice regarding Haryana Province. Nothing is being done to allay the fears of the people (**Interruptions**)

Shri Onkar Lal Berwa : This is not democracy ; this is only a mockery of democracy. I walk out of the House as a mark of protest.

(श्री ओंकार लाल बेरवा तब सभा के बाहर चले गये)

(Shri Onkar Lal Berwa then left the House)

Shri Rameshwaranand : I also walk out of the House.

(श्री रामेश्वरानंद तब सभा से बाहर चले गये)

(Shri Rameshwaranand then left the House)

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(जारी)

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

केरल विश्व विद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1966

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : अभी हाल जो पत्र सभा-पटल पर रखा गया है मैं उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । यह सत्य नहीं है कि केरल विश्वविद्यालय अधिनियम में संकट की स्थिति का मुकाबला करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है । धारा 10 की उप-धारा (iv) में दिया हुआ है कि उप-कुलपति का अस्थायी रिक्तपद कुलपति के परामर्श पर सिंडीकेट द्वारा भरा जा सकता है । अतः अधिनियम में पर्याप्त उपबन्ध थे ।

अध्यादेश के दूसरे पुरंन्तुक में दिया हुआ है कि उप-कुलपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी कुलपति द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त किये जाने तक कार्य करते रहेंगे । अतः अध्यादेश का दूसरा भाग पर्याप्त था । अध्यादेश का प्रथम भाग मंत्री की शक्तियों के परे है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर इस समय चर्चा नहीं की जा सकती । यह ग़लत परम्परा है कि जैसे ही कोई पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है उस पर चर्चा आरम्भ हो जाती है ।

सीमा-शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसुचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 29वां संशोधन नियम 1966 की एक प्रति जो दिनांक 26 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 277 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 550 जो दिनांक 26 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) एस० ओ० 551 जो दिनांक 26 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) एस० ओ० 552 जो दिनांक 26 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) एस० ओ० 553 जो दिनांक 26 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(पांच) एस० ओ० 554 जो दिनांक 26 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) एस० ओ० 555 जो दिनांक 26 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(सात) एस० ओ० 556 जो दिनांक 26 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(आठ) एस० ओ० 557 जो दिनांक 26 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए क्रमशः संख्या एल० टी० 5764/66 और 572/66 ।]

Shri Bagri : I have a point of order to make. I have tabled a notice of adjournment motion. I may be permitted to speak.

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य बैठ जायेंगे ।

Shri Bagri : Why has no decision been made about the people of Haryana ?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य नहीं बैठेंगे तो मुझे उनसे बाहर चले जाने के लिये कहना पड़ेगा ।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड बंगलौर के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूं ।

श्री उमानाथ के पैरोल के बारे में

RE : PAROLE OF SHRI UMANATH

अध्यक्ष महोदय : अब श्री उमानाथ के मामले पर मुझे अपना निर्णय देना है ।

श्री उमानाथ संसद्-सदस्य मद्रास सरकार के आदेश से भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द हैं । उन्होंने अपनी बीमार पत्नी की सेवा शुश्रुषा करने के लिये पैरोल पर रिहा किये जाने की मांग की थी । राज्य सरकार ने उनकी प्रार्थना स्विकार की परन्तु अन्य बातों के साथ साथ ये शर्त रखीं कि :

(1) श्री उमानाथ प्रतिदिन स्थानीय पुलिस थाने में उपस्थित होंगे; और

(2) वह किसी प्रकार की तोड़फोड़ की (राजनैतिक) कार्यवाही नहीं करेंगे और न उसमें भाग लेंगे ।

2 मार्च 1966 को सभा में यह प्रश्न उठा कि क्या श्री उमानाथ यदि वह चाहें तो पैरोल पर रिहाई के दौरान सभा में उपस्थित रह सकते हैं और चर्चा में भाग ले सकते हैं । विधि मंत्री ने कानूनी स्थिति स्पष्ट की लेकिन जब और संदेह व्यक्त किये गये तो सभा के नेता ने स्थिति पर और विचार करने तथा उसके आशय की छानबीन करने के लिए समय चाहा ।

इससे पहले कि सरकार अपना दृष्टिकोण बताती और सभा कोई निश्चय करती, 2 मार्च 1966 को श्री उमानाथ पर एक और आदेश तामील किया गया कि वह पैरोल पर रिहाई के दौरान दिल्ली नहीं जा सकते । इस नये आदेश के कारण श्री हरि विष्णु कामत ने यह प्रस्ताव रखा कि विशेषाधिकार का भंग और सभा का अवमान हुआ क्योंकि श्री उमानाथ के लोक-सभा में उपस्थित होने पर रुकावट डालने वाली एक नयी शर्त लगा दी गयी थी । गृह-कार्य मंत्री ने बताया कि :

(1) नया आदेश तो केवल एक स्पष्टीकरण है और वह कोई नयी शर्त अथवा पैरोल के मूल आदेश में उल्लिखित पुरानी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है ; और

[अध्यक्ष महोदय]

(2) श्री उमानाथ जिन स्पष्ट शर्तों पर अपनी रिहाई के लिये सहमत हुए थे उन शर्तों में अन्य बातों के साथ साथ स्थानीय पुलिस थाने में प्रतिदिन हाजिरी देना भी शामिल था. जिस में यह आशय निहित था कि वह लगातार अपने निवास स्थान पर ही रहेंगे ।

भारत रक्षा नियमों का प्रशासन राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है । श्री उमानाथ को परोल पर छोड़ने के लिये कोई भी शर्त लगाना पूर्णतः मद्रास राज्य के क्षेत्राधिकार में है और उन शर्तों को स्वीकार करना अथवा न करना श्री उमानाथ पर निर्भर था । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का कोई दायित्व नहीं है और यदि इन शर्तों के कारण श्री उमानाथ के पैरोल पर रहते हुए सभा में उपस्थित होने पर रोक लगती है तो भी सभा इस विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती । इस प्रकार के मामले से सभा का कोई अवमान नहीं होता ।

किन्तु 2 मार्च 1966 के आदेश की तामील से एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है । यदि यह नया आदेश केवल स्पष्टीकरण था तो वह अनावश्यक था; यदि इस से नई शर्त लगाई गई तो ऐसा करना अनुचित था क्योंकि यह आदेश उस समय लागू हुआ जब कि मामला सभा के विचाराधीन था ।

अब हम 2 मार्च 1966 के आदेश पर विचार करेंगे । उक्त आदेश से श्री उमानाथ के दिल्ली आने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा इस प्रकार इसका एक मात्र उद्देश्य उन्हें सभा में उपस्थिति होने से रोकना है । वस्तुतः केवल यही प्रश्न सभा के विचाराधीन था और राज्य सरकार अथवा सम्बद्ध अधिकारी ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिस के अधीन सभा द्वारा अन्यथा निर्णय किये जाने पर भी श्री उमानाथ सभा में उपस्थित नहीं हो सकते ।

सभा में उपस्थित होने और चर्चा में भाग लेने को आपत्तिजनक कार्यों में भाग लेना नहीं कहा जा सकता । यदि मूल प्रतिबन्धों के अधीन श्री उमानाथ किसी विमान सेवा से यहां पहुंचते और चर्चा में भाग ले कर उसी दिन विमान द्वारा वापस लौट कर पुलिस थाने में अपनी हाजिरी दे सकते तो इस से प्रतिबन्ध की मूल शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं होता । किन्तु यदि वह अब ऐसा करते हैं तो इसे प्रतिबन्ध का स्पष्ट उल्लंघन माना जायेगा । मैं पहले की शर्तों की कानूनी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हूं, इसका निर्णय करना तो न्यायालयों का ही कार्य है । यह भी संभव है कि न्यायालयों का मत हो कि मूल शर्तों के अधीन भी नजरबन्द व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं हो सकता । इसलिये यदि श्री उमानाथ ने ऐसा किया होता तो इस की पूरी जिम्मेदारी उन पर होती । इस समय मेरा सीमित उद्देश्य केवल यही बताना है कि तथाकथित स्पष्टीकरण आदेश से मूल प्रतिबन्धों में परिवर्तन हो गया है ।

यह बात कुछ और विचार करने पर स्पष्ट हो जाती है । यह नवीनतम आदेश श्री उमानाथ पर निकटवर्ती नगरों में अथवा मद्रास अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता है बशर्ते वह उसी दिन शाम को लौट कर अपनी हाजरी दे सकें । यदि मूल आदेश में यह उल्लिखित होता कि नजरबन्द व्यक्ति अपनी गतिविधि को अपने गांव अथवा शहर तक ही सीमित रखेगा तो यह बात समझ में आ सकती थी । इस से भी आगे यह कहा जा सकता है कि 2 मार्च को दिये गये बाद वाले आदेश में यदि यही बताया गया होता कि मूल आदेश का उद्देश्य श्री उमानाथ की गतिविधि को स्थानीय पुलिस थाने की सीमाओं के अन्दर सीमित रखना था और वे इन सीमाओं के बाहर नहीं जा सकते तो भी यह तर्क किया जा सकता था कि ऐसा स्पष्टीकरण अनावश्यक था । किन्तु वर्तमान स्थितियों में मेरे पास इस बात के अलावा

कोई चारा नहीं है कि मैं यह निर्णय दूं कि यह एक नई शर्त थी जो विशेषत: इसी उद्देश्य से लगाई गई थी कि वह सभा में भाग लेने के लिये दिल्ली न जा सके ।

मे कि पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के पृष्ठ 109 में कहा गया है कि "किसी कार्य अथवा लोप को जो संसद् के किसी सदन के कार्य में बाधा अथवा रुकावट डालता है अथवा किसी सदस्य द्वारा अपने कर्तव्य के पालन में बाधा अथवा रुकावट डालता है अथवा जिसकी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति है अवमान माना जा सकता है चाहे इस अपराध का कोई पूर्व दृष्टांत न हो ।

यह महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय सरकार ने जो इस सदन के प्रति उत्तरदायी है, इस सभा में 2 मार्च को हुई चर्चा और सरकार द्वारा स्थिति का परीक्षण करने के बाद आगे वक्तव्य देने के वचन के सम्बन्ध में मद्रास सरकार को अवगत कराने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की ; और बाद में जब उसे यह ज्ञात हुआ कि श्री उमानाथ को नया स्पष्टीकरण आदेश जारी किया गया, तब उस ने इस सभा द्वारा निश्चय किये जाने तक राज्य सरकार को उक्त आदेश रद्द करने अथवा अस्थगित करने की सलाह नहीं दी । यह विचित्र बात है कि जब गृह-कार्य मंत्री ने सदन में यह बताया कि यदि पैरोल की शर्तों के अनुसार ऐसा करने की अन्यथा अनुमति हो तो श्री उमानाथ सभा में उपस्थित हो सकते हैं, तब मद्रास राज्य सरकार पैरोल के आदेश की व्याख्या के प्रभाव को पहले ही समाप्त कर चुकी थी । इस मामले की परिस्थितियों में यह सम्भव है कि सभा इस मामले की पूरी पूरी जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिनांक 2 मार्च 1966 का वह आदेश तामील करना, जिस में श्री उमानाथ को उस अवधि में, जबकि यह मामला सभा के विचाराधीन था, खासकर दिल्ली जाने की, जहां संसद् की सभायें समवेत होती हैं, मनाई की गई है, सभा का अवमान है ।

इस अवस्था में मेरा कार्य तो इस बात पर विचार करना है कि क्या मैं उस विशेषाधिकार प्रस्ताव पर जो कि रखा जा रहा है, अपनी सम्मति दूं । जैसा कि मैं ने ऊपर बताया है, ऐसी सम्मति देने के लिये मेरे सामने पर्याप्त सामग्री है । परन्तु मैं सभा से इस पर विचार करने के लिये आग्रह करूंगा कि चूंकि यह अपनी किस्म का पहला मामला है और सम्भवत: यह आदेश उसके परिणामों को न जानते हुए जारी किया गया था, अतएव यह अधिक अच्छा होगा कि सदन उस के अनौचित्य पर अपना असंतोष व्यक्त करे और इस मामले को यहीं छोड़ दे ।

मैं फिर दोहराता हूं कि मेरे लिये इस बारे में कोई राय देने की अपेक्षा नहीं है कि श्री उमानाथ राज्य सरकार द्वारा लगाये गये और उनके द्वारा मान लिये गये निर्बन्धनों के अधीन इस सभा में उपस्थित हो सकते हैं अथवा नहीं । यह एक कानूनी सवाल है जिसका फैसला करना अदालतों का कार्य है । इस सभा को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यदि वह आते हैं और सभा में उपस्थित होते हैं तो उन्हें स्वयं ही उसके परिणाम भोगने होंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आपने कहा है कि वैसे तो सभा के अपमान का प्रश्न है परन्तु इसे आगे बढ़ाया नहीं जाना चाहिये ।

जब उस दिन मद्रास सरकार ने एक पूलिस के सब-इन्स्पेक्टर द्वारा श्री उमानाथ को नोटिस दिया तो गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि "हम ने कोई आदेश नहीं दिया है" । उसे उस समय यह भी पता नहीं था कि आदेश दिया है । उसका यह कर्तव्य था कि इस सभा की कार्रवाई से मद्रास सरकार को अवगत कराता ।

मेरे एक मित्र ने मुझे पत्र लिखा है उस क्षेत्र से कि मद्रास के मुख्य मंत्री ने कहा है कि संसद् सदस्य तो इस सभा में गैर-जिम्मेदार वक्तव्य देते हैं । इस वक्तव्य के कारण यह आरोप और भी अधिक संजीदा हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कहने के बावजूद यहां राज्य सरकारों तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध बात कही जाती है जो यहां मौजूद नहीं हैं । यदि हम इस प्रकार चलते रहे तो विधान सभायें भी ऐसा करना प्रारंभ कर देंगी । यदि मैं ऐसी अनुमति देदूं तो वह कहेंगे कि अध्यक्ष मूर्ख था तो सदस्य भी बुद्धिमान नहीं थे । इस लिये हमारे अपने बचाव के लिये थे । भी यह आवश्यक है कि हम केवल वह कहें जिसका अधिकार हमें संविधान देता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपकी बात के लिये धन्यवाद । मैं आपका आदेश पूरे हृदय से मानता हूं ।

मैंने मद्रास के मुख्य मंत्री के बारे में कुछ नहीं कहा । जो उसने कहा कहते है वही मैंने कहा है । आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर दूसरे आदेश की एक फोटो कापी रखता हूं जो कि बन्दी को दिया था । सरकार इसे माने अथवा इन्कार करे ।

मैं चाहता हूं कि इस बात की परवाह न करते हुए की जिस व्यक्ति ने सभा का अपमान किया है वह कितना बड़ा व्यक्ति है. इस विषय को विशेषाधिकार समिति को भेजा जावे ।

श्री हीं० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : आपने अध्यादेश दिया है कि जो वैसे हो कुछ शक्तियों के लिये झाड दे परन्तु आपने अपनी उदारता के कारण कह दिया है कि क्योंकि यह पहला मामला है अपनी तरह का हमको आगे इसका जिक्र न किया जावे ।

आपको भी कुछ मौकों पर कहना पड़ा कि संसदीय लोकतन्त्र को जिस प्रकार यहां कार्य कर रहा है, खतरा है ।

इन मामलों को उन से न मिटाया जाये कि कुछ विरोधी दल के लोग अनुकुल परिस्थितियों के कारण करते हैं । हमें सारी संसद के अधिकारों को देखना है और जिन्हें कुछ अधिकारी सूत्रों से धोखे में डालने का प्रयत्न किया जा रहा है । वे अधिकारी केन्द्र तथा राज्य सरकारों में दोनों जगह है ।

श्री कामत द्वारा कुछ नये तथ्य प्रस्तुत किये जाने के कारण इस मामले की जांच कुछ अधिक होनी चाहिये ।

मैं सुझाव दूगां कि आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सामने रख दें ताकि वहां इसे पूरी तरह निबटाया जा सके । वहां सरकारी अधिकारी क्षमा भी मांग सकते हैं और यह मामला समाप्त हो सकता है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : आप ने जो आज अध्यादेश दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं । इस से संसद सदस्यों के हाथ मजबूत होते हैं । यदि यह मामला विशेषाधिकार समिति को नहीं भेजा गया तो इसका परिणाम क्या होगा । यह भी कहा जावेगा कि इस सदन ने इस मामले को इतना महत्वपूर्ण ही नहीं समझा कि इसे इस समिति को भेजा जावे । परन्तु यदि इसे भेज दिया गया तो फिर शायद राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार तथा उनके सचिवालय फिर ऐसे मामलों पर सोये नहीं रहेंगे । संसद सदस्यों को बन्दी बनाया जाता है तो एक प्रकार से वे अपने दलके तथा देश की सेवा नहीं कर सकते । इस लिये मैं सरकार का ध्यान इस आवश्यकता की ओर दिलाता हूं कि वे संसद के दृष्टिकोण से इस प्रकार की शरमनाक पाबन्दियां न लगावें ।

संसद कार्य मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम ने कभी आपके अध्यादेश को नहीं ठुकराया है । मुझे आशा है कि सभा मेरे से सहमत है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं कि दंड दिया गया है अथवा क्षमा मांगी गई है या नहीं । अपने अधिकार को स्थापित करना अधिक महत्वपूर्ण है । जब सदन अपने अधिकार का ऐलान करता है और उसे स्थापित करता है तब सदन का मान अधिक बढ़ता है । मैं तो इसको इस प्रकार मानता हूं । इस लिये मैं सदस्य महोदयों से कहूंगा कि मेरी प्रार्थना मानें और इस मामले को समाप्त करें । मुझे आशा है कि सदन इस से सहमत होगा ।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : महोदय. यदि हम आपकी बात माने तो हम मद्रास सरकार को अपराधी ठहरावेंगे और यह भी उन्हें बिना सूने होगा । यह सब संसदीय लोकतन्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा ।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे शायद सुना नहीं । यह असन्तोष तो केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध है न कि राज्य सरकार के ।

श्री रंगा : महोदय. सारे देश में बहुत से मामले हो रहे हैं जिनके बारे में हमने अपने विचार प्रकट किये हैं । क्या यह सम्बन्धित मंत्री का कर्तव्य नहीं है कि राज्य सरकारों को संसद का रवैया जो उनके महकने के बारे में है उस से अवगत करावें। यह मामला तो ऐसा है कि गृह-कार्य मंत्री राज्य सरकार को तुरन्त टेलीफोन पर बतलाता ।

श्री दी० ना० मुकर्जी : सभा के नेता के रवैये से ऐसा प्रतीत होता है कि वह आपकी उदार अध्यादेश के कारण प्रसन्न हैं कि पीछा छुट गया । सरकार तो क्षमायाचना कर ही नहीं रही है । आप अपकी उदार अध्यादेश से सभा को न बांधे । के इस उदारता वे लायक नहीं हैं ।

Shri Madhu Limaye : I may submit to you that we should refer this matter to the Privileges Committee. Mr. Karanjia was warned and admonished by this House. If we do not take action on it a misunderstanding will be created that action is taken where private individuals are involved but it is not done when it is a case of Government. I therefore want this to be referred to the Committee on Privileges.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : क्या सरकार मद्रास सरकार से कहेगी कि वह अपना आदेश वापस ले ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपके अध्यादेश के सामने झुकता हुं । पहले तीन चार मामले ऐसे हुए है जहां क्षमा मांगी गई थी । मैं तो केवल यह कहता हूं कि आप इन्हें उदारता दिखा रहे हैं परन्तु वह इसके योग्य नहीं हैं ।

श्री दी० ना० मुकर्जी : सरकार के रवैये को देखते हुए यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जावे ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मेरे विचार में हमें हक नहीं है कि हम मद्रास सरकार की ओर से क्षमा मांगे । जहां तक हमारा संबंध है सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं था कि इस सदन को चुनौती दी जाती । हमें इसका वास्तव में दुःख है । मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपके अध्यादेश के अनुसार भी मद्रास सरकार तथा वहां के मुख्य मंत्री ने सभा का अपमान किया हैं और उन्होंने अभी तक दुःख प्रकट नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें इसे मान लेना चाहिये ।

सामान्य आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा—(जारी)

GENERAL BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : श्री कौजलगी अपना भाषण जारी कर सकते है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री हे० वी० कौजलगी (बलगांव) : भिन्न भिन्न प्रान्तों में खाद्यान्न के भिन्न भिन्न भाव हैं । पंजाब में कहते हैं कि उनके वहां अन्न पड़ा है कोई उठाता नहीं है और उन्हें इस कारण घाटा उठाना पडता है । मेरे विचार में इस सब की जड़ ज़ोनों का होना है । इन्हें तुरन्त हटाया जावे और खाद्यान्न की खुली तरह ले जाना रहना चाहिये ।

मैसूर में सिंचाई व्यवस्था बहुत कम है । राज्य सरकार ने बड़े सिंचाई के कार्य अपने हाथ में ले रखे हैं । राज्य सरकार ने केन्द्र से कहा है कि अपर कृष्णा योजना को अपने हाथ में ले लेवे । मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्र इसे मान ले तथा मालाप्रभा योजना के लिये भी वित्तीय सहायता दे ।

मैसूर सरकार ने छोटी सिंचाई के कार्यों की एक योजना बनाई है । मैसूर सरकार के पास धन की कमी है । इस लिये केन्द्रीय सरकार को उसकी सहायता करनी चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : अध्यक्ष के अध्यादेश अनुसार सभा में एक मंत्रिमंडल के मंत्री उपस्थित होना चाहिये । परन्तु अब यहां कोई नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद कार्य मंत्री तथा श्री भगत यहां है । हमें जारी रखना चाहिये । बीच में एक मंत्रिमंडल के मंत्री को बुला लिया जावे ।

श्री कौजलगी : खांडसारी पर कर लगा हुआ है । क्योंकि यह लघु उद्योग है इस लिये वित्त मंत्री को चाहिये कि यह कर हटा दिया जावे ।

नशाबन्दी के बारे में टेकचन्द समिति ने अपना प्रतिवेदन दो वर्ष पूर्व से दिया हुआ है । एक नशाबंदी मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा । अच्छा यह होगा कि टेकचन्द समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की जावे और उस पर अन्तिम निर्णय लिया जावे ताकि फिर कोई आन्दोलन न हो ।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण नेट में उन बातों का जिक्र किया जो पिछले वर्ष आर्थिक समस्याओं को सुधारने के लिये किये गये । परन्तु कुछ अन्य कारणों की वजह से भावों को नीचे नहीं लाया जा सका । फिर भी भावों के बढ़ने की रफ्तार इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है । मैं फिर भी वित्त मंत्री को बधाई दूंगी कि उन्होंने ठीक तस्वीर सदन के सामने रख दी तथा इसका वर्णन आर्थिक सर्वेक्षण में और बजट के भाषण में भी किया है । यह इस लिये भी सराहनीय है कि उन्हें थोड़े ही समय में यह सब जानना पड़ा ।

कुछ कारण जिसकी वजह से पुरा लाभ न हो सका यह हैं कि एक तो हर स्थान पर फसलों की असफलता रही । दूसरे पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण भारत को मिलने वाली सहायता में रोक पड़ गई । तीसरी बात यह कि हमें बाहर देशों का ऋण देना है जो कि इकट्ठा हो गया है और उस पर सूद भी बढ़ रहा है ।

एक और कारण जिसका वर्णन आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं किया गया वह है जान बुझकर हमारा विश्वास एक तरीके से समाप्त किया जा रहा है ।

आज के आर्थिक ढांचे में राष्ट्रों को एक दूसरे पर आधारित होना पडता है । श्री जार्ज वूड ने एक लेख में कहा है कि ऋण की समस्या विकासशील देशों के अपने हाथ में है ।

वित्त मंत्री ने 460 करोड़ रुपये के विदेशी उधार को बजट में शामिल किया है । कुछ सदस्यों ने तो वित्त मंत्री की इसके लिये आलोचना की है । हम अपनी आने वाली सन्तानों के ऊपर इस ऋण का बोझ डाल रहे हैं ।

अब मैं कुछ शब्द सहायता में रुकावट के बारे में कहूंगी । यह तो सच है कि ताश्कन्द समझौते के फलस्वरूप भारत तथा पाकिस्तान में शान्ति हो गई है । परन्तु यह समझ में नहीं आता कि देश में एक बार फिर आत्म-निर्भरता को भुलाया जा रहा है । यह तो मैं नही कहती कि हम सहायता लेने को बन्द कर दें परन्तु हमारा उद्देश्य यह अवश्य होना चाहिये ।

मैं खाद्य के बारे में कुछ कहूंगी । खाद्यान्न की कमी के बारे में देश के अन्दर तथा देश के बाहर बढ़ा चढ़ा कर प्रचार किया जा रहा है । उसका परिणाम यह हुआ है कि लोगों ने खाद्यान्न को संचय करना आरंभ कर दिया है । हमें खाद्यान्न के बारे में यह नीति अपनानी चाहिये कि जिस से जितना खाद्यान्न देश में है वह सब को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिये । यह इस भेद भाव के बिना करना चाहिये कि वहां कितना खाद्यान्न उत्पन्न होता है । हमारे राज्य में तो सरकारी स्थानों पर योजना के अनुसार आक्रमण किय जाते हैं । उसका एक कारण है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस सरकार पर आलोचना करने का अवसर मिल जावे ।

बजट के बारे में मैं निवेदन करूंगी कि सरकारी व्यय में कमी होना अच्छी चीज है । परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह कमी केवल उन भागों में होनी चाहिये जिन से कुछ उत्पादन नहीं होता है । इस कमी में आप शिक्षा तथा स्वास्थ्य को न ले बैठना । 1964-65 के बजट में शिक्षा पर 80.53 करोड़ रूपया व्यय हुआ था परन्तु 1966-67 के लिये केवल 3.3 करोड़ रूपया रखा है । सामान्य प्रशासन पर व्यय बढ़ता जा रहा है ।

करों और विशेषकर आयकर के इकट्ठा करने पर अधिक बल नहीं दिया गया है । इस कार्य पर भी बल देना चाहिये । करों को संचय करने वाले विभाग में सुधार होना चाहिये ।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि व्यय कर को क्यों समाप्त कर दिया है । मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इसे फिर लागू कर देंगे । चीनी तथा अच्छा कपड़ा ऐसी वस्तु हैं जो हमे विदेशी मुद्रा दिलाते है ।

हमारे राष्ट्र पर अब संकट का समय है । परन्तु साथ ही यह भी न भूलना चाहिये कि इसमें कुछ ऐसे छुपे गुण हैं जिनके कारण हमारा आत्म विश्वास समाप्त नहीं हो सकता । मेरा तो वैसे भी निराशा में विश्वास नहीं है । हमें शिथिल तो फिर भी नहीं होना है । मैं सदन सब सदस्यों से प्रार्थना करती हूं कि हम सब इकट्ठे हो जावें ताकि आज की जो बुराइयां हैं उन्हें समाप्त किया जा सके । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय सब से पहले तो मैं नये वित्त मंत्री को इस बात के लिय बधाई दूंगा कि वे संतुलित बजट पेश कर सके । यह भी अच्छा है कि पुलिस वालों को सम्पदा शुल्क से मुक्त कर दिया है । इसे भूत अवधि लक्षी से किया है यह और भी अच्छा है ।

[श्री कर्णी सिंहजी

बजट को जांचने के लिये हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि देश में कितनी गरीबी है। यदि आप को यह देखना हो कि केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले धन का किस प्रकार उपयोग होता है तो आपको राज्यों में जाना होगा। केन्द्र अथवा योजना आयोग द्वारा राज्यों को एक निदेश दिया जाना चाहिये कि इसका कुछ वास्तविक लाभ हो।

राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण योजना को तीन मास और बढ़ाया है यह अच्छा है। मैं तो कहूंगा कि इसे और पक्के स्तर पर रखना चाहिये। इस से यह लाभ होगा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय यहां देश में रूपया भेज सकेंगे जिसे यहां लगाया जा सकेगा।

देश में भूखमरी चली आ रही है। इस वर्ष तो वैसे भी अकाल के मामले में बुरा है। इस गरीबी को दूर करने के लिये कुछ ठोस कार्य नहीं किया जा रहा है। मेरे विचार में तो भारत की आर्थिक स्थिति दस या बीस वर्ष बाद भी वही रहेगी जो आज है। प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है वह भी बहुत मामूली है। यहां के लोग कुछ अच्छे जीवन की आशा करते हैं। मुझे आशा है कि अगली पंच वर्षीय योजना की समाप्ति पर भारतीय नागरिक की कम से कम आय 500 रूपया हो जावेगी।

परिवार नियोजन के बारे में मेरा मत यह हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रतिवेदन में कहा गया है कि 1850 तक सारी दुनिया की जन संख्या 1 अरब हो सकी। परन्तु दूसरे अरब होने में केवल 75 वर्ष लगे और तीसरे मे 35 वर्ष। इसी रफ्तार पर चौथे अरब में केवल 15 वर्ष लगेंगे और पांचवे में केवल 10 वर्ष लगेंगे। साथ ही मृत्यु की रफ्तार कम हो गई है। क्या वित्त मंत्री तथा योजना आयोग यह बता सकेगा कि क्या वह बढ़ती हुई आबादी को खिला सकेंगे। यदि नहीं तो इसके समाधान के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं।

बेरोज़गारी के बारे में देश को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। नये रोज़गार उत्पन्न किये जा रहे हैं परन्तु इतने नहीं कि बढ़ती हुई जन संख्या के अनुसार हों।

पिछले युध्द के कारण देश में एकता आ गई। मुझे विश्वास है कि इसके परिणाम अच्छे होंगे और सरकार इस एकता को अच्छे कार्य के लिये प्रयोग कर सकेगी।

इस देश में पढ़े लिखों की संख्या तो बढ़ती जा रही है परन्तु योग्यता नहीं बढ़ती जा रही। आप ही देखिये कि आज का डाक्टर, शिक्षक तथा वैज्ञानिक उतना योग्य है जितना कि एक नसल पहले था? इस योग्यता में कमी होने का कारण यह है कि संख्या बहुत बढ़ गई है। और स्कूलों तथा कालेजों से आधे पढ़ व्यक्ति आज बाहर आते हैं। इस देश को यदि पहले दर्जे का देश बनाना चाहते हैं तो फिर पहले दर्जे के व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। दूसरे दर्जे के व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। कई बार हम माता पिता अपने बच्चों को दोषी बनाते हैं परन्तु वास्तव में उनका दोष नहीं, उन्हें शिक्षा ही अच्छी नही मिल रही।

राजस्थान मे इस समय अकाल की स्थिति है। दो वर्ष पहले भी वहां अकाल पडा था। आशा है कि सरकार ऐसे उपाय करेगी कि कोई भी व्यक्ति भूखमरी के कारण अपने प्राण न त्यागे। मुझे आशा है कि गर्मी आरंभ होने से पूर्व ही राजस्थान में पशुओं के लिये पानी की समस्या सुधार दी जावेगी।

विदेशी मुद्रा की समस्या कई वर्षों से है। मेरे विचार इसका कारण वित्त मंत्रालय का इस कार्य को ठीक प्रकार न चलाना हैं। यदि आप जनता से बार बार त्याग के लिये कहते रहे तो एक दिन ऐसा आवेगा जब वे क्रान्ति के लिये खड़े हो जावेंगे। वैसे यह ग़लत कार्य होगा।

कुछ शब्द में राष्ट्रीय राईफल संस्था के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि मेरा उस से कुछ संबंध है। छोटे छोटे देश जस कि कम्बोडिया, स्याम, बर्मा तथा मिस्र में अच्छी सुविधायें हैं परन्तु हमारे देश में

तो एक भी रेंज नहीं जहां गोली चलाने का अभ्यास किया जा सके। बहुत से आश्वासनों के बावजूद यह सुविधा अभी तक नहीं मिली। इसी प्रकार गोली बारुद आदि का उत्पादन बढ़ाया जावे ताकि असैनिकों को इसका प्रशिक्षण दिया जा सके।

हमारे पास चीन तथा पाकिस्तान के जहरीले प्रचार का मुकाबला करने के लिये अच्छे ट्रांसमीटर नहीं हैं। आशा है कि इस दिशा में कुछ किया जावेगा।

देश में खाद्य की समस्या बहुत दिन से चल रही है। वैसे तो मैं स्वयं समाजवाद में विश्वास रखता हूं। परन्तु मेरा विचार है बड़े बड़े फार्म होने चाहियें जिस से यह समस्या हल हो सके।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में बड़ी गिरावटें आ रही हैं। इस का इलाज यह है कि दूसरी एयरलाइन्स को भी यहां चलाया जावे ताकि उस से मुकाबले करने के लिये इंडियन एअर लाइन्स कारपोरेशन भी अपने कार्य में सुधार कर लेवे।

राजस्थानी भाषा को भी संविधान का आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिये। इस भाषा को दो करोड़ लोग बोलते हैं। वैसे हम देश की एकता में सब से अधिक विश्वास रखते हैं परन्तु अब यह सरकार की नीति हो गई है कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जावे तो राजस्थानी भाषा को भी संविधान में शामिल करके इसे पन्द्रहवीं भाषा बनाया जावे।

एक बार मैं फिर वित्त मंत्री को अच्छा बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूं।

Shrimati Vijaya Raje Scindia (Gwalior) : The Finance Minister has laid much stress on the checking of rising prices in the county as also on increasing production. Due to this he has given certain concessions in the budget. He has abolished Bonus Tax.

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHYAM LAL SARAF *in the Chair*]

The Prime Minister while speaking in the FICCI annual session told that the World now call a conference of Technicians, Engineers and Managers. It will be a good effort and will help in doing away with present shortages. It will also help in present inactivity.

Mr. Chairman by increasing 10 percent levy on companies the FinanceMinister has increased their burden. It appears to be an after thought. I would request him to reconsider it.

The Finance Minister has promised for more saving this year than what it was last year. I am not much hopeful about it nor to speak of the development of our country on sound footing, I am not sure even of the desirable increase in it.

The money market is so bad that contains are offering much interest. I cannot understand how can we increase production with such a market.

Some concessions have been given in Expenditure Tax and Gift Tax. But it will not affect the development very much.

The increase in sugar and diesel oil will adversely affect all, specially the poor. Income tax on diesel oil will badly affect even our agriculture production.

Mr. Chairman, Madhya Pradesh is a big State and most of it is undeveloped and backward. That state should be given adequate financial help during the Fourth Five Year Plan Period. Last year too I spoke about abolition of the Chambal ravines. This can be done with the cooperation of the Governments of Madhya Pradesh, Rajasthan and U. P. Madhya Pradesh has not been getting due aid as compared to other States in India.

[Shrimati Vijaya Raje Scindia]

It is very bad that the law and order situation in the country is deplorable. Prime Minister recently remarked that there appeared to be the bad of more political parties. Those people who incite and mislead the poor people to rise in revolt should be punished in a manner that these things do not recur.

I admit that the food situation in the country is bad and that does not warrant that people should violate law and order. Thereby political parties try to fulfil their political ends. They are antinational elements who try to exploit the people like this.

Our borders are not yet safe from external danger. The opposition parties should not therefore weeken the country at this juncture by creating internal dissention.

Shri Vishwanath Pandey (Salampur) : Mr. Chairman we are discussing practically the working of entire Government of India. The discussion on Budget give an opportunity to express our views on various problems that we are facing. There are three types of Budgets : viz. surplus budget, balanced budget and deficit budget. Our hon. Minister of Finance has presented a deficit Budget. Ours is developing country. Such a budget is essential in a country like ours. I think that two aims have been kept in sight at the time of preparation of this Budget. They are one : increase in production, and two : making of our economy stable. But there is already great burden on masses on account of rising prices. It is difficult to understand as to how these objectives can be achieved. These new taxes will add to the existing burden on the masses. People will have to face more difficulties. They are already very hard pressed due to high prices. The taxes have increased by 15 percent whereas production has gone up by about 3.2 percent in our country. I welcome the relief that has been given in this Budget. These items include newsprint, and tea. The relief in income will be of benefit to big people only. I want that no more burden should be put on poor people. The recovery of arrears in respect of income tax should be made promptly. The smuggling should be checked vigorously. The banks should be nationalised. All such institutions which give credit should be under the control of Government. A ceiling should be fixed for urban property. Government should take effective steps to unearth concealed money. At present the taxation is manyfold. The State Governments, the Gram Panchayats and the Central Government all levy taxes separately. I suggest that single taxation machinery should be evolved, which should formulate a balanced taxation policy.

I want to draw the attention of the hon. Minister to the miserable condition of our village people. The real India lives in villages. There are five and half lakhs of villages in our country. They are not being looked after properly. It is a pity that Government has not been able to remove disparity. Government must endeavour to establish a socialistic pattern of society.

The state Governments have not been able to improve the condition of backward areas. I suggest the Central Government should take over this responsibility and a planned programme should be chalked out for development of these areas. In this connection I want to refer to U. P. It is a backward State in the matter of agriculture, transport, education, electricity and irrigation etc. I want that special attention should be paid to this state.

I understand that Government proposes to close down the Information centre at Banaras. I oppose this move. That city is a central city of eastern U. P. and it has international importance. I request that the Information Centre should not be closed at Banaras.

Shri Jawaharlal Nehru had ordered a sample survey of this four backward eastern districts of U. P. This task was done by Patel Committee. But I am sorry to say that no action is being taken on the report of this committee. I would like the hon. Finance Minister to throw some light on this matter.

A provision of Rs. 800 crores has been made for defence. I feel that we must give more for this purpose, if the situation so demands. The danger from China is still there. We must modernise our defence forces. We should also make atomic bombs. It would be for the defence of our country. People are prepared for any sacrifice for territorial integrity of our motherland. I support Budget proposals.

श्री सेझियान (पेराम्बलूर) : यह बजट बहुत निराशाजनक है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी निराशा व्यक्त की है। एक कांग्रेसी सदस्य ने तो इसे समाजवाद के विरुद्ध भी कहा है। हमें कांग्रेस सरकार से किसी अच्छी चीज़ की आशा नहीं करनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में समाजवाद का विरोध किया है और पूंजीवाद के पक्ष में बातें कहीं है। जनसाधारण को पहले ही बढ़े हुए मूल्यों, बेरोजगारी, भ्रष्ट प्रशासन तथा भ्रष्टाचार के कारण बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु इस बजट से उनकी कठिनाइयों में और अधिक कठिनाई होगी।

हमारे मंत्री समाजवाद की बहुत बातें करते हैं परन्तु वे पूंजीवाद को प्रोत्साहन देते हैं। सरकार को करों की वसूली के बारे में और अधिक कुशलता से कार्य करना चाहिये। हमारे देश की जनता पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा है परन्तु उसके जीवन स्तर में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है। पिछले 18 वर्षों में उत्पादन शुल्क में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि हो गई है। यह सब बोझ जनसाधारण पर पड़ा है। लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ गये हैं। करों में वृद्धि के फलस्वरूप सभी वस्तुएं दुर्लभ हो गई हैं।

हमें पिछले वर्ष अगस्त के दूसरे वित्त विधेयक के द्वारा लगाये गये करों को भी ध्यान में रखना होगा। प्रतिवर्ष हमारे देश के राजस्व में वृद्धि होती जा रही है। हमें इसके लिये के तर्क दिखाई नहीं पड़ता।

हमारे देश में करों का बोझ उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है और साथ साथ रूपय का मल्य भी कम होता जा रहा है। हमारे देश में उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय अधिक वृद्धि नहीं हुई है। कुछ लोगों का विचार है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह आवश्यक है। मैं इस राय से सहमत नहीं हूं। मुद्रा स्फीति से मूल्यों में वृद्धि होती है और इस से बड़े बड़े व्यापारियों को बहुत अधिक लाभ होता है। समाज के निम्न और बीच के वर्ग को बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। क्योंकि मूल्य के वृद्धि और महंगाई भत्ते में वृद्धि में बहुत अन्तर रहता है।

विदेशी मद्रा की स्थिति भी बहुत गम्भीर है। इस बात को सरकार भी मानती है। हमें विदेशों अधिकाधिक सहायता लेनी पड़ रही है। प्रतिवर्ष इस बारे में हमारी आवश्यकता बढ़ जाती है और मैं समझ नहीं सकता कि भविष्य में सरकार इनको किस प्रकार पूरा करेगी। केवल वक्तव्यों से काम नहीं चलेगा। हमे वास्तविक स्थिति का सामना करना होगा। मझे पता चला कि एक मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है कि विदेशी मुद्रा कमाने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये भारत में रात के क्लब खोलने चाहिये। इससे आप अनुमान लगा सकते है कि देश की स्थिति कैसे है।

[श्री सेझियान]

हमारी सरकार लोगों पर कर तो बढ़ाती जा रही है परन्तु जनकल्याण के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है। पिछड़े वर्गों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। स्वर्ण नियन्त्रण आदेश से देश के स्वर्णकारों को बहुत हानि हुई है। सरकार ने इन लोगों की सहायता का आश्वासन दिया था। उनकी भी बहुत कम सहायता की गई है।

बर्मा से निकाले गये भारतियों की दशा बहुत दयानीय है। उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सहायता के लिये बहुत कम राशि निर्धारित की गई है। आगामी वर्ष में प्राकृतिक प्रकोपों जैसा भूकम्पों तथा बाढ़ आदि के लिये 12 करोड़ रूपये की राशि रखी जा रही है। यह राशि मुझे अधिक मालूम होती है। मैं आशा करता हूं कि देश को इन प्रकोपों का सामना नही करना पड़ेगा।

देश में आजकल आपातकालीन स्थिति है। इसके कारण देश की क़ाफी हानि हो रही है। पिछले वर्ष इस पर 18.64 करोड़ रुपये व्यय हुए। और आगामी वर्ष मे इस के लिये 9.94 करोड़ रुपये रखे जा रहे हैं। अब जब कि संकटकालीन स्थिति समाप्त करने की बात हो रही है तो सरकार इतनी राशि व्यय करने का कैसे प्रस्ताव कर रही है।

सरकार भारत रक्षा नियमों का अनुचित लाभ उठा रही है। कहीं पर भी यदि गड़बड़ हो तो सेना और पुलिस का सहारा लिया जाता है। गांधीजी ने 1937 में 23 अक्तूबर के हरिजन मे लिखा था कि यदि कोई सरकार देश में शान्ति स्थापित करने के लिये सेना बुलाती है तो समझना चाहिये कि सरकार का राजनैतिक दिवाला निकल गया है। परन्तु आज की हमारी दशा तो उस से भी खराब है। यदि सरकार अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं चला सकती तो इसे त्यागपत्र दे देना चाहिये।

कांग्रेस सरकार अपने बहुमत के कारण ऐसे विधेयक पारित करा सकती है परन्तु लोगों की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना चाहिये। उनपर पहले ही बहुत बोझ है। योजना आयोग के एक सदस्य ने अपने एक लेख में लिखा है कि हम पूंजिवाद की ओर बढ़ रहे है। हमारे मंत्रियों को इस बारे में सोचना चाहिये।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : मेरे से पूर्व वक्ता ने राष्ट्रपिता गांधी की ऐसी बात का उदाहरण दिया है जिससे इन को लाभ होता है परन्तु राष्ट्रभाषा के बारे में यह गांधीजी के विचारों से सहमत नहीं है।

मुझे खेद है कि 18 वर्षों के बाद भी हम समाजवाद को स्थापित करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं कर सके हैं। हमारे देश के बड़े बड़े व्यापारी तथा उद्योगपति इस के लिये जिम्मेदार हैं। अभी भी में खाद्य पदार्थों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस में सरकार का दोष नहीं है। वास्तव में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में समन्वय न होने के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

आज किसानों को सलाह देने वाले बहुत है परन्तु आवश्यक वस्तुएं देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उसे अच्छे बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं और लाभदायक मल्य प्राप्त होने चाहिये। आज सरकार कृषि विभाग को कोई महत्व नहीं देती। सरकार ने एक कृषि उत्पादन बोर्ड की स्थापना की थी। मैं नहीं जानता कि उसने क्या कार्य किया है ?

कृषि सम्बन्धी समस्याओं का समाधान वातानुकुलित में नहीं किया जा सकता। इसका सम्बन्ध देश के लाखों किसानों से है। इसमें आधुनिकता लानी होगी। किसानों में विश्वास की भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी। इस लिये सरकार को एक खाद्य उत्पादन नीति बनानी चाहिये।

यहां पर मांग की गई है कि खाद्यान्नों सम्बन्धी क्षेत्रीय व्यवस्था समाप्त कर दी जाये। इस के कारण खाद्य मंत्री की बडी मुश्किल स्थिति हो गई है। उन्हें कमी वाले और फालतू अनाज वाले राज्यों के बीच सन्तुलन स्थापित किये रखना है और वितरण को ठीक प्रकार करना है। हमें देश के समक्ष सभी स्थितियां

को ध्यान में रखना है। हम सूखे के लिये सरकार को दोषी नहीं कह सकते। सरकार को कमी वाले क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और उन राज्यों की वित्तीय सहायता करनी चाहिये।

हमे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये। तभी हम अपनी जनता के लिये भोजन की व्यवस्था कर सकेंगे।

इस समय हमारी जन संख्या 47 करोड़ है और जैसा कि बीकानेर के महाराजा ने ठीक ही कहा है कुछ दिनों में 100 करोड़ हो जायेगी। उनके लिये भोजन को व्यवस्था करना भी एक समस्या है। हम को अपना उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिये। एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने के प्रतिबन्धों को समाप्त किया जाना चाहिये। जहां अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है और जहां किसान अधिक से अधिक परिश्रम कर रहे हैं वहां सब सुविधायें दी जानी चाहिये।

आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जो कृषि उत्पादन के मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। स्वाधीनता के बाद आंध्र प्रदेश में केवल एक बड़ी सिंचाई परियोजना के लिये मंजूरी दी गई है। गोदावरी बांध, कृष्णा बांध अथवा तुंगभद्रा परियोजना काफी समय पूर्व शुरू किये गये थे परन्तु केवल परियोजना ही पूर्ण होने जा रही है और उस से करीब 40,000 से 50,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। जब कभी राज्य इन परियोजनाओं को काफी मदद देने में असमर्थ हो जाता है या इस कारण कि आंध्र प्रदेश में पहले ही अन्न फ़ालतू है, केन्द्रीय सरकार को सहायता देनी चाहिये ताकि यह राज्य देश के अन्य राज्यों को भी खाद्यान्न दे सके। सरकार कहती है कि वह इस परियोजना को नहीं संभाल सकती जिसके परिणामस्वरूप हमें औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं का भी लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त होना चाहिये क्योंकि बिना ऐसा किये सारे देश में समान विकास नहीं हो सकता। केन्द्रीय सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिये जिस से औद्योगिक तथा कृषि-सम्बन्धी विकास एक साथ चले। क्षेत्रीय असन्तुलन को हटाने के लिये इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

एन्गलो-अमरीकन कन्सोर्टियम ने रिपोर्ट दी थी कि पांचवां स्पात संयंत्र विशाखापटनम में स्थापित किया जाये। यह हमारी एक उचित मांग है परन्तु सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार को शीघ्र निर्णय लेकर गैर-सरकारी क्षेत्र में विशाखापटनम में पांचवां स्पात संयंत्र स्थापित करना चाहिये।

इस समय देश में विधिहीनता बहुत फैली हुई है। केरल और बंगाल में उपद्रव हुये हैं। कुछ राजनीतिक दल कांग्रेस दल को बदनाम करने के लिये विद्यार्थियों तथा नवयुवकों को उकसाते है और वे तोड-फोड़ की कार्यवाहियों में भाग लेते है। प्रतिपक्षी दलों को यह याद रखना चाहिये कि किसी दिन उनकी भी सरकार बन सकती है। परन्तु यदि विधिहीन तत्वों को भड़काया जायेगा तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि स्थिति क्या हो जायगी। इस देश में संसदीय लोकतंत्र की जड़े मजबूत होनी चाहिये। हमारे कई निकटवर्ती देशों में सैनिक क्रांति हुई है। एशिया के इस भाग में हम लोकतंत्र के प्रकाश स्तंभ है। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। सारा विश्व, विशषत: एशिया, हमारी ओर नजरें लगाये है और हमारा अनुकरण करना चाहता है। अत: हर कार्य को संवैधानिक तरीकों से किया जाना चाहिये। मै सब दलों से प्रार्थना करता हूं कि वे राष्ट्रीय एकता के लिये लोगों का सही नेतृत्व करें ताकि लोग संवैधानिक और संसदीय तरीकों का निष्ठा से पालन करें।

पंजाबी सूबा बनाने के लिये प्रधान मंत्री का निर्णय बहुत अच्छा और साहसपूर्ण है। महाराष्ट्र के विभाजन के समय भी उन्होंने साहस तथा राजनीतिज्ञता का परिचय दिया था। उन्होंने केरल में साम्यवादी मंत्रिमण्डल को हटाया। प्रधान मंत्री में इसके अतिरिक्त अनेक गुण है।

गोवा और पांडिचेरी के बारे में भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिये। इनको किसी भी राज्य में जिसमें वहां के लोग रुचि प्रकट करें, मिला देना चाहिये।

श्री मुरारका (झुझनू) : कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि वित्त मंत्री नये कर लगाते है और विकास तथा प्रतिरक्षा के नाम पर उनका समर्थन करते है । इस वर्ष भी अनावृष्टि, विकास तथा प्रतिरक्षा के नाम पर, 100 करोड़ रुपये के अधिक कर लगाये गये है । योजना पर चालू वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 144 करोड़ रुपये कम है । प्रतिरक्षा पर हमारा व्यय 0·28 करोड़ रुपये अधिक होगा । अत: करों की वर्तमान दर के हिसाब से और यदि अधिक कर न लगाये जायें तो, अगले वर्ष, हम 148 करोड़ रुपये अधिक देंगे । हमारी राजस्व 148 करोड़ अधिक होगा और योजना पर व्यय 144 करोड़ कम होगा । और प्रतिरक्षा पर हमारा व्यय 30 करोड़ अधिक होगा । इस पर भी वित्त मंत्री ने 100 करोड़ अधिक के कर लगाने का प्रस्ताव किया है । मेरा विचार था कि देश की आर्थिक अवस्था और मूल्यों की बराबर वृद्धि को देखते हुये तथा यह देखते हुये कि भारत में संसार के सब देशों से अधिक कर लगे हुये है वित्त मंत्री अब और अधिक करों का प्रस्ताव नहीं करेंगे परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत से लोगों को निराश किया है ।

वित्त मंत्री कहते है कि उन्होंने चौथी योजना के प्रथम वर्ष के लिये बजट बनाया है । परन्तु चौथी योजना अभी सभा के सामने नहीं लाई गई है । जब सभा ने योजना को अभी मंजूर ही नहीं किया है तो सभा को योजना सम्बन्धी मांगों को पास करने के लिये किस प्रकार कहा जा सकता है । पिछली योजनायें हमेशा सभा के सामने लाई गई थी और उन पर सभा ने मंजूरी देने से पहले चर्चा की थी ।

गत 15 वर्ष से राजस्व प्राप्तियों से पूंजीगत आय-व्ययक का खर्च चलाये जाने की प्रवृत्ति है । 1950–51 तक राज्य की राजस्व सम्बन्धी आवश्यकतायें पूंजीगत ऋण में से पूरी की जाती थी । गत 15 वर्षों में 2,090 करोड़ रुपये का इसी प्रकार उपयोग किया गया है । इस वर्ष भी वित्त मंत्री 209.70 करोड़ रुपये की बचत को पूंजीगत प्रयोजनों के लिये उपयोग करना चाहते है । यह प्रवृत्ति अच्छी है परन्तु विकसित तथा बहुत प्रगतिशील देश भी ऐसा करने में असमर्थ हैं । अत: हमारे देश के लिये जो अभी प्रगती कर रहा है और जहां विकास कार्य चल रहा है, यह हानिदायक रहेगा ।

वित्त मंत्री को कर नहीं लगाने चाहिये यदि राज्य उन करों का इतना अच्छा प्रयोग नहीं कर सकते जितना कि कर दाता स्वयं कर सकते थे। गवेषणा के परिणामस्वरुप अब यह माना जाता है कि एक सीमा के बाद कर लगाये जाने पर प्रगति में बाधा पड़ती है, मुद्रा-स्फीति बढ़ती है, तथा अनावश्यक आत्म-तुष्टि की भावना उत्पन्न होती है । नये पारकिन्सन नियम के अनुसार राज्यों की यह प्रवृति है कि वे व्यय को चलाने के लिये आय की प्राप्ति करने की अपेक्षा आय खर्च करने के साधन ढूंढते हैं । इस देश में ठीक यही हो रहा है ।

1955–56 में करों से हमारी कुल आय 485 करोड़ रुपये थी परन्तु 1966–67 में केवल करों से 2,191.32 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है। पिछले पांच वर्षों में करों से होने वाली आय 1,053 करोड़ से बढ़कर 2,191 करोड़ हो गई है यानी दुगनी से अधिक हो गई है । औसत से 227 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से वृद्धि हुई है ।

आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में करों की वद्धि 15 प्रति शत प्रति वर्ष अधिक हुई है जब कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर 3.3 प्रतिशत रही है । राष्ट्रीय आय की अपेक्षा कर चौगुने हो गये हैं । सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रगति की दर संसार के अन्य देशों की अपेक्षा सब से कम है और करों की दर सब से अधिक है ।

इस वर्ष वित्त मंत्री ने गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्रों को कुछ रियायतें दी हैं परन्तु वे रियायतें भेद-भाव पूर्ण तथा सीमित हैं । इन रियायतों का लाभ उन कम्पनियों को

होगा जिनको बहुत अधिक लाभ हो रहे हैं और जो अधि-कर देती हैं। परन्तु वित्त मंत्री ने निगम कर 10 प्रतिशत अधिक बढ़ा दिया है। इस से यदि किसी कम्पनी को थोड़ा लाभ होता है तो उसे भी पहले की अपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक कर देना पड़ेगा। इस वृद्धि को छोड़ कर पहले ही हमारें देश में निगम कर संसार के अन्य देशों की अपेक्षा से अधिक था। किसी भी देश में 54 प्रतिशत से अधिक यह कर नही है परन्तु हमारे यहां 74% था और अब 80% तक पहुंच जायेगा।

वित्त मंत्री ने 7 करोड़ की रियायते दी हैं और अधिक कर से 43 करोड़ की आय होगी। परन्तु ऐसा सोचना ठीक न होगा कि 36 करोड़ का अधिक भार बढ़ गया है। भार सब कम्पनियों पर पड़ेगा जब कि 7 करोड़ था लाभ कुछ ही कम्पनियो को मिलेगा। अत: ऐसा नहीं है कि एक ओर रियायत दी गई है और दूसरी ओर अधिक कर लगाये गये हैं। बात यह है कि रियायतें कुछ ही कम्पनियों को मिली हैं परन्तु अधिक करों का भार सब कम्पनियों पर पड़ा है।

पिछले वर्षों में निगम कर 42 करोड़ रुपये कम वसूल किया गया है। क्या इस से यह नहीं सिद्ध होता कि ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धान्त लागू हो रहा है? अधि-कर को क्यों कम किया गया है?

यदि अधिकर कम कर के कोई प्रोत्साहन देना था तो निगमों पर कर की क्या आवश्यकता थी? वित्त मंत्री ने निगमों के साथ न्याय नहीं किया है।

[श्री पें० वेंकटासुब्बया पीठासीन हुये
SHRI P. VENKATASUBBAIYAI *in the Chair*]

योजना आयोग का यह निष्कर्ष है कि यदि योजना 22,500 करोड़ रुपये की भी हो तो भी इन निगमों पर अतिरिक्त कर लगाने से कोई लाभ नहीं। हमें पता नहीं कि योजना कितनी बड़ी है। यदि अगले वर्ष के व्यय को देखा जाये तो भी यह योजना तीसरी योजना से बड़ी नहीं होनी चाहिये। अत: निगमों पर इन करों के लगाये जाने का क्या औचित्य था? लोगों का विचार है कि निगम-कर अमीर लोगों पर पड़ेगा। परन्तु ऐसी बात नहीं है। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने इन कम्पनियों में रुपया लगाया हुआ है। उनको लाभांश नहीं मिलेगा। अत: मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह बोनस कर के हटाये जाने तथा लाभांश कर में तबदीली करने के बारे में पुन: विचार करें।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रुपये के अवमूल्यन के सम्बन्ध में कोई उलेख नहीं किया है। मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने सैद्धान्तिक प्रलोभनों तथा व्यवहारिक दबावों में न आकर रुपये का अवमूल्यन नहीं किया। रुपये के अवमूल्यन से पूर्ण लाभ उठाने के लिये कुछ आर्थिक अवस्थाओं का होना आवश्यक है। प्रथम तो सम्बन्धित देशों के बीच अबाध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिये यानी लाइसेंस, कोटा, टरिफ (शुल्क दर) इत्यादि कुछ नहीं होना चाहिये। दूसरे माल की सप्लाई काफी होनी चाहिये। इसके पश्चात्, देश में बेरोज़गारी होनी चाहिये और रोज़गार मिलने के लिये उत्पादन में वृद्धि होना चाहिये। तीसरी शर्त जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि आयात तथा निर्यात के लिये मांग में लचक होनी चाहिये। यदि आयात कर मूल्य बढ़ जाये तो आयात की मात्रा घटा दी जाये और यदि निर्यात कर मूल्य बढ़ जाये तो निर्यात की मात्रा बढ़ा दी जाये। जब हमारा आयात पहले ही कम से कम है और उससे कम नहीं किया जा सकता तो अवमूल्यन करके क्या स्थिति उत्पन्न हो जायेगी? आयात की उतनी ही मात्रा के लिये अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। रुपये का अवमूल्यन कर के निर्यात के मामले में हमें कोई लाभ नहीं होगा। लंका, चीन व पाकिस्तान भी अवमूल्यन कर देंगे। अत: विदेशों को किसी हद तक आयात करना ही होगा। अत: अवमूल्यन न कर के वित्त मंत्री ने बड़ी बुद्धिमानी की है।

[श्री मुरारका]

अतः हमें क्या करना चाहिये ? हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिये और उपभोग की मात्रा कम करनी चाहिये। उपभोग में कमी लाने के लिये जनसंख्या पर नियंत्रण करना अत्यावश्यक है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. SPEAKER *in the Chair*]

जनसंख्या में वृद्धि की समस्या को ठीक तथा यथार्थिक ढंग से हल किया जाना चाहिये। राष्ट्रपति जानसन ने विदेशों के लिये सहायता के सम्बन्ध में 2 फरवरी को कांग्रेस के समक्ष कहा था कि जन संख्या की वृद्धि के कारण कम विकसित देशों में $\frac{2}{3}$ आर्थिक विकास की हानि हो जाती है। मृत्यु अनुपात तेजी से कम हो रहा है, जन्मानुपात से अभाव बढ़ रहा है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि इस वर्ष उन्होंने परिवार नियोजन का भी मंत्रालय बनाया है। मैं आशा करता हूं कि संतति-निग्रह के कार्य को बढ़ावा मिलेगा और हम जनसंख्या की वृद्धि रोक सकेंगे।

निर्यात बढ़ाने के लिये अवमूल्यन न कर के उसके लिये सहाय्य तथा उत्प्रेरणा दी जानी चाहिये। आयात को अधिक महंगा बनाने के लिये आयात शुल्क बढ़ा दिया जाये। लेटिन अमेरीकन देशों के अनुभव से यह स्पष्ट है कि अवमूल्यन करना बहुत जोखिम की बात है। अवमूल्यन करते चले जाने पर भी कोई विशेष लाभ नहीं होता और राष्ट्रीय दिवालियापन में कोई सुधार नज़र नहीं आता।

अवमूल्यन से हमारे 3,200 करोड़ रुपये के विदेशी ऋणों में अवमूल्यन के बराबर वृध्दि हो जायेगी हमारे ऋण बढ़ेंगे तथा हमारे ऊपर अधिक भार पड़ जायेगा। अतः रुपये के मूल्य को पुनः स्थिर करने के लिये उत्पादन बढ़ाना, अधिक कुशलता का लाया जाना, सरकारी व्यय को कम किया जाना, उच्च टकनालौजी (औद्योगिकी) का प्रसार किया जाना चाहिये तथा निर्यात करने योग्य माल में वृद्धि की जानी चाहिये।

ऐसा अनुमान है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये 4,000 करोड़ रुपये की विदेशी मदद की आवश्यकता होगी। इसमें से 1,350 करोड़ रुपये यानी कुल राशि का $\frac{1}{3}$ व्याज तथा ऋणों की अदायगी में व्यय होगा। बजट में 120.59 करोड़ रुपयों की ऋणों की अदायगी तथा 94.40 करोड़ रुपयों की व्याज की अदायगी के लिये व्यवस्था की गयी है। इसका मतलब यह है कि 215 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा विदेशी ऋणों की अदायगी के लिये रखी गई है।

इस वर्ष निर्यात 814 करोड़ से अधिक नहीं होगा और आयात 1,390 करोड़ रुपये के कम का न होगा। इससे यह पता चलता है कि हमारे निर्यात से 58 प्रतिशत आयात का भी खर्चा पूरा नहीं होता।

अतः यदि यह निर्यात किया जाये कि विदेशी मदद अनिवार्य है तो हमें यह देखना होगा कि इसकी कठोरताओं को किस प्रकार कम किया जाये।

विदेशी सहायता केवल हमारे देश की सहायता के ही लिये नहीं दी जाती। उस से सहायता देने वाले देश को भी लाभ होता है। राष्ट्रपति केनेडी ने कहा था कि वास्तव में विदेशी सहायता उनके देश के हित में है। इस से हर राज्य में क़रीब पांच लाख लोगों को काम मिलता है, नये निर्यात बाजार उत्पन्न होते हैं। अन्य सरकारें अमरीका से सैनिक तथा असैनिक सामान खरीदती हैं और साम्यवादी देशों के निकटवर्ती क्षेत्रों में 35 लाख मित्र-राष्ट्रों के सैनिकों को उतने ही अमरीकी सैनिकों पर होने वाले खर्चे के केवल दसवें भाग पर ही रखा जा सकता है।

विदेशी सहायता के संबंध में हमें दो सुरक्षणों का ध्यान रखना चाहिये। प्रथम तो यह है कि अमरीका से जो ऋण मिलता है वह डालर या स्वर्ण के रूप में नहीं होता। वह वस्तु के रूप में होता है। अतः वित्त मंत्री को यह ज़ोर देकर आग्रह करना चाहिये ऋण की अदायगी तथा व्याज की अदायगी भी वस्तु के रूप में की जायगी। दूसरे, ऋण देने वाले देशों से हमें यह कहना चाहिये कि वे देश किसी

वस्तु के लिये विश्व बाज़ार में चालू मूल्य से अधिक न लें। अमरीकन माल हमें 30 से 40 प्रतिशत अधिक मूल्य पर मिलता है। यदि वे देश न मानें तो हमें कम से कम यह तो कहना ही चाहिये कि हम कर्ज़ तथा व्याज की अदायगी वस्तु की रूप में ही करेंगे। और उन वस्तुओं का मूल्य भी हमारे देश में चालू मूल्य से निर्धारित होगा। यदि ऐसा किया जायेगा तो विदेशी ऋण की कठोरता किसी हद तक कम हो जायेगी।

यदि विदेशी सहायता से देश में शिथिलता आयेगी तो वही परिणाम होगा जो चीन में च्यांग-काई शेक के समय में हुआ था। यदि उसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जायेगा तो जर्मनी, जापान, इसराइल, स्पेन की भांति सफलता मिलेगी।

अब मैं कुछ उत्पादन-शुल्क के बारे में कहूंगा। 56 करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाकर वित्त मंत्री ने कहा था कि चीनी के मूल्य में 8 या 9 पैसे से अधिक की वृद्धि नहीं होगी और सामान्य सिगरेटों के मूल्य में 1 पैसे की वृद्धि होगी तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य में भी नाम-मात्र वृद्धि होगी। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से यह ठीक हो सकता है।

1951-52 में उत्पादन-कर से 67.54 करोड़ रुपये की आय होती थी। बजट वर्ष में यह 1,011.97 करोड़ रुपये होने जा रही है। यह 1,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का भार उपभोक्ता पर पड़ रहा है। इस पर भी सरकार मूल्यों को कम कर के नियंत्रण में रखना चाहती है। हम उत्पादन-शुल्क फिर भी बढ़ रहा है जिसके कारण मूल्य-स्तर में और भी वृद्धि होती है। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उत्पादन कर सम्बन्धी पूरे ढांचे का सुव्यवस्थाकरण कर के देखें।

हमारे देश में चीनी की एक बोरी का मूल्य 132 रुपये है। उत्पादन शुल्क लगा कर उसका मूल्य 142 रुपय हो गया। भारत जैसे गरीब देश में उपभोक्ता को 142 रुपये में एक बोरी मिलती है परन्तु हम अमरीका को केवल 30 रुपयों में ही एक बोरी निर्यात करते हैं। हम इसमें सहायता देते हैं। हम इसके बदले "आर्ट सिल्क" और तन्तुक का आयात करते हैं और एक गरीब देश का करों द्वारा वसूल किया हुआ रुपया इस प्रकार व्यय किया जाता है।

अब मैं वैयक्तिक कर के बारे में कुछ कहूंगा। वित्त मंत्री ने छूट की सीमा 3,000 से 3,500 कर दी है। परन्तु बहुत समय हुआ जब यह सीमा 4,200 से 3,000 कर दी गई थी। उस समय जब इस सीमा को बढ़ाने के लिये जब सर्वसम्मत मांग की गयी थी तो श्री जवाहरलाल नेहरू जिन के अधीन उस समय वित्त मंत्रालय का कार्य था, कहा था "कि प्रगति बिना भारी बोझ उठाये नहीं हो सकती और किसी माननीय सदस्य द्वारा यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि छूट की सीमा बढ़ाई जाये। परन्तु मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं यह ठीक समझता हूं कि छूट की सीमा कम रहे। जब मैं किसी बात में श्रद्धा रखता हूं तो मुझे उसको सभा के समक्ष रखना चाहिये। यह सभा पर निर्भर करता है कि यह स्वीकार करे अथवा नहीं। दूसरे समृद्ध देशों ने भी छूट की सीमा कम ही है।"

फिर करों के लगाये जाने जैसे मूलभूत मामले में इतनी असंगति क्यों है? अब राजकोषीय मामलों में स्थिरता तथा संगति की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण बिना किसी मजबूरी के करों की व्यवस्था में जल्दी जल्दी तबदीलियां की जा रही हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने कहा था कि उन्होंने करों के ढांचे को सरल बना दिया है और आय-कर तथा अधिभार को मिला दिया है। इस वर्ष वित्त मंत्री कहते हैं कि वह निजी आय पर 10 प्रतिशत का सामान्य अधिभार लगा रहे हैं। पिछले साल सरलता और सुव्यवस्थाकरण के नाम पर उन्होंने लोगों को राहत दी थी परन्तु इस वर्ष जबकि राजस्व सम्बन्धी आवश्यकतायें तुलना में कम हैं और ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और कोई खतरा नहीं है और योजना में भी कटौती कर दी गई है, तब भी अधिक राजस्व वसूल करने की व्यवस्था की गई हैं।

[श्री मुरारका]

मैं वित्त मंत्री को दोषी नहीं ठहराता क्योंकि उन्होंने इस मंत्रालय का कार्यभार अभी हाल में ही संभाला है परन्तु-वरिष्ठ अधिकारियों की समझ और कुशलता को क्या हुआ है? वे कम से कम मंत्री को मार्गप्रदर्शन कर सकत थें। करों से सम्बन्धित मामले व्यक्तिगत मनमानियों के विषय बने हुये हैं।

अंत में, मैं राज्यों को हस्तान्तरित राजस्व के बारे में कहूंगा क्योंकि वित्त मंत्री ने राज्यों के वित्तीय मामलों में अनुशासन का बड़ा उदासीन चित्र पेश किया है। राज्यों ने रिज़र्व बैंक से बिना किसी प्राधिकार के बक़ाया से अधिक रुपया निकाला है। वित्त मंत्री ने पहले ही राज्यों में अनुशासन की भावना क्यों नहीं उत्पन्न की थी। प्रथम योजना काल में केन्द्र से राज्यों को 1,400 करोड़ रुपये की राशि हस्तान्तरित की गई थी। दूसरी योजना में यह राशि 2,800 करोड़ रुपये हो गई। अब इस बजट में यह राशि 1,420 करोड़ रुपये से भी अधिक है। अत: प्रथम योजना काल की अपेक्षा अब हस्तान्तरित राजस्व की राशि पांच गुना अधिक हो गई है। अत: वित्त मंत्री को इन मामलों में सख्ती से काम लेना चाहिये अन्यथा एक दिन हम और अधिक कठिनाई में पड़ जायेंगे।

मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री अपने प्रस्तावों पर विचार करेंगे और उत्तर देते समय अपने भाषण में अवमूल्यन के महत्वपूर्ण मामले के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : वित्त मंत्री महोदय ने अपनी असफलताओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया इसके लिये मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं, परन्तु मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि उन्होंने अपना कार्य ईमानदारी से किया है। उनका उत्तराधिकार बहुत अधिक स्पर्धाजनक नहीं रहा है। वह जब क्षेत्र में आये तो बीमारी बहुत बढ़ गयी थी। उन्होंने बड़े साहस के साथ सदन को अपने विश्वास में लिया, स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी अर्थ-व्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। हमें बजट को इस दृष्टि से देखना चाहिये कि इससे हम देश में कुछ आर्थिक, सामाजिक लक्ष्यों को व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

बजट को हमें सीमित दृष्टिकोण से नहीं देखना होगा। केवल कराधान और राजस्व उपलब्धि की दृष्टि से ही इसे नहीं देखना चाहिये। जैसा कि भारतीय व्यापार संघ देखता है। आज हालत यह है कि हमें किसी ओर भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती। और यह सब उन नीतियों का परिणाम है जिन पर हम गत कुछ वर्षों से चल रहे हैं। आओ देखें किस तरह हमारी अर्थ-व्यवस्था बुरी हालत चल रही है। आज स्थिति यह है कि हम किसी बात पर गौरव ही नहीं कर सकते। एशिया में हम सब से पीछे चल रहे हैं। खपत भी प्रति व्यक्ति देश में कम हो रही है। उत्पादिकता तो कम है ही। अन्य देशों के साथ तुलना कर के ही हम इस स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय का भाषण सभी दिशाओं में सरकार की असफलता का द्योतक है।

हमें इस बात पर नाज़ है कि हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन 22,500 करोड़ रुपये का है परन्तु अन्य देशों के मुकाबले में यह बहुत ही कम है। मैं बहुत आंकड़े प्रस्तुत करना नहीं चाहता, परन्तु इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि अमरीका का राष्ट्रीय उत्पादन 700 बिलयन डालर का है। कोई मुकाबला ही नहीं है। रूस का भी लगभग ऐसा ही हाल है। यह काम आयोजना आयोग को बताना है कि इस कार्य के लिये किस प्रकार साधनों का निर्माण किया जाय। कैनाडा जो कि भारत के मुकाबले में जनसंख्या में कहीं छोटा है, भारत से बहुत आगे है। जापान भी बाजी मार रहा है। और तो और पाकिस्तान भी इस दिशा में पीछे नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में वह हर दिशा में हमसे आगे चल रहा है। मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री और उनके साथियों को इस मामले पर छानबीन करनी चाहिये। मेरे विचार में तो इससे इतना ही पता चलता है कि हम प्रयत्नशील नहीं रहे हैं। हमें बड़े साहस के साथ इस स्थिति का विश्लेषण करना होगा। हमारी सब से अधिक असफलता यह है कि हम मुद्रा-स्फीति को नहीं रोक सके हैं और कीमतें निरन्तर बढ़ती रही हैं; यह तो निस्सार हो गया है कि

जिन देशों में संगठित विकास होता है वहां कीमतें बराबर बढ़ती हैं। परन्तु यदि हम हाल ही की घटनाओं का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि हर जगह ऐसा सिद्धान्त हर हालत में ठीक सिद्ध नहीं हो रहा।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि हम रुपये का मूल्य कम नहीं करेंगे। हम सबको इस बात से बड़ा हर्ष था कि रुपये का मूल्य कम नहीं होगा। परन्तु इस बात को देख कर काफी आश्चर्य होता है कि बिना कोई घोषणा किये ही रुपये का मूल्य गिरा दिया गया। अब इस बात में कोई सार नहीं रहा कि हम रुपये का मूल्य नहीं कम कर रहे हैं। व्यवहारिक रूप में सारे विश्व में उसका मूल्य गिर गया। आज संसार की मंडी में भारतीय 160 रुपये में 100 पाकिस्तानी रुपया मिलता है। क्या सरकार इस स्थिति में कोई परिवर्तन करने का प्रयास करेगी। हम इस दिशा में असफल रहे, यह बात हमें स्वीकार कर लेनी चाहिये।

मैं इस बात पर आग्रह करना चाहता हूं कि यदि हमें अपने और अपने राष्ट्र के प्रति कोई निष्ठा है। हम अपने विचारों और नीति के प्रति ईमानदार हैं। और अपने कार्यों और चुनौतियों के प्रति गम्भीर और सच्चे हैं तो हमें अपनी नीतियों और विचारों की पृष्ठभूमि में सारी स्थिति पर पुनः विचार करना चाहिये। अपनी अभिव्यक्ति और विचारों में साहसी होने के लिये तो किसी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। आज सारे संसार के देश अपने निष्कर्षों और परिकल्पनाओं पर गम्भीरता से विचार करते हैं और विस्तार से उसका परीक्षण भी करते हैं। जो जोर जोर से चिल्लाते नहीं हैं और प्रत्येक समय समाजवाद के नारे नहीं लगाते उनकी अर्थव्यवस्था हमसे अच्छी है।

यह अच्छा है कि श्री शचिन्द्र चौधरी ने कीमतों के उतराव चढ़ाव के आंकड़े प्रस्तुत करते हुये इस बात को स्वीकार किया है कि कीमतें बढ़ी हैं। अप्रैल 1965 और 15 जनवरी, 1966 के बीच थोक मूल्य सूचकांक 12.3 प्रतिशत बढ़ गया है। 15 जनवरी, 1966 को थोक मूल्य सूचकांक का स्तर एक वर्ष पहले की अपेक्षा 5.6 प्रतिशत ऊंचा था। यह बड़ी विचित्र बात है। मूल्यों में लगातार तो वृद्धि हो रही है उसका आम जनता पर बहुत ही बुरा प्रभाव हो रहा है और उनका जीवन दुर्भर हो रहा है। मूल्यों के बारे में सरकार ने जो नीति अपनाई है उसे हमने इस सभा में चुनौती देनी है, और इस मामले में सरकार को पराजित करना है। यदि सरकार को इस मामले में पराजित न किया गया तो देश में उथल पुथल मच जायेगी। वही नजारे देखने को मिलेंगे जो हमने कलकत्ता, केरल और अन्य प्रदेशों में देखे हैं। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट है कि भारत द्वारा अपने मूल उद्देश्यों को छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरा मत है कि इसके लिये योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि यह हालत है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में शोर मचाने का कोई अर्थ नहीं है। अधारभूत दृष्टि से देखा जाय तो एक अर्थव्यवस्था आधुनिक और आगे बढ़ी हुई है और दूसरी पिछड़ी हुई है। एक अर्थव्यवस्था कुशल सिद्ध होगी और दूसरी अकुशल रह जायेगी।

इस दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण बात है, वह यह कि इस देश में सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्र में काफी विषमता का निर्माण कर दिया गया है। और इसे लेकर काफी शोर मचाया जाता है। मेरा मत यह है कि हमें एक कुशल राष्ट्रीय क्षेत्र चाहिये जिससे देश का निर्माण किया जा सके। यह बात हम भूल ही नहीं सकते कि सरकारी क्षेत्र में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। यही क्षेत्र है जो कि विकास को आगे बढ़ा सकता है। अच्छे बुरे का प्रश्न नहीं है, हमें देखना यह है कि जो कार्य सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में किये जाने थे, वे किये गये है अथवा नहीं ? मेरी धारणा है कि यह हमारा दुर्भाग्य था कि सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में ऐसा नहीं किया गया। और सरकारी क्षेत्र का जितना शोर मचाया जाता है उतना कुछ हो नहीं पाया है। इस दिशा में जो भी योगदान देना चाहिये सरकारी क्षेत्र वह दे नहीं पाया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि प्राक्कलन समिति की सिफारिशों की नितान्त उपेक्षा कर दी जाती है। समिति की सिफारिशों के बावजूद सरकारी क्षेत्र को ऐसे लोगों द्वारा चलाया जाता है जिनका सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में कोई विश्वास ही नहीं होता। तकनीकी लोग गैर सरकारी क्षेत्रों में भाग रहे है। सरकारी क्षेत्रों में ऐसे लोग आ रहे हैं जो तकनीकी दृष्टि से नितान्त अनाड़ी हैं। कुछ एक को छोड़ कर बाकी सब का रिकार्ड शून्य के बराबर है।

[श्री नाथ पाई]

इस वर्ष के 365 दिनों में यह चौथा बजट है। सारी बात में कोई विशेष कल्पना का परिचय नहीं दिया गया। गत वर्ष तत्कालीन वित्त मंत्री ने संसद् को वचन दिया था कि वह गर व विकास सम्बन्धी खर्चे में 150 करोड़ रुपये की कमी करने जा रहे है। परन्तु यथार्थ में हम क्या देख रहे हैं कि गर विकास सम्बन्धी व्यय में 1966–67 में वृद्धि होने दी है। और इस क्षेत्र में लगभग 136 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। मैं कोई ब्योरवार भाषण देना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि श्री चौधरी इस बात पर निष्पक्षता से विचार करें। बड़ बड़े अर्थशास्त्रियों ने यह मत व्यक्त किया है कि सरकारी व्यय को उत्पादनमय विनियोजन नहीं कहा जा सकता। भारत में गर विकास व्यय के भी चारगुणा बढ़ जाने से यह सरकार के कुल व्यय का 50 प्रतिशत हो गया है। यह विचारने की बात है, बड़ा गम्भीर मामला है।

वित्त मंत्री महोदय शायद यह समझ रहे हैं कि आज की कराधान प्रणाली के अन्तर्गत जितना इकटठा किया जा सकता है, किया जा रहा है। कमियां तो हैं। परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि एक अच्छी सरकार यह जानती है कि किन बातों का ध्यान रख कर जनता पर कर लगाये जाने चाहिये। उसे यह भी पता होता है कि कर लगा देने के बाद उन करों को कैसे वसूल किया जा सकता है। परन्तु हमारी सरकार इन बातो के बारे में चिन्तित नहीं है। यहां स्थिति यह है कि यदि एक कर से बचा जाये तो दूसरा गला दबोच लेता है। सम्पदा शुल्क, धनकर, व्ययकर, इन सारे करों के बारे में वसूली की आंकड़े देखने पर पता चलता है, कि प्रस्तुत किये गये आकड़े मानने योग्य नहीं हैं। इस बात का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए कि जो भी कर है, उन्हें पूरी तरह से वसुल किया जाय। जो लोग यह कर देंगे उन्होंने यह राष्ट्र को देना ही है। 1955–56 में यह 181 लाख था। 1956–57 में यह 211 लाख हो गया। 1966–67 में यह बढ़ कर 7.25 करोड़ हो गया। क्या हृदय पर हाथ रख कर हम कह सकते हैं कि यह सब तथापूर्ण सत्य है।

एक निश्चित प्रक्रम पर नियन्त्रण लागू रखना बड़ा जरूरी है। यदि नीति व्यवहारिक हो, और समय समय पर उसकी जांच की जाय तो अच्छा रहता है। जो कर बेकार हो जाय उसे हटा दिया जाता है। परन्तु आज जो स्थिति है, उसमें नियन्त्रण तो आय हो गये हैं। और इन नियन्त्रण के पीछे एक इस तरह की सरकार काम कर रही है जो किसी को दिखाई ही नहीं देती, और जिसका कोई उत्तरदायित्व भी किसी के प्रति दृष्टिगोचर नहीं होता। संसद का अधिकार और नियन्त्रण तो केवल नाम मात्र होता है। यहां तक कि समितियों के प्राधिकार और जांच का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। नियन्त्रण का रोग देश में बहुत बढ़ गया है। इस नियन्त्रण पद्धति पर बड़ी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

कृषि क्षेत्र का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें हमने बहुत धन लगाया है। परन्तु इस सब से लाभ केवल बड़े बड़े कृषको ने ही उठाया है। इस भारी अंशदान का लाभ उठाने वाले कृषकों की संख्या केवल 21 प्रतिशत है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस दिशा में कुछ सोच समझ कर पग उठाने चाहिए। मेरा तो यह भी मत है कि सरकार को सारे कर समाप्त कर के उनके स्थान पर केवल कृषि आय कर लगाना चाहिए। यह बड़े खेद की बात है कि आज सारा संसार हमारा मज़ाक उड़ा रहा है। सारे देश में गड़बड़ चल रही है। इस सारी अशांति का कारण आर्थिक अशांति है। इस सारी स्थिति का बड़ी धीरता और गम्भिरता से सामना करना होगा। सारे रोग का मूल कारण पता करने के लिये नये दृष्टिकोण से सारे मामले पर विचार करना होगा।

Shri Braj Bihari Mehrotra (Bilhaur) : As it is not possible for me to catch the Speaker's eye, therefore I walk out.

(श्री ब्रज बिहारी महरोत्रा सदन से बाहर चले गये।)
(Shri Braj Bihari Mehrotra then left the house)

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा (कचार) : 1963-67 का जो बजट माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं। गत 18 वर्षों में हमारी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गयी थी। यद्यपि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, परन्तु वैसे पूंजी का खचाव हो गया है। खाद्य की कमी हुई है और विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति नीचे गयी है। बजट घाटे का है और यह ठीक है कि वित्त मंत्री ने घाटे को पूरा करने का प्रयास किया है।

राजस्व और उत्पादन शुल्क की ठीक प्रकार से वसूली न करने के कारण आय को हानि हुई है। सरकार को इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही करनी चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि जो वृद्धियां की गयी हैं उनको सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क से राजस्व की उचित वसूली करके रोका जा सकता है। जहां तक आयकर का सम्बन्ध है इन आंकड़ों को 4000 रुपये तक बढ़ाना ही होगा। इसका कारण यह है कि वर्तमान निर्वाह व्यय इतना ऊंचा है कि नगरीय क्षेत्र में यह कम से कम खर्च है। इस से कम में औसत दर्जे के परिवार का गुजारा नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि केवल निगम कर में छूट से ही विनियोजन के लिए रुपया प्राप्त नहीं होगा। जो रुपया फालतू पड़ा है उसकी ओर भी ध्यान देना होगा। उसको भी उत्पादन कार्यों में लगाना होगा और इस कार्य के लिए अन्य ढंगों को अपनाने की बात सोचनी होगी। इसके साथ ही हमें उद्योगों को स्वतंत्र रूप से प्रगति करने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि 'परमिट' प्रणाली से इनके स्वतन्त्र विकास में रुकावटें पड़ती हैं। उद्योगपतियों को ऋण देने की नीति भी उचित नहीं कही जा सकती। जब इन लोगों को सरकार से धन उपलब्ध हो जाने की आशा हो जाती है तो यह अपने धन साधनों का उपयोग बन्द कर देते हैं। अतः इस दिशा में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

विदेशी पूंजी के बारे में काफी कठिनाइयां सामने आ रही हैं। विदेशी पूंजी के जहां तक विनियोजन का सम्बन्ध है, वह उपलब्ध तो हो सकती है परन्तु इस दिशा में जो मंजूरी और अनुज्ञा देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे विदेशी उद्योगपति पसन्द नहीं करते। वे यह महसूस करते है कि जब तक इस बारे में समवाय अधिनियम में उचित संशोधन नहीं कर दिया जाता तब तक वे विनियोजन को सुरक्षित नहीं समझ रहे।

खाद्य उत्पादन के मामले में उर्वरकों का बड़ा महत्व है। खाद्य उत्पादन के लिए इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। आसाम में जो नामरूप संयंत्र लगाया जा रहा है उससे आसाम की आवश्यकताओं के पूरा होने की सम्भावना नहीं है। मेरा आग्रह यह है कि इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए और शीघ्र की जितना संभव हो सके एक अन्य एकक स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। सरकार को कृषकों की आवश्यकता की ओर ध्यान देना चाहिये। धान उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में तो सरकार को कृषकों को आवश्यक ऋण संबंधी सुविधायें देनी ही चाहियें। निर्यात और पर्यटन को प्रोत्साहन देना चाहिये। विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में इन दोनों मदों का बहुत अधिक स्थान है। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि "पी" फार्म में या तो अपेक्षित संशोधन किया जाना चाहिये अथवा इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

"वैदेशिक कार्य" के अन्तर्गत, दूतावासों, उच्चायुक्तों और वाणिज्य दूतों पर होने वाले खर्च में कमी की काफी गुंजाइश है। यदि सरकार चाहे तो और भी विभिन्न सरकारी विभागों में मितव्ययता कर सकती है। हम योजनाओं की सफलताओं की बात करते हैं। तीन योजनाओं से जो सफलतां प्राप्त हुई हैं, उनका पूर्ण रूपसे मूल्यांकन किया जाना चाहिये। इस मामले में जो भी दाष हमें देखने में आये हैं उन्हें सुधारना चाहिये। बेकारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। हमें प्रयास करना चाहिए कि चौथी योजना में बेरोजगारी को दूर किया जा सके। योजनाओं की छानबीन बहुत जरूरी मामला है।

श्री मरुथिया (मेलूर) : मैं आय-व्ययक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने अपने उत्थान के लिए योजनाओं का निर्माण किया है। आज देश के समक्ष बहुत समस्यायें उपस्थित हुई, परन्तु आज की सबसे विकट समस्या हमारी बढ़ रही जनसंख्या की है। और इस वृद्धि के कारण देश की खाद्य समस्या भी खराब हो रही है। हम विदेशों से अनाज का भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं, परन्तु अधिक समय तक हम इस आयात पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास करने चाहिये। क्योंकि पूर्ण अर्थव्यस्वथा के लिये यह जरूरी है कि हम इस मामले में आत्म निर्भर हों। जब तक किसानों को अपनी उपज का लाभप्रद मूल्य उपलब्ध नहीं होता, उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हो सकता। अत: उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिलना चाहिये। उन्हें अन्य सुविधायें भी दी जानी चाहिये और कम दामो पर उर्वरक भी दिये जाने चाहिये।

कृषकों को ठीक मूल्य मिल नहीं पाता और जो कृषक अन्य लोगों की धरती पर खेती करते हैं वे उत्पादन की दिशा में कोई रुचि नहीं लेते हैं। हमें कृषि श्रमिकों को अधिक मजूरी तो देनी ही चाहिये, इसके अतिरिक्त इस बात का प्रयास करना चाहिये कि काश्तकार यह महसूस करे कि जिस धरती पर वह हल चला रहा है वह उसकी अपनी है। भूमिहीन किसान मजदूरों को भी खेती के लिये भूमि देने का प्रयास करना चाहिये। ऐसा भी वर्ष में समय आता है जब कि खेती नहीं होती, उस काल में उन लोगों को लाभदायक कामो में लगाया जाना चाहिये। किसी प्रकार के ग्रामीण उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिये ताकि वे लोग इसमें व्यस्त रह सकें। ग्रामीण लोगों की बेकारी को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

शिक्षा का प्रश्न है। स्कूल और कालिजों की दशा बहुत ही निराशाजनक हो रही है। केवल इस शिक्षा से हम क्लर्क पैदा कर रहे हैं। किसी डाक्टर और इंजीनियर को गांवों में जाने को कह दें तो सांप सूंघ जाता है। मेरा कहना है कि प्रत्येक डाक्टर और इंजीनियर को सब से पहले गांवों में जाने के लिये कहा जाना चाहिये। कृषि शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिये और इसके लिये कोई फीस नहीं ली जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी निवेदन करना है कि चौथी योजना के अन्तर्गत तूतीकोरीन तापीय संयंत्र का काम आरम्भ कर दिया जाना चाहिये। स्वतन्त्रता से पूर्व शिरूमाली बागों के साधन से काफी विदेशी मुद्रा पैदा की जाती थी। इन बागान के निर्यात को पुन: चालू किया जाना।

हम 1969 के वर्ष में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। महात्मा गांधी ने अपनी सारी आयु हरिजनों की सेवा की। परन्तु आज इस देश में आजादी के 18 वर्ष बीत जाने पर भी छूतछात चल रही है। अब समय आ गया है कि हम इस छूतछात को समाप्त करने के उपाय करें। इस रोग को सदा के लिये दफना दें। ऐसे कानून बनने चाहिये जिससे हरिजनों से न्याय हो सके। हम समाजवाद की बातें करते हैं, हमें जातिवाद को त्याग कर देश की एकता के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये। सरकार को समाज सुधार का व्यापक आन्दोलन आरम्भ करना चाहिये। गांधी जी ने कहा था कि ग्राम सुधार न हुआ तो देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकेगा। लोकतंत्र समाजवाद की स्थापना करने के हेतु देहाती लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक और सामाजिक सुविधायें देनी चाहियें। लोगों को यह भी बताना चाहिये कि देश में जो हड़तालें और राष्ट्र विरोधी हलचलें चल रही हैं वे सब राजनीतिक प्रभावों के कारण हैं।

Shri Rameshwar Tantia (Sikar) : In the last twelve and half months, this is the fourth Budget. This can not be regarded a matter of glory, particulary for a Country which is having planning and industrialization with rapid speed. 300 crores of taxes have been levied. I do not think it is proper to increase the taxes every year. It is also a strange statement that expenditure cutting loans but taxes are increasing day by day. We must know that fertilizers are very essential for the increase of agricultural production. I fully support the agreement done with United states of America regarding the fertilizers. This deal ultimately goes in the interests of our country.

The Finance Minister has given some relief in some minor taxation. they are in both Sectors individual and corporate. But very clearly it has ultimately increased the taxation by 100 crores of rupees. With present State of taxation, Companies will not be able to give anything to share holders. Some factories will go on loss since 1950. Government should build factories in the public sector but should see that public money should not be waisted. We should try to find out why these factories are not giving any profit. Life Insuranee companies also are passing in the same way. They are in possessions of 900 crores of rupees, but they are not giving loans to people conveniently. Here also people with monopoly have their say. I think if we adopt practical measures only then we will be able to increase the production in 10, 20 or 50 years.

Our taxation measures are the greatest in number in the whole of the world. There are some relief but duty to the excise duty and that duties are reliefs have paid into insignificance. I fully spout the setting up plants in the private sector. There is a scarcity in the capital market and small traders are finding it difficult to set capital, Life Insurance Corporation, State Bank and other Commercial Banks give loans to only old established enterprises. New prople wonder here and there and collapse. In these circumstances how can we hope to increase the production.

It has been stated that 500 crores export is not up to the mark. Government should see that this export increases. No doubt some encouragement has been given for export of tea. But if the present state continues there will be a great set back to the tea trade. Government should give some relief to tea. We should not devalue the rupee, this devaluation will ultimately prove harmful in the countriy's interest. We should stop all plans by which our rupee is devalued at the international level. We should put an end to the national Defence remittance scheme.

The taxation has not been raised in the income of less than 7500 rupees. But personal has been increased by 10 per cent. In this connection I may state that there should not the undiscriminate increase in all sides. We must learn some lessons from the countries like Japan and others. They decreased the taxes and the collections were more. I may request the Finance Minister that some relief must be given to some quarters in the increased taxes. I do not think, we will be able to save the country in the way we are proceeding at present.

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : मैं केवल वित्तीय मामलों पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। परन्तु देश की विधि और व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति को देखते हुये मुझे यह कहना पड़ता है कि पूंजी मंडी में काफी अभाव महसूस हो रहा है। और इससे हमारा आर्थिक और औद्योगिक विकास रुक रहा है। देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है उसके बारे में हम बड़े चिंतित हैं। सरकार को इस बारे में कड़े उपाय करने चाहियें। इस धारणा को, कि सरकार तभी ध्यान देगी जब लोग अधिक अव्यवस्था फैलायेंगे, मिटा दिया जाना चाहिये। खाद्य-पदार्थों के बारे में हमें व्यापार की सामान्य कड़ी को पुनः स्थापित करना चाहिये। इसके बिना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और देश में खाद्य-पदार्थ की जितनी मात्रा उपलब्ध है, उनकी मात्रा में वह मण्डियों में नहीं आ रहे। देश में अभाव की मनोवृत्ति वैसी ही बनी हुई है और स्थिति को सुधारने में सरकार असफल रही है।

जहां तक एकाधिकार का सम्बन्ध है, इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। एकाधिकार आयोग ने भी कहा है कि एकाधिकार प्राप्त ग्रुपों ने देश में औद्योगिक विकास में सहयोग दिया है। अतः हमें उनको लाइसेंस

(श्री कमलनयन बजाज)

देकर, नियंत्रण द्वारा तथा कुछ अन्य प्रतिबन्ध लगाकर प्रोत्साहन देना चाहिये। इस बारे में मैं सुझाव दूंगा कि उद्योगों को पूंजीगत विनियोजन के आधार पर श्रेणीबद्ध करने की बजाय कार्यकुशलता पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। हमें अपने न्यूनतम धन से अत्याधिक उत्पादन तथा मुनाफा कमाना चाहिये। व्यय-कर को मैं अच्छा नहीं समझता हूं और मैं इसको हटाने का स्वगात करूंगा। परन्तु यदि आप राजनीतिक कारणों से इसे जारी रखना चाहें तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 15 मार्च, 1966/फाल्गुन 24, 1887(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 15, 1966/ Phalguna 24, 1887 (Saka).

भासमुना—से ४—35 लोक सभा/66—1-7-67—600